लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड 43, 1965/1887 (शक)

Volume XLIII, 1965/1887 (Saka)

(3 से 11 मई, 1965 तक/13 से 21 वैशाख, 1887 (शक)
May 3 to 11, 1965/Vaisakha 13 to 21, 1887 (Saka))

Preservation 27-5-92
Fumigated 20.12.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

(खण्ड 43 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 51 to 57)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 51—3 मई, 1965/13 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1120	अश्लील चलचित्र	4793—96
1121	सिंगापुर में मछली पकड़ने की नावों का रोका जाना	4796-97
1122	आयुध कारखानों में छटनी	4797—4800
1123	संयुक्त प्रबन्ध परिषद्	4800—03
1124	भारत-लंका करार	4803—06
1125	सिख-तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तानी वीसा	4806—10
1127	पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन	4810—14
1129	सचिव समिति	4814—16
1138	युगोस्लाविया से प्रसारण यंत्र (ट्रांसमीटर)	4816-17

प्रश्नों के लिखित उत्तर

1119	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर	4817
1126	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी	4817-18
1128	राष्ट्रमण्डल चलचित्र समारोह .	4818
1130	विद्रोही नागाओं को पाकिस्तानी सहायता	4818-19
1131	अफ्रीकी-एशियायी एकता सम्मेलन	4819
1132	पाकिस्तान से स्मरण-पत्र	4819-20
1133	इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का वक्तव्य	4820
1134	पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त द्वारा आयोजित स्वागत समारोह	4821
1135	टोकियो में एशियायी सामुद्रिक सम्मेलन	4821-22
1136	ई० एम० ई० कर्मशाला में छंटनी	4822
1139	बस्तियों में आने-जाने के लिये वीसा	4823
1140	गुजरात में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण	4823
1141	कूच-बिहार क्षेत्र में गोलीबारी	4823-24
1142	पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार	4824
1143	शेख अब्दुल्ला से पत्र	4824-25
1144	पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता	4825-26
1145	विश्व संचार की उपग्रह व्यवस्था .	4826
1146	पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग	4826-27

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 51—Monday, May 3, 1965/Vaisakha 13, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Questions Nos.	Subject	PAGES
1120	Obscene Films	4793—96
1121	Detention of Fishing Boats in Singapore .	4796-97
1122	Retrenchments in Ordnance Factories .	4797—4800
1123	Joint Management Councils . .	4800—03
1124	Indo-Ceylon Pact . . .	4803—06
1125	Pak. Visas for Sikh Pilgrims . .	4306—10
1127	Cease-fire violations by Pakistanis	4810—14
1129	Committee of Secretaries . .	4814—16
1138	Transmitters form Yugoslavia .	4816-17

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
1119	Hindustan Aircraft Limited, Bangalore . .	4817
1126	Refugees from East Pakistan . .	4817-18
1128	Commonwealth Film Festival . . .	4818
1130	Pak. assistance to hostile Nagas	4818-19
1131	Afro-Asian Solidarity Confernece	4819
1132	*Aide Memoire* from Pakistan	4819-20
1133	Indonesian President's Statement	4820
1134	Reception Arranged by Pakistan Deputy High Commissioner	4821
1135	Asian Maritime Conference, Tokyo . . .	4821-22
1136	Retrenchments in E.M.E. Workshop . . .	4822
1139	Transit Visas for Enclaves . . .	4823
1140	Pak. Aggression in Gujarat	4823
1141	Firings in Cooch-Behar Sector	4823-24
1142	Anti-Indian Propaganda by Pakistan . .	4824
1143	Communication from Sheikh Abdullah . . .	4824-25
1144	Interim Relief for Port and Dock Workers . . .	4825-26
1145	Satellite System of Global Communications . . .	4826
1146	Use of U.S. Arms by Pak. Troops.	4826-27

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2907	निर्वाह-व्यय सूचक अंक .	4827—28
2908	स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम पर वृत्त-चित्र	4828
2909	बर्मा में भारतीय . .	4828
2910	खण्ड विकास कार्यालयों में टेलीफोन	4828—29
2911	डाकघरों का स्तर ऊंचा करना . . .	4829
2912	औद्योगिक परियोजनाओं के आसपास काम के अवसर . .	4829—30
2913	भारतीय विधिवेत्ता आयोग . .	4830—31
2914	हिन्दी में तार	4831
2915	आकाशवाणी में पिछड़े वर्गों के कर्मचारी . .	4831—32
2916	मैसूर में स्नातकोत्तर बेरोज़गार व्यक्ति . .	4832
2917	कृषि मज़दूरों के लिये न्यूनतम मज़ूरी .	4832—33
2918	मुख्य डाकघर, बेल्लोर . .	4833
2919	डाकघरों का स्तर ऊंचा करना	4833
2920	टेलीफोन केन्द्र	4833—34
2921	मद्रास में टेलीफोन	4834
2922	सीमाओं पर तैनात सैनिक कर्मचारियों के लिए आवास .	4835
2923	भूटान में भारतीय विशेषज्ञ दल .	3835
2924	राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन . .	4835—36
2925	छंटाई तथा रंग-रोगन करने वाले मजदूर	4836
2926	आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक	4836—37
2927	पत्र सूचना कार्यालय .	4837
2928	ब्रिटेन के अधीन द्वीप समूह	4838
2929	डाक तथा तार कर्मचारी .	4838
2930	संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी का प्रयोग	4838—39
2931	प्रतिरक्षा पर व्यय .	4839—40
2932	नेफा में वानस्पतिक उद्यान .	4840
2933	मारीशस को भारतीय सहायता .	4840
2934	डाकघरों द्वारा जीवन बीमा की किस्तें	4841
2935	बेरोज़गार स्नातक व्यक्ति	4841—42
2936	आर्मी केडिट कालिज पूना .	4842
2937	इजरायल जाने वाले यात्री .	4842
2938	पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा . .	4843
2939	भारतीय सुरक्षा सेना पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण	4843
2940	कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन .	4843—44
2941	दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी .	4844
2942	भारत पर पाकिस्तान का आरोप . . .	4844—45
2943	प्रतिरक्षा सेवाओं में इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवायें .	4845

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2907	Cost of Living Index	4827-28
2908	Documentary Films on Health Programmes . .	4828
2909	Indians in Burma	4828
2910	Telephones in Block Developoment Offices . .	4828-29
2911	Upgrading of Post Offices	4829
2912	Job opportunities around Industrial Projects . .	4829-30
2913	Indian Commission of Jurists . . .	4830-31
2914	Hindi Telegrams	4831
2915	Backward Class Employees in A.I.R. . .	4831-32
2916	Unemployed Post-graduates in Mysore .	4832
2917	Minimum Wages for Agricultural Labour	4832-33
2918	Head Post Office, Vellore .	4833
2919	Upgrading of Post Offices	4833
2920	Telephone Exchanges . . .	4833-34
2921	Telephone Connections in Madras . .	4834
2922	Accommodation for Military Personnel on Border	4835
2923	Team of Indian Experts in Bhutan .	4835
2924	National Labour Conference .	4835-36
2925	Shipping and Painting Workers .	4836
2926	Station Directors of A.I.R. . .	4836-37
2927	Press Information Bureau . .	4837
2928	Islands under British Control	4838
2929	P. & T. Employees . . .	4838
2930	Hindi as a language of U.N.O. .	4838-39
2931	Expenditure on Defence .	4839-40
2932	Botanical Garden in NEFA .	4840
2933	Indian aid to Mauritius . .	4840
2934	L. I. Premia through Post Offices .	4841
2935	Unemployed Graduates . .	4841-42
2936	Army Cadet College, Poona	4842
2937	Visitors to Israel . . .	4842
2938	Pak. Nationals' visit to India .	4843
2939	Pak. Attack on Indian Security Forces .	4843
2940	Cancer-inducing Chemicals	4843-44
2941	Telephone Directory, Delhi .	4844
2942	Pak. allegations against India . . .	4844-45
2943	Engineering and Medical Services in Defence	4845

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2944	त्रिभुज राजपथ का निर्माण	4846
2945	राष्ट्रमण्डलीय सचिव .	4846
2946	युद्ध में गैस का प्रयोग .	4846–47
2947	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग	4847
2948	लौह अयस्क खान मजदूर कल्याण उपकर .	4847–48
2949	प्रधान मंत्री की रूस यात्रा	4849
2950	सैनिक इंजीनियरी सेवा, अम्बाला छावनी	4849–50
2951	कार्यक्रम अधिकारी	4850
2952	दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार	4851
2953	सेना मुख्यालय में हिन्दी का प्रयोग	4851
2954	आयुध डिपो में हिन्दी का प्रयोग . .	4852
2955	प्रतिरक्षा संस्थानों में हिन्दी का प्रयोग . .	4852–53
2956	कसौली में बंगलों का अधिग्रहण . .	4853
2957	सैनिकों के लिये ट्रांजिस्टर .	4853–54
2959	भारत-पाक सीमा सम्बन्धी श्वेत पत्र . . .	4854
2960	भारतीय वायु सेना के डकोटा विमान का नागालैंड में दुर्घटनाग्रस्त होना . .	4854
2961	मास्को जाने वाला भारतीय प्रतिनिधि मण्डल .	4854–55
2962	मद्रास में बेरोजगार व्यक्ति . .	4855
2963	चीन-पाक सीमा सन्धि के बारे में भारत का विरोध-पत्र	4856
2964	भारत-पाक सीमा विवाद . . .	4856
2965	भारतीय सीमा पर पाकिस्तानियों का गोली चलाना	4857
2966	कलकत्ता-आसनसोल ट्रंक केबल लिंक	4857
2968	संगोवाली गांव पर पाकिस्तान द्वारा छापा .	4857–58
2970	हल्के टैंकों का निर्माण	4858
2971	डाक और तार सर्किल, बम्बई	4858–59
2972	संयुक्त राष्ट्र संस्था सम्मेलन	4859
2974	पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव	4859–60
2975	दक्षिण वियतनाम के लिये डाक्टरी दल	4860

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2944	Construction of Tribhuvan Rajpath	4846
2945	Commonwealth Secretariat	4846
2946	Use of Gas in War	4846–47
2947	United Nations Population Commission	4847
2948	Iron Ore Mines Labour Welfare Cess	4847–48
2949	Prime Minister's Visit to Russia	4849
2950	M.E.S., Ambala Cantt.	4849–50
2951	Programme Executives	4850
2952	Educated Unemployed in Delhi	4851
2953	Use of Hindi in Army Headquarters	4851
2954	Use of Hindi in Ordnance Depots	4852
2955	Use of Hindi in Defence Establishments	4852–53
2956	Requisitioning of Bungalows in Kasauli	4853
2957	Transistors for Soldiers	4853–54
2959	White Paper and Indo-Pak. Border	4854
2960	I.A.F. Dakota Crash in Nagaland	4854
2961	Indian Delegation to Moscow	4854–55
2962	Unemployed persons in Madras	4855
2963	India's protest to Sino-Pak. Boundary Pact	4856
2964	Indo-Pak. Border Disputes	4856
2965	Pak. Firings on Indian Borders	4857
2966	Calcutta-Asansol Trunk Cable Link	4857
2968	Pak. raid on Sangowali Village	4857–58
2970	Manufacture of Light Tanks	4858
2971	P. & T. Circle, Bombay	4858–59
2972	United Nations Association Conference	4859
2974	Concentration of Pak. Troops	4859–60
2975	Medical Team for South Vietnam	4860

विषय	पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . 4860–72

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन — 4860–72

श्री रामेश्वर टांटिया . 4860

श्री मु० क० चागला . 4860–72

अनुपस्थिति की अनुमति 4872–73

खनिकों को जूते दिये जाने के बारे में वक्तव्य . . . 4873–74

सभा-पटल पर रखा गया पत्र 4874

माना शिविर में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . . 4874

श्री त्यागी . . 4874–80

केरल राज्य-विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरः स्थापित 4880–81

वित्त विधेयक, 1965 4881–4904

विचार करने का प्रस्ताव—

श्री ति० त० कृष्णमाचारी . 4881–84

श्री मी० रु० मसानी 4884–88

श्री चन्द्रिकी . . 4888–89

श्री मणियंगाडन . 4889

श्री प्रभात कार . . 4889–90

श्री जं० ब० सिं० बिष्ट . . 4891–93

श्री लीलाधर कटकी . . 4893–94

श्री उ० मू० त्रिवेदी . 4895–96

श्री बै० ना० कुरील 4896–97

श्री दे० जी० नायक . 4897–98

श्री गौरी शंकर कक्कड़ 4898–99

श्री अरुणाचलम . 4899–4900

श्री सुमत प्रसाद . 4900

श्री हेम राज 4900–01

श्री ज० ब० सिंह . 4901–02

श्री मुथिया . . . 4903–04

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी . . . 4904

Subject	PAGES
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .	4860—72
Agitation by students of Aligarh Muslim University	4860—72
Shri Rameshwar Tantia . .	4860
Shri M. C. Chagla . .	4860—72
Leave of Absence	4872-73
Re : Statement on supply of footwear to miners .	4873-74
Paper laid on the Table	4874
Statement *re* : Incident in Mana camp	4874—80
Shri Tyagi	4874—80
Kerala State Legislature (Delegation of Powers) Bill—Introduced	4880-81
Finance Bill, 1965 . .	4881—4904
Motion to consider—	
Shri T. T. Krishnamachari . . .	4881—84
Shri M. R. Masani	4884—88
Shri Chandriki	4888-89
Shri Maniyangadan	4889
Shri Prabhat Kar	4889-90
Shri J. B. S. Bist	4891—93
Shri Liladhar Kotoki	4893-94
Shri U. M. Trivedi	4895-96
Shri B. N. Kureel	4896-97
Shri D. J. Naik	4897-98
Shri Gauri Shankar Kakkar . . .	4898-99
Shri Arunachalam	4899-4900
Shri Sumat Prasad	4900
Shri Hem Raj	4900-01
Shri J. B. Singh	4901-02
Shri Muthiah	4903-04
Shri J. P. Jyotishi	4904

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 3 मई, 1965/13 वैशाख, 1887 (शक)
Monday, May 3, 1965/13 Vaisakha, 1887 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अश्लील चल चित्र

+
*1120. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 21 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने अश्लील चलचित्रों तथा इश्तिहारों का सार्वजनिक प्रदर्शन रोकने के लिये वर्तमान कानूनों की पर्याप्तता की जांच की है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का है ; और

(ग) क्या इस दृष्टि से व्यवहार संहिता बनाने के लिये चलचित्र उद्योग को प्रेरित करने का कोई प्रयास किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख). चल चित्र अधिनियम 1952 के अन्तर्गत, कोई भी फिल्म सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई जा सकती, जब तक कि उसे फिल्म सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र न मिल जाय। बोर्ड इस बात की तसल्ली कर लेता है कि उस की प्रमाणित फिल्म में ऐसे अश्लील दृश्य नहीं हैं जिनके देखने से लोगों का चरित्र गिरे।

733 (ai) LSD—3.

"अश्लील" फिल्म-पोस्टरों और विज्ञापनों को भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत लाने के लिये उसकी धारा 292 में संशोधन करने के सवाल पर गृह मंत्रालय विधि मंत्रालय के साथ विचार कर रहा है और उसे पक्का करने में कुछ समय लगेगा ।

(ग) फिल्म सामग्री का, जिसमें फिल्म पौस्टर, स्टिल, प्रेस प्रचार साहित्य और विदेशी फिल्म सम्बन्धी फिल्म सामग्री भी शामिल है, पूर्व-सेंसर करने के लिये जो अनौपचारिक समिति थी, सरकार ने उसे 24-2-1965 से केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में फिर से गठित किया है। इस समिति के 9 सदस्य हैं, जिसमें 7 फिल्म उद्योग के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं और दो सदस्य जन-मत के ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यद्यपि हम कलात्मक अभिव्यक्ति को सौंदर्य के विशेष रूप निश्चित करके सीमित नहीं करना चाहते फिर भी हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले में राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया गया है और क्या सरकार ने इस बारे में सोचा है कि वस्तुतः अश्लील कौनसी वस्तुएं हैं ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामनः राज्य सरकारों से सलाह ली जा रही है, वास्तव में इस सम्बन्ध में कई नियम हैं। उदाहरणार्थ नियम 1 (ख) में निम्नलिखित बातों का स्पष्टीकरण किया गया है :—

"(एक) अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहन ;

(दो) शिष्टता की सर्वमान्य मर्यादाओं का उल्लंघन ;

(तीन) अश्लील बातों और अनैतिकता का प्रदर्शन ;

(चार) अश्लील वस्तुओं अथवा अनैतिक बातों के संबंध में कीर्ति का वातावरण बनाना ।

इसी प्रकार नियम 1 सी और 1 डी है, किन्तु ये सिर्फ नियम ही हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं हमें यह देखना है कि संविहित उपबन्ध बनाये जायें और उसके लिये गृह-कार्य मंत्रालय से परामर्श किया जा रहा है। और वे विधि-मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं ; हम शीघ्रता करने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें थोड़ा और समय लगेगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को विभिन्न अन्य देशों में सौंदर्य की अभिव्यक्ति के विभिन्न कलात्मक स्वरूपों के बारे में जानकारी है, और 'अश्लील' शब्द की परिभाषा करते समय क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि विदेशों में 'अश्लील' किसे समझा जाता है और क्या सरकार आज इस बात का यकीन दिलाने के लिये तैयार है कि कुछ ऐसे भी अश्लील चलचित्रों के प्रदर्शन की अनुमति दी गई है जिन पर कानून के अन्तर्गत रोक लगाई जा सकती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : यह एक ऐसा शब्द है जिसकी अभी तक किसी भी देश में अथवा किसी भी भाषा में पूरी तौर पर परिभाषा नहीं की गई है और मैं समझती हूं कि इस शब्द की ठीक-ठीक व्याख्या करना हमारे लिए अति कठिन होगा ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हाः क्या सर्व सेवा संघ ने अश्लील पोस्टरों की प्रदर्शनी रोकने के लिये सरकार से कभी मदद मांगी थी, यदि हां, तो सरकार ने संघ को क्या मदद दी ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : हमें सेवा संघ तथा कुछ अन्य संगठनों से पत्र मिले। जैसा कि मैंने इस सभा में पहले घोषित किया है कि इन पोस्टरों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है और हमने इस प्रश्न की ओर कई बार उनका ध्यान दिलाया है।

श्री रंगा : मुझे हर्ष है कि 'अश्लीलता' की दी गई परिभाषाओं में से एक यह भी है कि कोई भी वस्तु जो शिष्टता की मान्य मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, वह अश्लील है। क्या मंत्रीगण तथा सर्वोच्च पदाधिकारी हमारे देश में निर्मित चलचित्रों को सिनेमा गृहों में आने से पूर्व इस दृष्टि से उन्हें देखते हैं कि वे कहीं शिष्टता के मान्य मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं करते हैं और क्या उन्होंने विशेषतः "संगम" नामक चिल चत्र देखा है और यदि हां, तो क्या उन्होंने इस चलचित्र में दिखाये गये दृश्यों अथवा चित्रों पर कोई विचार किया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मुझे माननीय नेता महोदय के सूचनार्थ यह कहना है कि दक्षिण भारत में निर्मित चलचित्रों की संख्या लगभग 146, बम्बई में 128 और बंगला में 70–80 है। हमारे लिये इनमें से प्रत्येक चल-चित्र को देखना संभव नहीं है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने "संगम" नहीं देखा है। वह समिति इस पर विचार कर रही है।

श्री रंगा : आपको समय-समय पर इनमें से कुछ चल चित्रों को अवश्य देखना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि सरकार विदेशी चलचित्रों तथा भारतीय चलचित्रों की जांच अलग अलग दृष्टिकोण से करती है ? भारतीय चलचित्रों में दो युवावस्था वाले व्यक्तियों के बीच दिखाई गई साधारण प्रेम-क्रीड़ा को अनुचित समझा जाता है जब कि विदेशी चल चित्र इससे भरे पड़े हैं। और जब पश्चिमी चलचित्रों को हमारे सिनेमागृहों में दिखाया जाता है, तो उनमें अत्यधिक भीड़ होती है क्योंकि लोग पाश्चात्य प्रेमिका के इस सहजाधिकार को पर्दे पर देखने के लिये उत्सुक होते हैं। इस प्रसंग में, इन दोनों के बीच निर्णय के स्तर में भिन्नता दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रंगा : उन में से बहुत से चलचित्रों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : माननीय सदस्य को विदित है कि कुछ चलचित्र आम प्रदर्शन के लिए तथा कुछ वयस्कों के लिये वर्गीकृत किये गये हैं। जिन पाश्चात्य चल चित्रों की ओर वह निर्देश कर रहे हैं उनमें से बहुत से चलचित्र सम्भवतः "क" वर्ग के होते हैं। किन्तु उसके अतिरिक्त, विज्ञापनों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

अध्यक्षमहोदय : माननीय सदस्य का कहने का आशय यह है कि मूल्यांकन करने के दो स्तर हैं। यह स्वाभाविक है कि दूसरे देशों में अश्लील चलचित्र का मूल्यांकन हमारे से भिन्न हो सकता है। जब वे किसी चल चित्र को अश्लील करार नहीं करते और वह चलचित्र हमारे देश में लाया जाता है, तो क्या बोर्ड ऐसे चलचित्र का मूल्यांकन हमारे स्तर के आधार पर करता है अथवा दूसरे देश में किये गये मूल्यांकन को ही मान लेता है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : उन चलचित्रों में भी बहुत काट-छांट की जाती है। जहां तक अश्लीलता का सम्बन्ध है, बोर्ड इस बारे में अपना निर्णय लेता है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार अमेरिका तथा पश्चिमी देशों से आर्थिक सहायता के लिये बहुतायत में आने वाले प्रार्थनापत्रों पर विचार करेगी जो कि भारतीय चल चित्रों में दिखलायी जाने वाली केवल समृद्धि के कारण आयेंगे ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : ऐसी कोई बात नहीं है, यह केवल एक वक्तव्य है ।

सिंगापुर में मछली पकड़ने की नावों का रोका जाना

+

*1121. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री राम हरख यादव :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर की मछली व्यापारी संस्था के अध्यक्ष ने 19 मार्च को सिंगापुर में विरोध प्रकट किया था कि भारतीय प्राधिकारियों ने 70 मछुओं और सात नावों को रोक लिया है ;

(ख) क्या मछुओं और उनकी नावों को छोड़ने के लिये मछुआ संस्था ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग को उसी दिन कानूनी नोटिस दे दिया था ;

(ग) क्या उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से पूछताछ करने के लिये रोका गया है ; और

(घ) भारत के समीप गैर परम्परागत जल प्रांगण में मलेशिया निवासियों के मछली पकड़ने की समस्या पर भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं । परन्तु सरकार को सिंगापुर मेरीन प्रोडक्ट्स वर्कर्स यूनियन के जनरल सैक्रेटरी से एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने उन नावों को छोड़ देने के बारे में लिखा था जिन्हें रोक लिया गया था ।

(ग) जी हां ।

(घ) अपने हाई कमिश्नर के जरिए हमने मलेशिया की सरकार से अनुरोध किया है कि वे अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने वाली नावों को भारत के प्रादेशिक समुद्र में घुसने से रोकें ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इंडोनेशिया से खतरे के कारण, मलेशिया वालों की नावें अब भारत के जल प्रांगण के आसपास आ रही हैं । यदि वे अकस्मात भारत के प्रादेशिक जल-प्रांगण में आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार उन नावों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री दिनेश सिंह : किसी विशेष नाव के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाए, इस बात का निर्णय स्थिति उत्पन्न होने पर ही लिया जायेगा । जहां तक इन नावों का सम्बन्ध है, हम उन्हें रोक लेते हैं और उनके नाविक दल से पूछ-ताछ करते हैं । जब हमें यह यकीन हो जाता है कि वे किसी दुर्भावना से नहीं अपितु गलती से आ गए हैं, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मलयेशियन मछेरों द्वारा मोटर-नावों तथा अत्यधिक आधुनिक जालों का प्रयोग, अण्डमान तथा नीकोबार में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिये एक समस्या बन गई है, यदि हां, तो क्या सरकार का मलेशिया के साथ, जिसके भारत के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं, इस सम्बन्ध में कोई समझौता करने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है, कि हमने उनसे इन अतिक्रमणों को रोकने के लिये कहा है ।

श्री राम हरख यादव : क्या भारतीय जल-प्रांगण में मछली पकड़ने के कार्य का कोई राजनैतिक महत्व भी है ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether Government of India have asked Malaysia about the quantity of fish they catch from here; and whether they pay anything to Government of India for their fishing operation there?

Shri Dinesh Singh: There is no question of number. They came in here by mistake and went back after fishing.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Retrenchment in Ordnance Factories

\+
*1122. **Shri Yudhvir Singh:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 35 per cent civilian employees working in the ordnance factories are likely to be retrenched;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether arrangements are being made to absorb them in alternative jobs?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पदन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रंगा : क्या भाग (क) के उत्तर का यह आशय है कि किसी प्रकार की छंटनी नहीं की जा रही है अथवा 35 प्रतिशत छंटनी नहीं की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में सदस्यगण अब पूछ सकते हैं ।

Shri Yudhvir Singh: In the light of the reply in the negative given by the hon. Minister, it may be that it is not 35 per cent retrenchment but according to my information, there are about 550 workers who have been retrenched. Most of them are skilled workers. I want to know as to whether a decline in the work-load is responsible for the retrenchment or whether there are other reasons due to which this retrenchment has been effected?

श्री अ० म० थामस : मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि आयुध कारखानों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की गई और न उनके बारे में इस समय या निकट भविष्य में छंटनी करने का कोई प्रस्ताव ही किया गया है । नियमित कर्मचारियों की संख्या एक लाख से भी अधिक है । उनके बारे में छंटनी का बिल्कुल कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु कुछ नैमित्तिक कर्मचारियों की, जिन्हें कपड़े के कारखानों में विशेष काम के लिये , यथा सिलाई आदि के काम के लिये रखा गया था, छंटनी

की गई है । ऐसे कर्मचारियों की संख्या 583 है । इनमें से अधिकतर कपड़े के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं क्योंकि कुछ कारखानों में कपड़े का उत्पादन तीन गुना और कुछ में चार गुना तक अधिक बढ़ गया है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तैयार माल उपलब्ध है ।

Shri Yudhvir Singh: What I wanted to know about was whether Government are in a position to absorb those skilled workers who have been retrenched as casual employees, in alternative jobs in those five ordnance factories which have been established by Government?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में हम उन सामयिक कर्मचारियों को अन्य नौकरियों में खपाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: If retrenchment is considered necessary to be effected, is it not possible for the Government to retrench those fifth columists who are working in ordnance factories?

श्री अ० म० थामस : इस सभा ने प्रायः सन्तोष प्रकट किया है कि आयुध कारखानो में सन्तोषजनक काम हो रहा है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य यह व्यंगोक्ति कैसे कर रहे हैं । जहां तक नये आयुध कारखानों का सम्बन्ध है, हमने निदेश दिये हैं कि इन संस्थानों और ई० एम० ई० वर्कशापों तथा मोटर-गाड़ी वर्कशापों में फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को उनमें खपाये जाने के बाद ही केवल उनके लिये अतिरिक्त भर्ती की जा सकेगी ।

श्री अ० प्र० शर्मा : मंत्रालय ने उन्हें अन्य नौकरी देने के सम्बन्ध में क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं ? क्या उन्होंने किसी अन्य मंत्रालय अथवा संस्थान से इस बारे में बातचीत की है ?

श्री अ० म० थामस : मैंने पहले ही यह बता दिया है कि आयुध कारखानों में नियमित कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं हुई है । जहां तक नैमित्तिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अन्य शाखाओं में काम बढ़ने पर उन्हें वास्तव में, फिर से खपा लिया जायेगा । यह प्रथा पहले भी अपनाई गई थी । यह कोई ऐसी बात नहीं है जो हाल ही के घटना के परिणामस्वरूप अपनाई जा रही हो । यद्यपि उन्हें अन्य नौकरी देने का दायित्व हमारा नहीं है तथापि हम इन लोगों के लिये अन्य नौकरी ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Bhagwat Jha Azad: You have given information about those casual workers working in ordnance factories who are retrenched and absorbed again from time to time. May I know the number of persons who are to be retrenched out of these 583 and the time by which these workers will be re-employed?

श्री अ० म० थामस: जहां तक नैमित्तिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है । जहां तक उन्हें फिर से नौकरी देने का सवाल है, उनमें से कुछ कर्मचारी फिर से नौकरी पर रख लिये गये है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know since how long these 583 retrenched employees had been working and whether any compensation will be paid to them and whether Government propose to provide them with something until they are absorbed again?

Mr. Speaker: The hon. Minister said that they were casual workers as such there was no obligation to provide them with alternative employment, hence they are not entitled to get any compensation.

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether there are workers' Unions functioning in these ordnance factories; and if so, whether there is also any Union also sponsored by the leftist Communists?

श्री अ० म० थामस : जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वे आम तौर पर दो श्रमिक संगठनों (फेडरेशन्स) के सदस्य हैं । एक प्रतिरक्षा कर्मचारी संगठन है और दूसरा राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन है । वे इन दो संगठनों से सम्बद्ध हैं । और ये दोनों ही संगठन मान्य हैं ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि आयुध कारखानों में कार्मिक संघों का संचालन करने वाले नेताओं में से कम से कम एक नेता को नज़रबन्द किया गया था क्योंकि "नेफा" सीमा पर जो हमारी सेनाओं ने कुछ कुचेष्टापूर्ण गतिविधियां देखीं, जांच करने पर मालूम हुआ कि उनमें इस नेता तथा उस संघ का हाथ था जिसका वह नेतृत्व कर रहा था ।

श्री अ० म० थामस : कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उन्हें नौकरी से भी हटा दिया गया है ।

श्री रंगा : वह अब भी नज़रबन्द है और उसका श्रमिकों तथा कारखाने में अब भी रसूख है ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि आयुध कारखानों और ई० एम० ई० वर्कशापों में नियमित कर्मचारियों की छंटनी की कोई सम्भावना नहीं है । क्या यह सच है कि ई० एम० ई० वर्कशॉप के लगभग 600 कर्मचारियों को 1 मई, 1965 को नोटिस दिये गये हैं जिनकी अवधि 31 मई, 1965 को समाप्त होने वाली है और क्या मैं जान सकता हूं कि हाल ही में अपनी सीमाओं पर उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सारी स्थिति पर फिर से विचार करेगी और छंटनी को तब तक के लिये बिल्कुल बन्द कर देगी जब तक आक्रमणकारियों को भारतीय भूमि से खदेड़ा न जाये ?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में यह अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । मेरी राय में इसका संबंध प्रश्न संख्या 1136 से है । फिर भी मैं इसका उत्तर दे देता हूं । ई० एम० एस० वर्कशाप के कर्मचारियों को नोटिस जारी नहीं किये गये हैं । नोटिस केवल उन्हीं व्हिकिल डिपो कर्मचारियों को जारी किये गये हैं जिनकी संख्या 600 से कम है । उन्हें पहले 31 दिसम्बर तक के नोटिस दिये गये थे । बाद में इस अवधि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया और अब अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है । हम उनके मामले पर विचार कर रहे हैं । जैसा कि मैंने पहले संकेत दिया, हम उन्हें अन्य स्थानों में खपाने की कोशिश कर रहे हैं । हमने उनके नाम विभिन्न कारखानों में खपाए जाने के लिये एडजूटेंट-जनरल को भेज दिये हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार छंटनी रोकने जा रही है ?

श्री अ० म० थामस : मोटरगाड़ियों के बारे में नीति के कारण यह चीज़ उत्पन्न हुई है, अर्थात् उन गाड़ियों को, जो सात वर्ष से प्रयोग में लाई जाती रही है अथवा जो 35,000 मील चल चुकी है, त्याग दिया जाना चाहिये क्योंकि वे काम में नहीं लाई जा सकतीं। हाल की घटनाओं से यह और भी अधिक ज़रूरी हो गया है कि नई गाड़ियां काम में लाई जायें और यदि आवश्यक हो तो अन्य असैनिक गाड़ियां भी प्रयोग में लाई जायें। फिर भी, हम उन लोगों को खपाने की कोशिश कर रहे हैं। ई० एम० ई० वर्कशापों में फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को खपाने के प्रश्न की एक समिति द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि समिति के कोई विशेष निर्देश पद नहीं हैं, परन्तु हम देखेंगे कि इन 600 व्यक्तियों में से कितने खपाए जा सके हैं और उनके मामलों की जांच करेंगे।

डा० रानेन सेन : हमें बताया गया है कि ब्योरे में पड़ने के लिये एक समिति कायम की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने से पहले अभी और सामयिक श्रमिकों की छंटनी करने जा रही है ?

श्री अ० म० थामस : यह सामयिक श्रमिकों का मामला नहीं है। आयुध कारखानों के मामले में सामयिक श्रम का प्रश्न उठा था। उनका मामला इस समिति को नहीं सौंपा गया है। इस समिति को उन कर्मचारियों का मामला सौंपा गया है जो ई० एम० ई० वर्कशापों में फालतू घोषित कर दिये गये हैं, क्योंकि हम इन वर्कशापों का पुनर्गठन करना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि क्या हम उन्हें खपा सकेंगे आदि।

संयुक्त प्रबन्ध परिषद्

1123. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें बन गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस व्यवस्था से मजदूरों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों में सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या जिन स्थानों पर ये परिषदें काम कर रही हैं, वहां इस समय कोई विवाद नहीं है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना और भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार संयुक्त प्रबन्ध परिषदें केवल ऐसे उपक्रमों में स्थापित की जानी हैं जहां पर उनके सफलतापूर्वक काम करने की स्थिति विद्यमान हो और जो इन परिषदों को स्थापित करने के लिये इच्छुक हों। इस समय सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार के 36 प्रतिष्ठानों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें काम कर रही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) 6 इकाइयों में विवादों की सूचना दी गई है। इनमें से तीन सरकारी क्षेत्र में और तीन निजी क्षेत्र में हैं।

श्री सुबोध हंसदा : चूंकि मंत्री महोदय ने कहा है कि विवाद अभी भी संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के पास पड़े हुए हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये परिषदें श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हुई हैं ?

श्री संजीवय्या : मैं यह बता चुका हूं कि इन परिषदों की नियुक्ति से शांतिपूर्ण वातावरण तथा अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित करने में सफलता मिली है । परन्तु छै इकाइयों के बारे में जिन विवादों का उल्लेख किया गया है वे बोनस, मजूरी, आदि से संबंधित हैं, जिन पर इन परिषदों द्वारा चर्चा नहीं की जानी है ।

श्री सबोध हंसदा : क्या ये परिषदें निर्वाचित निकाय हैं अथवा सरकार द्वारा श्रमिकों में से इन के सदस्य मनोनीत किये जाते हैं ?

श्री संजीवय्या : सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला श्रमिक संघ अपने प्रतिनिधि मनोनीत करेगा और प्रबन्धकगण अपने प्रतिनिधि मनोनीत करेंगे और बराबर-बराबर संख्या में दोनों को इस परिषद् में लिया जायेगा ।

श्री ओझा : क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ की राय में यह योजना बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को लागू करने से पहले श्रमिकों की शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को सब से अधिक प्राथमिकता देगी ?

श्री संजीवय्या : मुझे उक्त संघ की राय की कोई जानकारी नहीं है परन्तु जहां तक श्रमिक शिक्षा संबंधी योजना का संबंध है उसका विस्तार करने के लिये सभी कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या इन परिषदों की नियुक्ति से उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी तथा किस प्रकार के उपक्रमों में ?

श्री संजीवय्या : हां, इस से उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु मैं इस समय विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether in view of the disputes regarding bonus still lying with the joint management councils, Government propose to present the report of the Bonus Committee in this very session?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya): So far as the question of bonus is concerned, it has been suggested on many occasions here that a Bill should be brought before the House, and that will be brought forward very soon. But I have not been able to understand as to what bonus committee the hon. Member is referring to.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: It is an important question. We have been asking the Government about this for the last 1½ years, but any satisfactory reply has not been given to us. We want that the report of the Bonus Committee should be brought before the House soon but we are being deprived of it. We want to know

whether the same would be brought before the House in this session or not.

Mr. Speaker: This question is asked every Friday from the hon. Minister of Parliamentary Affairs and he replies that it is going to be introduced.

श्री स० च० सामन्त : क्या सरकार को पता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी ऐसी कुछ श्रम प्रबन्ध परिषदें काम कर रही हैं ? यदि हां, तो हमारी परिषदों की तुलना में उनकी प्रगति कैसी रही है ?

श्री संजीवय्या : गैर-सरकारी क्षेत्र में भी संयुक्त प्रबन्ध परिषदें काम कर रही हैं। उनकी संख्या लगभग 61 है और वे वे खूब अच्छी तरह से अपना कार्य कर रही हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Sir, on a point of order.....

Mr. Speaker: I cannot help him. This question is asked every Friday and an answer is also given.

Shri Bhagwat Jha Azad: When Government has realised the usefulness of these joint management councils not only in principle but also on the basis of experience, then what is the reason that after all these years the joint management councils have been established in only 36 public undertakings in the country?

श्री संजीवय्या : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 176 है जिन में से 36 ने सयुक्त प्रबन्ध परिषदें बनाली हैं। यहां पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मालिकों तथा श्रमिक संघों द्वारा ऐसी व्यवस्था का काफी विरोध किया जाता है। विचार गोष्ठियां आदि करके उन्हें इसके फायदों से अवगत कराया जा रहा है ताकि वे ऐसी व्यवस्था करने के लिये आसानी से राजी हो जायें।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस्पात कारखानों तथा हेवी इलेक्ट्रिकल्स में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें स्थापित नहीं की गई हैं। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं कि यदि ऐसी परिषदें एक श्रमिक संघ की सहायता से नहीं बनाई जा सकतीं हैं तो दोनों श्रमिक संघों की सहायता से इन्हें बनाया जाये ?

श्री संजीवय्या : मेरी राय में इस्पात कारखानों में कोई संयुक्त प्रबन्ध परिषद् स्थापित नहीं की गई है। मेरे पास इन सभी 36 उपक्रमों की सूची है। जहां ये परिषद् स्थापित की जा चुकी हैं। यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अन्य उपक्रमों में इनके स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री संजीवय्या : जहां पर ये ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही हैं ? यदि ऐसे मामलों की हमें सूचना दी जायेगी, तो हम अवश्य ही उनकी जांच करेंगे।

श्री काशी नाथ पांडे : क्या यह सच है कि ये परिषदें अधिक सफल सिद्ध नहीं हुई हैं क्योंकि प्रबन्धकगण श्रमिकों को विश्वास में नहीं ले रहे हैं और इसलिये भी कि एक कार-

खाने में कई श्रमिक संघ हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने का प्रश्न उठ खड़ा होता है ?

श्री संजीवय्या : जी नहीं । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ को ही संयुक्त प्रबन्ध परिषद् में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये कहा जाता है । जहां तक अन्य बातों का संबंध है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि प्रबन्धक ऐसी व्यवस्था करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

डा० रानेन सेन : संयुक्त प्रबन्ध परिषदें स्थापित करने का विचार सर्व प्रथम 1957 में त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में सुझाया गया था तब यह निर्णय किया गया था कि इन परिषदों में केवल श्रमिकों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जायेगा चाहे वे किसी भी श्रमिक संघ से संबंध रखते हों । क्या मैं जान सकता हूं कि निर्णय में यह परिवर्तन करने के क्या कारण हैं कि सबसे अधिक संख्या में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ के प्रतिनिधियों को ही इन परिषदों में स्थान दिया जायेगा ?

श्री संजीवय्या : मुझे निश्चत जानकारी नहीं है कि भारतीय श्रम सम्मेलन में ऐसा कोई निर्णय किया गया था अथवा नहीं । परन्तु मेरे पास इस समय जो कागजात हैं उन से पता चलता है कि केवल सब से अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक संघ को ही इन परिषदों में स्थान दिया जायेगा ।

भारत-लंका करार

*1124. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पांडय :
श्री मुरली मनोहर :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री कोया :
श्री किन्दर लाल :
श्री बृजवासी लाल :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री कनकसबै :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल सरकार भारतीय उद्भव के राज्यविहीन व्यक्तियों सम्बन्धी-भारत लंका करार में रूप-भेद करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव क्या हैं और उन पर कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या लंका सरकार ने कोई सुझाव दिया है कि भारत-लंका करार के समय स्वीकार की गई 5,25,000 भारत मूलक व्यक्तियों की वापसी की 15 वर्षीय अवधि कम कर दी जाये और उनकी वापसी की गति को पहले स्वीकार की गई गति से अधिक तेज किया जाये ? यदि हां, तो प्रस्तावित नई समय सीमा क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं । उन्होंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि लंका के प्रधान मंत्री लंका के भारतीयों के साथ करार पर आगे चर्चा करने के लिये भारत के प्रधान मंत्री के साथ एक शिखर सम्मेलन करने के लिये इच्छुक हैं ? क्या उन्हें इस बारे में लंका के प्रधान मंत्री से कोई औपचारिक सन्देश मिला है ?

श्री दिनेश सिंह : समाचार पत्रों में छपी सूचना की ओर हमारा ध्यान गया है परन्तु कोई औपचारिक सन्देश प्राप्त नहीं हुआ है ।

Shri Rameshwar Tantia: May I know whether there has been any change in the attitude of the present Government of Ceylon towards the persons of Indian origin in Ceylon or their attitude remains the same as that of the previous Government there?

Shri Dinesh Singh: It can only be known after having talks with them.

Shri Prakash Vir Shastri: The Ceylonese Prime Minister made a proposal in the Ceylonese Parliament about seeking a meeting with the present Prime Minister of India. We have our High Commissioner there. Did he try to ascertain from the Ceylonese Prime Minister as to what topics he would like to discuss a new with our Prime Minister in the proposed meeting? Has any information been received from our High Commissioner in this connection?

Shri Dinesh Singh: I have just now said that we have seen Press reports to the effect that the Prime Minister of Ceylon is

seeking to further discuss the Indo-Ceylon Agreement with our Prime Minister. The question as to what topics he would like to discuss has not arisen as yet.

Shri Prakash Vir Shastri: Has our High Commissioner sent any information?

Shri Dinesh Singh: The Ceylonese Prime Minister made this proposal in the Ceylonese Parliament.

Mr. Speaker: Has any information been received through diplomatic channels?

Shri Dinesh Singh: No information has been received as yet.

Shri Yashpal Singh: Our Prime Minister was to visit Ceylon in January, but it was postponed. May I know whether the refugees whose fate still hangs in balance have been assured that this problem would be settled? Will the new changes be effected on the official level or the Prime Ministers' level?

Shri Dinesh Singh: The question of any changes does not arise at present.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों, विशेषकर लंका के समाचार-पत्रों में, छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हमारे प्रधान मंत्री ने लंका के नये प्रधान मंत्री से भारत-लंका करार को कार्यान्वित करने के लिये कहा है क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस हालत में हमारे प्रधान मंत्री के लिये भारतीय संसद् को सन्तुष्ट करना कठिन हो जायेगा ? यदि हां, तो करार के गुणदोषों पर निर्भर करने के बजाय हमारे प्रधान मंत्री भारतीय संसद् को बीच में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : प्रधान मंत्री ने इस संबंध में कुछ नहीं लिखा है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Most of the persons concerned with this agreement are not agreeable as far as its implementation is concerned. The joint meeting of officials of both the countries as envisaged in the agreement has not been held so far. May I know whether it is not an indication of the necessity of some improvements in the agreement?

Shri Dinesh Singh: That meeting has taken place and I gave its details to the House.

Shri Bhagwat Jha Azad: Mr. Speaker, Sir, the reply is not to the point. If we persist on it, then you say that we indulge in discussion in the question hour. We do not want discussion, but it would be proper if the Minister or the Deputy Minister answers the questions after a thorough study. Otherwise we are not going to tolerate the replies which are given merely to mislead us.

श्री रंगा : क्या हाल ही में किये गये करार के पश्चात् लोगों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हमें यह आश्वासन दिया जायेगा कि इस देश में जो कुछ भी प्रतिक्रिया हुई है

तथा जो भी टिप्पणियां की गई हैं, सरकार उन सब को ध्यान में रखेगी और सार्वजनिक नेताओं, विशेषकर दक्षिण भारत के जहां से बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग लंका चले गये थे, से सम्पर्क बनाए रखने की कोशिश करेगी और ऐसा करने के पश्चात् ही सरकार लंका की सरकार अथवा लंका के प्रधान मंत्री से आगे चर्चा करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : सरकार इस सभा में अथवा देश में अन्यत व्यक्त किये गये विचारों को अवश्य ही ध्यान में रखती है । श्रीमान्, जैसा कि आपको पता ही है, कि सरकार ने मद्रास सरकार के प्रतिनिधियों को भी इस बात चीत में शामिल किया है और वह जनता की राय को ध्यान में रखती है । मैं आपकी अनुमति से श्री भागवत झा आजाद द्वारा कही गई बातों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । माननीय सदस्यों को गुमराह करने का हमारा कोई इरादा नहीं है । मैंने तो यह कहा था कि बातचीत हुई थी और मैंने उसका विवरण भी दे दिया था केवल उनकी धारणा को ठीक करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है ।

श्री मुथिया : क्या यह सच है कि लंका में बसे तमिल लोगों के नेता तथा इस समय लंका के मंत्री श्री थोंडामन भारत-लंका करार पर पुनर्विचार किये जाने के पक्ष में हैं क्योंकि उन के मतानुसार वर्तमान करार भारतीय निवासियों के बहुत अधिक हित में नहीं है और इस करार पर कार्रवाई करने से पहले इसकी शर्तों में परिवर्तन करने के लिये फिर से विचार विमर्श होना चाहिये ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हां । श्री थोंडामन ने ऐसे विचार व्यक्त किये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Shri Kishen Pattnayak: My name as well as Shri Madhu Limaye's name is also clubbed with this question. Shall we not be given an opportunity to ask supplementaries?

Mr. Speaker: The names of the hon. Members have been left out through an oversight. I shall give them an opportunity at the time of the next question.

सिख तीर्थ-यात्रियों को पाकिस्तानी बीसा

+

*1125 { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री नि० चं० चटर्जी :
श्री बड़े :
श्री हरि विष्णुकामत :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव : }

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने 1965 में वैसाखी के रोज रावलपिण्डी के समीप पंजा साहब जाने वाले और 200 सिख तीर्थ यात्रियों को बीसा देने से इन्कार कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने इसका यह कारण बताया है कि इसके लिए प्रार्थना बहुत देर से की गई थी और यात्री दलों के नेताओं और यात्रियों के नाम उन्हें नहीं बताए गए थे । ये कारण मानने लायक नहीं हैं । पाकिस्तान सरकार ने पहले भी यात्रियों के लिये अनुमति नहीं दी थी हालांकि तब काफ़ी समय पहले प्रार्थना की गई थी । इसी तरह पहले कई मौकों पर वे दलों के नेताओं के और यात्रियों के नाम मिलने से पहले ही यात्री दलों को यात्रा की अनुमति देने के लिए राज़ी हो गए थे ।

श्री रामेश्वर टांटिया : 1964 में भारत में आने वाले तथा पाकिस्तान को जाने वाले यात्रियों की संख्या क्या थी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस के लिये मुझे अतिरिक्त पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार यह महसूस करती है कि यात्रा के लिये "वीसा" देने तथा यात्रियों को रोकने के लिये पाकिस्तान सरकार ने जो कारण बताये हैं वे उचित नहीं हैं तथा क्या भारत सरकार भी इस बात पर विचार करेगी कि इस प्रयोजन के लिये पाकिस्तान से आने वाले लोगों को "वीसा" न दिया जाये ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : अब तक हम ने कोई कार्रवाई नहीं की है । भारत में यात्रियों को आने के लिये अनुमति देने में हम बहुत उदार रहे हैं । जब, उन्होंने तीन महीने की सूचना का पालन नहीं भी किया तो भी हम ने उन्हें अनुमति दी है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether it is a fact that these people had submitted their applications for 'visas' much in advance? May I also know whether the applications were not being given in time in this way for the last so many years? Is it also a fact that Pakistan's intentions were not good this time as that country wanted to commit aggression on India. Thus keeping in view that when these people visit Pakistan they will come to know the inside secrets of Pakistan, she had not granted visas to them. May I know how far it is correct?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह प्रश्न तो अतिरिक्त यात्रियों के 'वीसा' के बारे में पूछा गया था । मेरे विचार से एक हजार से अधिक यात्रियों को जाने दिया गया था और विरोधी दल के एक सदस्य भी उन यात्रियों में से एक थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार ने भारत में मुस्लिम मजारों और स्मारकों के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान समझौते को तो मान लिया है परन्तु पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिक्खों की समाधियों आदि और अन्य स्मारकों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं माना है और यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में कितनी बार आकर्षित किया गया है और उस का क्या परिणाम निकला है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : समझौते के अन्तर्गत तीन महीने की सूचना अपेक्षित है...

श्री हरि विष्णु कामत : किस प्रयोजन के लिये ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : वीसा के लिये आवेदन-पत्र देने के लिये।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने मेरा प्रश्न बिल्कुल नहीं समझा है ।

अध्यक्ष महोदय : उनको उत्तर दे लेने दीजिये। यदि उत्तर अधूरा हो तो माननीय सदस्य पूछ सकते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान जाने के लिये तथा पाकिस्तानी यात्रियों को भारत आने के लिये वीसा तथा आज्ञा-पत्र (परमिट) लेने के लिये समझौते के अन्तर्गत तीन महीने की सूचना देनी होती है । इस मामले में जो कारण बताया गया है वह मानने लायक नहीं है, जैसा मैं अपने मुख्य उत्तर में कह ही चुकी हूं । उन्होंने यह कारण इस लिये बताया है क्योंकि हमने अतिरिक्त यात्रियों के लिये आवेदन-पत्र 9 अप्रैल को ही दिया था।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, क्या आपको उनका उत्तर सुनने से यह यकीन नहीं हो गया है कि उनका ध्यान इसके सुनने में नहीं था ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । इसलिये मैं सूचना देना चाहता हूं । यह सच है कि हिन्दू तथा सिक्ख धार्मिक संस्थायें--जैसे गुरुद्वारे तथा समाधियां आदि--जो पाकिस्तान में रह गये हैं, उन के सम्बन्ध में बहुत पत्र-व्यवहार हुआ है तथा इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था हुई है वह बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है । इस बारे में अन्तिम सम्मेलन लगभग 5, 6 वर्ष पूर्व हुआ था । इसके पश्चात् यह मामला कई बार उठाया गया है परन्तु कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकला है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं प्रसन्न हूं कि मंत्री महोदय ने बहुत संतोषजनक उत्तर दिया है । परन्तु आप उस मंत्री महोदया से कैसे व्यवहार करना चाहेंगे जो पूर्ण रूप से असावधान थीं--मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मैं, सभी सदस्यों तथा मंत्रियों से प्रार्थना करता हूं हूं कि वे सब बहुत सावधान रहें ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु आप ऐसे व्यक्तियों से कैसे व्यवहार करेंगे जो सावधान न हों ? उन्होंने उत्तर में कहा था कि ऐसा करना समय को नष्ट करना है ।

Shri Prakash Vir Shastri: The Indian Government has been liberal in providing facilities to the people of Pakistan to visit pilgrimages in India. But keeping in view the sort of treatment meted out by Pakistan Government to those persons who wanted to go to the pilgrimages in Pakistan but were not given permission although they had submitted their applications in time, have the Indian Government sent a protest note to Pakistan Government although they are following the same general policy?

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले में, जैसे मंत्री महोदय बतला चुके हैं, जहां तक अतिरिक्त 200 यात्रियों का सम्बन्ध है उनके बारे में हमने बहुत कम समय की सूचना दी थी । मेरे

विचार से लगभग तीन दिन पूर्व सूचना दी गयी थी। इसका कारण यह था कि यात्रियों के इस दल में यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि हम ने विचार किया कि जिन हजार व्यक्तियों को भेजने का पहले ही निर्णय कर लिया गया है उस से प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता था। इस लिये हम ने 200 और यात्रियों को भेजना चाहा। भविष्य में हम को और अधिक सूचना देनी पड़ेगी। यदि हमें पाकिस्तान से भी उतनी ही कम अवधि वाली सूचना मिली तो निश्चय ही हम भी वैसा ही व्यवहार करेंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान ने भी कोई शिकायत की है कि हम ने बिना जांच पड़ताल किये ही कई बार यात्रियों को भेज दिया था जिसका परिणाम यह हुआ कि जब वे वहां गये तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

Shri Joachim Alva: May I know whether our Government have brought this thing to the notice of the Pakistan Government that every year we are sending as many as twelve thousand Muslims for Haj pilgrimage. We have been sending them there since the Britishers left and not from today and thus we have been spending foreign exchange? So much so, we even allowed Sheikh Abdullah for Haj pilgrimage. So, may I know whether they have also given weight to the secular character of our country?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। हमारे देश में सभी अल्पसंख्यकों को पूर्ण स्वतंत्रता है दी गई है तथा जो कुछ भी हम अल्पसंख्यकों के लिये करते हैं जिस में मुस्लमान भी होते हैं, उस के लिये हमें गर्व है। मेरे विचार से इस के लिये पाकिस्तान को प्रशंसा के पात्र बनने की हमें आवश्यकता नहीं है। वे अपनी नीति का अनुसरण करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Sir, I want the answer in Hindi.

श्री नाथ पाई : 'वीसा' लेने की कठिनाई को छोड़ कर पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा भारत के विरुद्ध सामान्य युद्ध करने की धमकी को ध्यान में रखते हुए सरकार यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों को क्या मंत्रणा देगी ? क्या इन यात्रियों को यह जोखिम ले लेना चाहिये या सरकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी पर छोड़ रही है या पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दी गई सामान्य युद्ध की धमकी को ध्यान में रखते हुए उन्हें नीति सम्बन्धी कोई आदेश दिये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न भूतकाल के सम्बन्ध में पूछा गया था। इसलिये यह प्रश्न संगत नहीं है......

श्री नाथ पाई : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि यह प्रश्न इतना असंगत नहीं है। हम भी सोचसमझ कर प्रश्न करते हैं। प्रत्येक देश युद्ध के समय अपने नागरिकों को विशेष तरीके से चलने के लिए मंत्रणा देता है। मैं यह जानने का इसलिये इच्छुक हूं क्योंकि युद्ध की धमकी दी गई है; यह समाचारपत्र की खबर तो है नहीं, यह तो पाकिस्तान के उच्चतम कार्यकारी ने कहा है।

733 (Ai) LS—11.

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कभी नहीं कहा है कि माननीय सदस्य सोचसमझ कर प्रश्न नहीं पूछते हैं ।

श्री नाथ पाई : यदि प्रश्नों को बिना सोचे समझे नियमों के विरुद्ध ठहराया जाता है तो हमारे मन में यह धारणा पैदा हो जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बात को मानने से कभी इन्कार नहीं किया है कि सदस्य सोचसमझ कर ही प्रश्न करते हैं । उनमें सूजबूज बहुत होती है मैं यह भी मानता हूं । मेरे में यह कमी हो सकती है, इस लिये मैं इस पर जोर नहीं देता हूं । जो बात मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता था वह यह थी कि जो 200 यात्री पाकिस्तान जाना चाहते थ उनको 'वीसा' नहीं दिया गया था । परन्तु अब माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार यात्रियों को क्या मंत्रणा देगी....

श्री नाथ पाई : यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों को क्या मंत्रणा दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

श्री नाथ पाई : मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है तथा इस प्रकार बिना सोचे तथ्यों में न जा कर प्रश्न को अस्वीकार करने से मैं प्रभावित नहीं हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को कैसे सन्तुष्ट कर सकता हूं ?

श्री नाथ पाई : आप इसे नियम बाह्य ठहरा सकते हैं परन्तु "असंगत" शब्द से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन

+
*1127 **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री तुला राम :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अप्रैल के पहले तीन सप्ताह में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू तथा काश्मीर के सीमा क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा का अनेक बार उल्लंघन किया ;

(ख) यदि हां, तो अतिक्रमण की इन घटनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा प्रत्येक पक्ष के कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान ने 200 युद्ध-विराम उल्लंघन किये हैं जिनमें 32 भारतीय सीमा के अतिक्रमण हैं, 152 युद्ध विराम रेखा के दूसरी ओर से हमारी चौकियों तथा पिकैटों पर फायर करने

सम्बन्धी हैं और बाकी 16 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर रक्षा व्यवस्था मजबूत करने सम्बंधी हैं ।

इसके परिणामस्वरूप 2 भारतीय मारे गए तथा 9 को चोटें आई । पाकिस्तान की ओर 15 आदमी मारे गये और 20 घायल हुए ।

(ग) हमारी सुरक्षा सेना सारी सीमा पर लगाई गई है । वे लगातार देख-रेख रखते हैं औ गश्त लगाते रहते हैं । जहां कहीं भी आवश्यक हो हमारी सुरक्षा सेना द्वारा जवाबी फायर किया जाता है । इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों के पास युद्ध-विराम उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतें की जाती हैं और पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे जाते हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पेकिंग से पाकिस्तान के प्रेजीडेंट के लौटने के बाद से युद्ध विराम उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो गई है तथा क्या विदेशों के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों के साथ युद्ध विराम रेखा के साथ साथ सक्रिय दिखाई पड़ रहेहैं यदि हां तो ये विदेशी सैनिक किन किन देशों से आये हुए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): हमने देखा है कि इन उल्लंघनों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति 1964 के आरम्भ से हुई है क्योंकि 1963 के आंकड़ों की तुलना में 1964 में 300 प्रतिशत वृद्धि हुई है । 1965 के प्रथम तिहाई में भी वही प्रवृत्ति दिखाई देती है । इन मामलों के सम्बन्ध में हम अपना अनुमान स्वयं लगा सकते हैं । हमने दूसरी ओर कोई विदेशी प्रेक्षक या विदेशी सैनिक नहीं देखे हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इन सीमा उल्लंघनों में पाकिस्तान ने अमरीकी हथियारों का भी प्रयोग किया था उस एक के बिना जिस से पंजाब के मुख्य मंत्री घायल हो गये थे परन्तु बच गये थे । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह मामला अमरीकी प्राधिकारियों के ध्यान में भी लाया गया है और यदि हां तो उस का क्या परिणाम निकला ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : विशेषकर उस समय से जिस समय से इस प्रश्न का सम्बन्ध है हमने कोई भी अमरीकी हथियार नहीं देखे ।

डा० सरोजिनी महिषी : इन उल्लंघनों के सम्बन्ध में हमने पाकिस्तान को विरोध-पत्र भेज दिये हैं । संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के पास शिकायतें भेज दी हैं । इसलिये मैं यह जानना चाहती हूं कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों को जो शिकायतें भेजी गईं हैं उन पर संयुक्त राष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : सामान्य प्रथा तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक शिकायतों की विस्तार से जांच करते हैं और तब उस मामले पर अधिमत (वरडिक्ट) देते हैं ।

डा० सरोजिनी महिषी : उन की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

Shri K. N. Tiwary: In the report regarding border violations it has been submitted that Chinese doctors and military personnel were also accompanying the Pakistani army. May I know whether Government have received any information that this report is correct or not?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरा ख्याल है कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। हम ने किसी भी चीनी को कहीं भी—विशेषकर युद्ध-विराम रेखा पर—नहीं देखा है।

श्री हेम बरूग्रा : पाकिस्तान द्वारा निश्चय की गई युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघनों के अतिरिक्त यह बताया गया है कि युद्ध-विराम रेखा के बिल्कुल समीप ही पाकिस्तानी सैनिकों का भारी जमाव है। इस के अतिरिक्त प्रेजोडेन्ट अय्यूब खां ने पूर्ण युद्ध छेड़ने की धमकी दे रखी है। इसलिये इन बातों को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है तथा इस विशेष क्षेत्र में उत्पन्न हुई नई घटनाओं के प्रति हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : निस्संदेह ऐसे समाचार मिले हैं कि युद्ध विराम रेखा के पास तथा उस के पार भी पाकिस्तानी सेना का जमाव है। हम ने प्रेजीडेन्ट अय्युब खां का धमकी वाला भाषण भी पढ़ा है। परन्तु इन धमकियों से हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमें इन धमकियों से डरना भी नहीं चाहिये।

श्री नाथ पाई : हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने इस बात को तो स्वीकार कर ही लिया है कि न केवल जम्मू और काश्मीर में ही बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण सीमा पर आक्रमण की घटनायें बहुत ही बढ़ गई हैं। क्या प्रतिरक्षा मंत्री या उनके सलाहकार यह समझते हैं कि उनका विचार देश पर भारी आक्रमण करने का होगा परन्तु उनकी चाल छोटे-छोटे आक्रमण कर के सारी सेना को विभक्त करने की है ? यदि हम उनको ऐसा करने देते हैं तो इसका सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं सभा को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम समय-समय पर स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं तथा सेना की व्यवस्था की जा रही है। निश्चय ही हमने इस बात को ध्यान में रखा है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता।

Shri Madhu Limaye: While speaking on the Demands for Grants of the Ministry of Defence the hon. Defence Minister had announced that in case any country committed aggression on India, our forces would teach them a good lesson. He has also expressed the same views at other places also. Now when Pakistan has not only trangressed the Indian territory but have actually committed aggression on places like Kutch, Jammu and Kashmir and Eastern parts of the country, can our forces go inside the territory of Pakistan and commit aggression there? Has any restriction been imposed on them? Perhaps you may say that the question could not be replied but such news is there in the papers that our forces are not allowed to enter their territory. I would, therefore, like to know the policy, Government have adopted in this connection? Have our Government or the Ministry of Defence imposed any such restrictions on the forces?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार से ऐसी अफ़वाहों तथा चर्चाओं से न केवल सेना को तथा सरकार को ही बल्कि देश को भी हानि होती है।

Shri Madhu Limaye: It was published in yesterday's Statesman.

Shri Y. B. Chavan: You may have faith in the news of The *Statesman* but I don't.

Shri Madhu Limaye: It is a question of policy.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं केवल यह कह सकता हूं कि सभी नीति सम्बन्धी मामलों में सरकार को निर्णय करने पड़ेंगे ।

अन्ततः सरकार का प्राधिकार ही अधिक महत्वपूर्ण है सैनिक प्राधिकार नहीं । निश्चय ही युद्ध संचालन संबंधी कार्यवाही में सेना की बात ही सर्व मान्य होती है और मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इन कार्यवाहियों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है और न करना ही चाहती है । यह दो भिन्न पहलू स्मरण रखने होंगे और नीति के मामलों में निश्चय ही असैनिक प्राधिकार ही जो अधिक महत्वपूर्ण है निर्णय लेगा ।

Shri Madhu Limaye: That is why I had asked about the Civil authority is a question of policy.

श्री शा० नां० चतुर्वेदी : उन मामलों में जहां हमें जीवन तथा सम्पत्ति की क्षति हुई है और जहां प्रेक्षकों का निर्णय हमारे पक्ष में गया है क्या हमने कभी पाकिस्तान से सुरक्षा परिषद् के माध्यम से क्षतिपूर्ति की मांग की है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमने कई बार क्षतिपूर्ति की मांग की है ।

श्री दाजी : क्या सरकार का ध्यान जनरल अयूब के उस युद्धोत्तेजनक वक्तव्य की ओर गया है कि "यदि भारत अपनी बात पर अड़ा रहा तो आम युद्ध छिड़ जायगा" ? क्या हम इसके लिये तैयार हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि कोई युद्ध छेड़ दे तो हम से क्या कार्यवाही करने की आशा की जा सकती है ? निश्चय ही हमें इसका उत्तर देना होगा ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन होने पर की जाने वाली जवाबी कार्यवाही अस्त्र बल तथा युद्ध संबंधी चालों के विचार से आवश्यकता अनुसार काफी कड़ी होती है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : युद्धबन्दी रेखा के मामले में अवश्य ही जहां कहीं भी वे हमारे क्षेत्र में घुसने का प्रयास करते हैं, उन्हें दण्ड दिया जाता है और कभी-कभी जवाबी कार्यवाही भी की जाती है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जहां यह सच है कि धमकियों से कुछ नहीं होता फिर भी क्या पाकिस्तान द्वारा बढ़ते जा रहे आक्रमण तथा अतिक्रमण इस बात के द्योतक नहीं हैं कि वे इसे लाभदायक समझते हैं ? क्या मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि वह उन्हें कैसे यह विश्वास दिलाएंगे कि उनकी यह कार्यवाहियां उनके लिए लाभदायक सिद्ध न होकर बहुत मंहगी पड़ेंगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में उन्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी तथा हमारी ओर हताहत होने वालों की संख्या के बारे में प्राप्त सूचनाओं से सिद्ध हो जाता है कि स्थिति क्या है ।

सचिव समिति

\+

*1129. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरूग्रा :
श्री हेम बरूग्रा :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री मधु लिमये ।
श्री विद्याचरण शुल्क :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की विदेश नोति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सलाह देने के लिए वरिष्ठ सचिवों की एक समिति बनाई गई है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कृत्य तथा शक्तियां क्या होंगी ?

वैदेशिक-कार्य मत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) ग्रौर (ख). यह समिति मंत्रिमण्डल को वैदेशिक-कार्य समिति की सहायता के लिए बनाई गई है । हर सचिव, मंत्री महोदय को सामान्य ग्रथवा विशिष्ट निर्देश पर, ग्रपने मंत्रालय के ग्रन्तर्गत मामलों को, जिनका विस्तृत प्रभाव पड़ता हो ग्रौर ग्रन्य मंत्रालय प्रभावित होते हों, इस समिति को सौंप सकता है । इस समिति के विचारों को मंत्रियों के समक्ष ग्रथवा उपयुक्त मामलों में मंत्रिमण्डल की वैदेशिक-कार्य समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether it is a fact that the present staff of the External Affairs was inefficient and there was incompetence in them and that it was with a view to runover those drawbacks that this Committee of the Secretaries was set up?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): जी नहीं । यह ठीक नहीं है । यह समिति समय-समय पर उत्पन्न होने वाली वैदेशिक-कार्य संबंधी समस्याएं हल करने के लिए नहीं बनाई गई परन्तु जैसा कि पहले उत्तर में कहा गया है यह समिति केवल उन्हीं विशेष मामलों पर ध्यान देगी जो वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा इसे सौंपे जाएंगे । वे केवल ग्रपनी राय ही देंगे जो केवल सलाह के रूप में होगी ग्रौर इनका संबंध ग्रधिकतर ग्रन्तर मंत्रालय संबंधी मामलों से होगा ।

Shri Yashpal Singh: My Question has not been answered the late Shri Nehru was also the Foreign Minister and he never felt

the necessity of such a Committee. Afterall, what new problem has arisen to necessitate such a step? I also want to know whether this Committee is meant for External Affairs Ministry only or whether it will cover other Ministries also?

Shri Swaran Singh: It is meant neither for the External Affairs Ministry nor the Minister. It will express its opinion on those matters within the purview of the External Affairs Ministry which go to the Cabinet. Such Committees exist in various other departments also such as the Economic Affairs.

श्री प्र० चं० बरूग्रा : प्रस्तावित समिति का अपने कार्य संचालन के लिये क्या स्थापना अथवा प्रशासनिक ढांचा होगा और यह कौन सी त्रुटियां दूर करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : न इसकी कोई विशेष स्थापना होगी और न ही यह आवश्यक है । कुछ मामले जो मंत्रिमण्डल की वैदेशिक कार्य समिति को जाते हैं, अब इस समिति के पास जाएंगे । यह सम्बद्ध मंत्री के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि कोई मामला जो अन्तर-मंत्रालय संबंधी हो, इस समिति को उसकी सलाह के लिये सौंप दिया जाए ताकि एक मंत्री से दूसरे मंत्री को फाइलें भेजने के बजाए, वह एक स्थान पर बैठ कर अपनी राय दे सकें ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान; इस प्रश्न के महत्व की दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि प्रश्नकाल 2, 3 मिनट तक और बढ़ा दिया जाए । आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं ।

श्री हेम बरुग्रा : क्या यह सच नहीं है कि प्रस्तावित नौकरशाही ढांचा जिसे हमारी विदेश नीति की कुछ मदें सौंपी गई हैं सिद्ध करता है कि हमारी वर्तमान सरकार ने जिस विदेश नीति रूपी शिशु को गोद लिया है वह इतना रोगग्रस्त तथा दुर्बल है कि इसे जीवित रखने तथा पोषण के लिये नौकरशाही स्तन पान की आवश्यकता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

Shri Madhu Limaye: My name also appears on the Question. I wanted to ask some questions

Mr. Speaker: There are other names also clubbed to this Question, but as the time is over, I have to stop it.

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा निवेदन है कि आप पहले भी प्रश्न काल बढ़ा चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कोई अन्य तरीकों से भी चर्चा कर सकते हैं ।

श्री रंगा : परन्तु केवल एक सप्ताह ही शेष है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय चाहें तो समय दिया जा सकता है ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): मैं प्रश्न सं० 1138 के संबंध में कुछ कहना चाहती हूं क्योंकि इस मामले पर सभा को बहुत चिन्ता थी और यद्यपि हम इस प्रश्न पर नहीं पहुंच पाए परन्तु फिर भी यदि आप अनुमति दें तो मैं उत्तर पढ़ूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न किस बारे में है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी: यह युगोस्लाविया से मध्यम लहर के ट्रांसमिटर लेने के बारे में है। उनकी प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन है और हम उनसे प्रस्तावना की शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं।

युगोस्लाविया से प्रसारण यंत्र (ट्रांसमीटर)

+

*1138 **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि युगोस्लाविया की सरकार ने एशिया तथा अफ्रीका के देशों को प्रसारण बढ़ाने के लिये भारत को मध्यम तरंग (मीडियम वेव) यंत्र के दो प्रसारण (रेडियो ट्रांसमीटर) देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) युगोस्लाविया की एक फ़र्म ने, युगोस्लाविया की सरकार ने नहीं, 500 किलोवाट के दो मीडियम वेव ट्रांसमीटर देने का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग). इन ट्रांसमीटरों को लेने पर और प्रस्ताव की शर्तों पर भारत सरकार विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक अथवा दो अनुपूरक प्रश्नों की आज्ञा दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : जब इसका उत्तर दे दिया गया है तो इसे भी सामान्य प्रश्न समझा जाना चाहिये और उतने ही अनुपूरक प्रश्न पूछने की आज्ञा होनी चाहिये, न कि एक अथवा दो की।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति दे तो रहा हूं।

श्री रंगा : यदि इसका उत्तर न दिया गया तो उत्तर सभा-पटल पर रख दिया जाएगा जिससे यहां उत्तर देना निरर्थक हो जाएगा यदि एक, दो अनुपूरक प्रश्नों की आज्ञा ही दी गई।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुपूरक प्रश्नों की आज्ञा दे तो रहा हूं।

श्री नाथ पाई : युगोस्लाविया से होने वाली करार की शर्तें क्या हैं और इस ट्रांसमीटर की क्षमता कितनी है और जैसा सभा को बताया गया था, इससे हमारी कितनी आवश्यकता पूरी हो सकेगी ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए। मैंने कहा था कि इस पर अभी विचार हो रहा है।

श्री नाथ पाई : इसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : वही जो रूसी ट्रांसमिटरों की है, अर्थात, 500 किलोवाट के मध्यम लहर के दो ट्रांसमिटर।

श्री हेम बरुआ : पहले हमें बताया गया था कि रूस से हमें उक्त दो ट्रांसमिटर प्राप्त होने वाले हैं तो क्या वर्तमान समझौता उसके अतिरिक्त है अथवा बदले में है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : वह समझौता तो हो चुका है और हमने उसे मान लिया है। यह दूसरा है।

अध्यक्ष महोदय : अब चूंकि कोई सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये खड़ा नहीं हो रहा इसलिये हम अगला कार्य आरम्भ करते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर

*1119. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर विमान बनाने के लिए अपेक्षित सभी पुर्जे देश में बनाने लगा है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कितने प्रतिशत पुर्जे बनाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). जी नहीं। जहां तक सम्भव है देशी-क्षमता को धीरे-धीरे बनाया जा रहा है। इस समय जो भाग बनाये जाते हैं वे 80 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत के अन्तर्गत आते हैं और विमान विशेष के प्रकार पर निर्भर हैं।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी

*1126. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों में पूर्वी पाकिस्तान के कितने गैर-मुसलमान शरणार्थी भारत से अपने मूल स्थानों को वापस चले गये हैं ; और

(ख) इसी अवधि में कितने भारतीय मुसलमान भारत से पाकिस्तान गये और वापिस नहीं आये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) पिछले बारह महीनों में पूर्व पाकिस्तान के जो गैर-मुसलमान शरणार्थी भारत से अपने घरों को वापस चले गए हैं उनकी संख्या के विषय में सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होने पर सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

(ख) इसी अवधि में जो भारतीय मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए थे और लौटे नहीं हैं, उनकी संख्या 8,525 है ।

राष्ट्रमंडल चलचित्र समारोह

*1128 { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री द० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस वर्ष के उत्तरार्ध में कारडिफ वेल्स में होने वाले एक राष्ट्रमण्डल चलचित्र समारोह में भाग लेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन से चलचित्र भेजे जायेंगे तथा उन्हें छांटने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भारत राष्ट्रमण्डल फ़िल्म समारोह में भाग लेने के लिए विचार कर रहा है जो 16 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 1965 तक लंदन कारडिफ, ग्लासगो और लिवरपूल में होने वाले राष्ट्रमण्डल कला समारोह के भाग के रूप में आयोजित होगा ।

(ख) राष्ट्रमण्डल कला समारोह में प्रविष्टि भेजने के लिए फ़ीचर और डाकुमेंट्री फ़िल्मों के छांटने पर विचार हो रहा है और इस सिलसिले में फ़िल्म उद्योग और फिल्म विभाग के कंट्रोलर की सलाह भी ली जा रही है ।

विद्रोही नागाओं को पाकिस्तानी सहायता

*1130 { **श्री पें० वेंकटासुब्बया:**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को विद्रोही नागाओं की हथियारों, गोला-बारूद और छापामार लड़ाई के प्रशिक्षण की सुविधाओं के रूप में सहायता करने तथा पूर्वोत्तर भारत की जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काने के बारे में कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां। नोट की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 4325/65**]।

(ख) हमें पाकिस्तान से अभी तक कोई जबाब नहीं मिला है।

अफ्रीकी–एशियाई एकता सम्मेलन

*1131. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्करा (घना) में शीघ्र ही एक अफ्रीकी-एशियाई एकता सम्मेलन होगा ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित तिथि क्या है ;

(ग) क्या सम्मेलन में भारत को बुलाया गया है और क्या निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ; और

(ङ) सम्मेलन की अस्थायी अथवा अन्यथा विषय-सूची क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी हां।

(ख) 9 से 16 मई, 1965।

(ग) और (घ). भारतीय अफ्रो-एशियाई एकता संगठन को निमंत्रण मिल गया है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लया है।

(ङ) कार्यसूची में इस प्रकार के विषय सम्मिलित किए जाने की संभावना है, जैसे—साम्राज्यवाद, उपेनिवशवाद वगैरह की समाप्ति, आर्थिक पुर्ननिर्माण, सांस्कृतिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी मामले।

पाकिस्तान से स्मरण-पत्र

*1132. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकारको पाकिस्तान सरकार से कोई स्मरण-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें भारत पर पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध जैसी कार्यवाही तथा शत्रुतापूर्ण प्रचार करने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो स्मरण-पत्र में क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मैन): (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारतीय विमान वाहक (एयर क्राफ्ट कैरियर) आई० एन० एस० 'विक्रांत' तथा भारतीय नौ सेना के आठ अन्य जहाजों ने, पाकिस्तानी सीमा के

निकट, कच्छ की रन क्षेत्रों में सेना/नौ सेना की सामरिक कार्रवाइयों में भाग लिया और उस अभ्यास के दौरान पाकिस्तानी वायुक्षेत्र का उल्लंघन किया ।

पाकिस्तान ने दावा किया कि ये युद्ध जैसी कार्रवाइयां थी जिनके द्वारा "भड़काने की दृष्टि से शक्ति का प्रदर्शन किया गया और वर्तमान तनाव को बढाने में सहायता मिली।"

(ग) भारत सरकार के निदेश पर, करांची स्थित भारतीय हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को जो नोट भेजा था, उसमें इन आरोपों का खंडन किया और बताया कि वे बेबुनियाद हैं । नोट में यह बताया गया कि किसी भी देश के लिए यह बिल्कुल सामान्य सी बात है कि वह अपने प्रदेश में अभ्यास करे ; इसलिए पाकिस्तान को एतराज करने का न तो कोई अधिकार है और न वह इस संबंध में उसकी कोई क्षमता अथवा अधिकारिता ही है । भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान सरकार से फिर कहा कि वह सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए कदम उठाए । भारत सरकार की प्रतिक्रिया यह है कि पाकिस्तान का यह नोट, बिना किसी औचित्य के, उसके प्रचार का सामान्य अभ्यास मात्र है । हमें पूरा निश्चय है कि पाकिस्तानी वायुक्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं किया गया और पाकिस्तान की शिकायत सिर्फ बनावटी है । समय-समय पर अभ्यास करते रहना किसी भी देश की रक्षा सेनाओं का सामान्य कार्य है ; और इसमें किसी की आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया जा सकता ।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का वक्तव्य

*1133. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दाजी :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा बांडुंग सम्मेलन की वर्ष गांठ समारोह में 18 अप्रैल, 1965 को दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने 'भारत को एशिया में गैर-एशियाई देश' बताया है और भारत को दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियतनाम, मलयेशिया, फारमूसा तथा अरब संघ की श्रेणी में रखा हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी हां । हमने इस संबंध में प्रेस रिपोर्ट देखी हैं, जिनकी जांच-पड़ताल करने पर यह पता चला कि वे बेबुनियाद हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Reception arranged by Pakistan Deputy High Commissioner

***1134.** { **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Gauri Shanker Kakkar:
Shri Rameshwaranand:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Alvares:
Shri Dinen Bhattacharya:
Shri Shinkre:
Shri Bagri:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the ex-Director in the Pakistan Division of the Ministry of External Affairs, who has now been posted in New Zealand, was invited to a banquet by the Deputy High Commissioner of Pakistan in Delhi after attack on the Kutch border;

(b) whether it is also a fact that some other persons were also invited to the said banquet;

(c) if so, whether all of them had taken due permission; and

(d) whether there is some pre-determined policy in respect of participation in such a banquet or not?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) The ex-Director of the Pakistan Division in the Ministry of External Affairs was invited to a buffet dinner on 10th April at the residence of the Deputy High Commissioner for Pakistan in New Delhi.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). Exchange of hospitality with members of the Diplomatic Corps, at the appropriate level, is a normal function of the officials of the Ministry of External Affairs and no special permission is necessary.

टोकियो में एशियाई सामुद्रिक सम्मेलन

*1135. **श्री अल्वारेस** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 21 अप्रैल, 1965 से टोकियो में होने वाले द्वितीय एशियाई सामुद्रिक सम्मेलन (आई० एल० ओ०) में भाग लेने के लिए इंटक के श्री एच० एन० त्रिवेदी को मनोनीत किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक भारत के सामुद्रिक संघ (एच० एम० एस०) और भारत के राष्ट्रीय नाविक संघ (एच० एम० एस०) के मनोनीत व्यक्ति ही इन सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा व्यक्ति चुनने के क्या कारण हैं जिसका नाविकों या उनके संघों से कोई सम्बन्ध ही नहीं हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ग). अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंधित नियमों के अन्तर्गत सम्मेलन के लिए नियोजकों और कामगरों के प्रतिनिधि तथा सलाहकार उन संगठनों की सहमति से चुनने पड़ते हैं जो कि नियोजकों व कामगरों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने, जो कि देश में नाविकों के संगठग की उचित प्रतिनिधि संस्था है, द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एशियाई सामुद्रिक सम्मेलन में कामगरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतिनिधि और एक सलाहकार मनोनीत किया और सरकार ने उपयुक्त नियमों के अनुसार नामांकनों को स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने श्री एच० एन० त्रिवेदी को सलाहकार के रूप में मनोनीत किया है।

(ख) अब तक भारत से केवल राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस द्वारा, जो कि देश में नाविकों का उचित प्रतिनिधि संगठन है, मनोनीत प्रतिनिधियों ने ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामुद्रिक सम्मेलनों में कामगर प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया हैं।

ई० एम० ई० कर्मशाला में छंटनी

*1136. **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा विभाग के अधीन ई० एम० ई० कर्मशाला के लगभग दो हज़ार कर्मचारियों को छटनी के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने इस छटनी का विरोध किया है तथा मंजूरी बोर्ड बनाने की मांग की है ;

(ग) क्या संघ छटनी के विरोध में तथा अपनी मांगों पर बल देने के लिये सामूहिक भूख हड़ताल का आयोजन कर रहा है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी नहीं। केवल 55 कर्मचारियों को छटनी के नोटिस दिये गये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों द्वारा छटनी तथा अन्य मांगों के विषय में 23 से 26 अप्रैल तक लोक सभा के निकट भूख हड़ताल की गई।

(घ) रक्षा सिविलियनों के लिए मजदूरी बोर्ड की नियुक्ति तथा अन्य मांगें जो संघ ने रखी हैं, इस समय सरकार द्वारा विचाराधीन हैं।

बस्तियों में आने जाने के लिए वीसा

*1139. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तियों में आने-जाने के लिए वीसा देने के बारे में पाकिस्तान के साथ कोई समझौता हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):(क) जी हां ।

(ख) भारत और पाकिस्तान, दोनों इस बात पर सहमत हो गए हैं कि बस्तियों के निवासियों को प्रार्थना-पत्र देने पर समुचित पासपोर्ट पर 'ए' वर्ग का वीज़ा दिया जाएगा। इन वीज़ाओं से जितनी बार चाहे बस्ती से मुख्य भूमि के लिए आ-जा सकेंगे, और पड़ताल चौकियों (चैकपोस्ट्स) से होकर गुजरने का तरीका भी समाप्त कर दिया जायगा ।

यह भी तय किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के अधिकारी नियमित पासपोर्ट और दुहरा मार्ग वीजा लेकर बस्तियों से आएं-जाएं । दोनों सरकारें अधिकारियों को बहुमार्ग वीज़ा देने के सवाल पर विचार करने के लिए भी सहमत हो गई हैं ।

गुजरात में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण

*1140. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को हाल में सरकार द्वारा भेजे गये पत्र पर, जिसमें उनका ध्यान गुजरात में भारतीय राज्य-क्षेत्र में पाकिस्तान की अकारण आक्रमक सैनिक कार्यवाही की ओर दिलाया गया है, परिषद् के अध्यक्ष की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को इस प्रकार के जो पत्र भेजे जाते हैं उन पर वे अपनी प्रतिक्रिया सामान्यतः बताते नहीं हैं । उनका सामान्य तरीका यही है कि संबद्ध प्रलेख को वे सुरक्षा परिषद के सदस्यों को भेज देते हैं ।

कूच-बिहार क्षेत्र में गोलाबारी

*1141. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच-बिहार क्षेत्र में फरवरी से अप्रैल, 1965 तक हुई गोलाबारी से सम्पत्ति आदि को हुई क्षति का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान से कोई क्षतिपूर्ति मांगी गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार इस का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रही है कि संपत्ति आदि को कितनी हानि पहुंची है ।

(ख) 19 और 20 मार्च, 1965 को पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा—जिन्हें पाकिस्तानी सैनिकों की सहायता प्राप्त थी—भारत के वागडोकरा, हेमकुमारी, खड़खड़िया, फलकदवारी आदि गांवों के भारतीय राष्ट्रिकों की संपत्ति लूटने और उनके घरों में आग लगा देने के खिलाफ कूच-बिहार के डिप्टी कमिश्नर ने तार द्वारा रंगपुर के डिप्टी कमिश्नर से विरोध प्रकट किया है, और उन्होंने अन्य बातों के अलावा यह मांग भी की है कि इसकी वजह से जिन भारतीय राष्ट्रिकों को नुकसान पहुंचा है उन्हें मुआवजा दिया जाए ।

पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार

*1142. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री कोया :
श्री बीरप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है कि पाकिस्तान चीनी राजनयिक मिशनों की सहायता से अफ्रीकी-एशियाई देशों में बड़े जोर-शोर से भारत विरोधी प्रचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). सरकार को इसकी पूरी जानकारी है कि पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती बढ़ रही है और वे दोनों मिलकर भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं । हम हर संभव तरीके से भारत-विरोधी प्रचार को नाकाम करने की पूरी कोशिश करते हैं । विदेश-स्थित हमारे मिशन विरोधी प्रचार का खंडन किए बगैर नहीं छोड़ते ।

Communication from Sheikh Abdullah

*1143. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Gauri Shankar Kakkar:
Shri Lahri Singh:
Shri Sivamurthi Swamy:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Raghunath Singh:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:
Shri Onkar Lal Berwa:

Shri Yudhvir Singh:
Shri Bade:
Shri Daji:
Shri Narendra Singh Mahida:
Shri Braj Raj Singh:
Shri Onkar Singh:
Shri A. P. Singh:
Shri Y. D. Singh:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Sheikh Abdullah and his party have sent any communications to Government regarding the period of their passport and for permission to visit Jordon and Iraq;

(b) if so, the main points given in the Communications and Government's reply thereto;

(c) whether the Sheikh has also threatened use of force in Kashmir affair while making a disclosure about the said communication before the press correspondents in Saudi Arabia; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) Yes, Sir. A few communications, verbal or in writing, have been received by our Embassy in Jedda.

(b) In joint replies to notices served earlier by our Embassy on them, Sheikh Abdullah and party expressed surprise, alleged serious misunderstanding, stressed the religious importance of various holy places and requested reconsideration of Government orders, in particular to enable them to go to Medina.

The passports of Sheikh Abdullah and party stand cancelled as from 1st May, 1965. However, in order to enable them to visit Medina for religious purposes as part of Haj, the Embassy has been instructed to give them Embergency Certificates.

(c) Government have seen press reports to this effect.

(d) No defiance of law or threat to the security of the State will be permitted.

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

*1144. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड ने सभी श्रेणी के कर्मचारियों को 7.80 रुपये की अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या इस सिफारिश पर विचार कर लिया गया है ; और

733 (Ai) LSD—5.

(ग) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख). संकल्प की प्रतियां, जिसमें मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें और उन पर सरकारी निर्णय दिये गये हैं, 29 अप्रैल, 1965 को सभा की मेज पर रख दी गई हैं :

(ग) संबंधित नियोजकों से बोर्ड की सिफारिशें लागू करने के लिए प्रार्थना कर दी गई है ।

विश्व संचार की उपग्रह व्यवस्था

*1145. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री कोया :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार ने विश्व संचार की उपग्रह व्यवस्था के अन्तर्गत संकेत प्राप्त करने तथा भेजने के हेतु भूमि पर एक केन्द्र स्थापित करने की अपनी मांग पेश की है

(ख) यदि हां, तो उपग्रह संचार कार्यक्रम में भाग लेने वाले संयोग (कंसोर्टियम) के सदस्य राष्ट्रों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ।

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) से (ग). इस प्रायोजना के ब्योरे अभी तैयार हो रहे हैं और उनके अंतिम रूप से तय हो जाने के बाद, भारत में उपग्रह-संचार के भूमि-स्थित केन्द्र की स्थापना के लिये औपचारिक आवेदन संभवतः इस वर्ष के अन्त तक कर दिया जायगा ।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग

*1146. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बृजवासी लाल :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पाकिस्तान द्वारा अमरीका से प्राप्त हथियारों का कच्छ क्षेत्र में भारतीय पुलिस दल के विरुद्ध हाल में प्रयोग किये जाने के बारे में अपनी प्रतिक्रिया अमरीका की सरकार को बता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां । वाशिंगटन-स्थित हमारे राजदूतावास ने संयुक्त राज्य अमरीका के सम्मुख हमारी चिंता व्यक्त कर दी है और यहां भी हमने अमरीकी राजदूतावास के सम्मुख अपनी चिंता व्यक्त कर दी है ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इस मामले की जांच करने का वचन दिया है ।

निर्वाह-व्यय सूचक अंक

2907. **श्री भुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निर्वाह-व्यय सूचक अंक बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1964-65 में क्या वृद्धि हुई ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख). दिल्ली केन्द्र के सम्बन्ध में श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960 100) का जनवरी, 1964 से मार्च, 1965 तक ब्यौरा इस प्रकार है :—

मास और वर्ष	सूचांक (आधार 1960 100)
जनवरी, 1964	117
फरवरी, 1964 .	121
मार्च, 1964	121
अप्रैल, 1964	122
मई, 1964	120
जून, 1964	121
जुलाई, 1964	124
अगस्त, 1964	126
सितम्बर, 1964	128
अक्तूबर, 1964 .	130
नवम्बर, 1964 .	131
दिसम्बर, 1964	135
जनवरी, 1965 .	135
फरवरी, 1965 .	133
मार्च, 1965	130

मई, 1964 के मास को छोड़कर, जबकि गेहूं की नई फसल बाजार में ग्राने के कारण इसमें 2 पायंट की कमी हुई, दिल्ली के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जनवरी, 1964 से दिसम्बर, 1964 तक लगातार वृद्धि हुई है। ऐसा अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ। लेकिन फ़रवरी, 1965 से सूचकांक नीचे आ रहा है क्योंकि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आनी शुरु हो गई है।

स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम पर वृत्त चित्र

2908. **श्री राम चन्द्र मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से अब तक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों पर कितने वृत्त-चित्र बने हैं ; और

(ग) उन पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) 25 (फिल्म विभाग द्वारा निर्मित)।

(ख) 9,40,803.00 रुपने (नौ लाख चालीस हज़ार आठ सौ तीन रुपये)।

Indians in Burma

2909. **Shri Rananjai Singh:** Will he Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Indian nationals or persons of Indian origin in Burma who were engaged in petrol extraction in Burma;

(b) whether their petroleum plants are still working or they have been closed down; and

(c) the amount of compensation paid to the Indian nationals in case their plants are being run **by the Government of Burma**?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Four firms belonging to Indian nationals and one firm owned by a Burmese national of Indian origin were engaged in petrol extraction.

(b) Except one firm, which stopped working during the war, all others are working.

(c) All these plants have been nationalised by the Government of Burma. No compensation has yet been announced.

Telephone in Block Development Offices

2910. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Block Development Offices of Uttar Pradesh district-wise where telephones have been installed during the Third Five Year Plan so far; and

(b) the names of Block Development Offices district-wise who have asked for telephones?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati): (a) and (b). A statement is laid on the table of the Lok Sabha. [**Placed in Library, See No. LT-4326/65**].

Upgrading of Post Offices

2911. Shri Lakhmu Bhawani:
Shri Wadiwa:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether any proposal to convert some Sub-Post Offices into Head Post Offices and Branch Post Offices into Sub-Post Offices in Bastar District in Madhya Pradesh during 1965-66 is under consideration; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagvati): (a) Yes, Sir.

(b) I. A proposal for upgrading the Jagdalpur Sub-Post Office in the Bastar District of Madhya Pradesh to a Head Post Office during 1965-66 is under consideration.

II. Proposals for upgrading the following Branch Post Offices in Bastar District to Sub Post Offices during 1965-66 are under examination—

1. Bhopal Patnam E.D.B.O.
2. Bijapur E.D.B.O.
3. Nakulnar E.D.B.O.
4. Bastar E.D.B.O.
5. Sukma E.D.B.O.
6. Antagarh E.D.B.O.
7. Geedam E.D.B.O.

The proposals for upgrading the above mentioned offices are still under examination by the Postmaster General Nagpur and it cannot, therefore, be stated precisely which offices will actually be upgraded and when.

औद्योगिक परियोजनाओं के आसपास काम के अवसर

2912. श्री ह० च० सोय : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर जैसी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं और भारी इंजीनियरी निगम उद्योग-समूह, रांची तथा किरीबुरू लोह अयस्क परियोजना के आसपास, परियोजनाओं के काम के अतिरिक्त, उत्पन्न हुए अथवा बनाये गये काम और रोजगार के अवसरों का कोई अध्ययन अथवा निर्धारण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिये भूमि अर्जन की कार्यवाही से प्रत्यक्ष रूप में विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार के इन अवसरों में से कितने प्रतिशत अवसर प्राप्त हो सकते हैं ;

(ग) क्या परियोजना प्राधिकारियों ने इन व्यक्तियों को उनके रोजगार तथा पुनर्वास में सहायता करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) और (घ) परियोजना अधिकारियों से प्राप्त सुविधाओं की संक्षिप्त जानकारी सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 4327/65]**

Indian Commission of Jurists

2913. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 734 on the 5th April, 1965 and state the main points made in the report of the Committee of Inquiry set up by the Indian Commission of Jurists to inquire into the exodus of non-Muslims from East Pakistan in 1964?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): Some of the main points made in the report of the Indian Commission of Jurists are:—

(i) The immediate cause for exodus into India from East Pakistan during 1964 was the fact that the Government of Pakistan, the Press, the Radio and prominent Members of the Cabinet, religious and lay leaders, seized upon the Hazrat Bal incident to indulge in propaganda of incitement against India and Hindus.

(ii) The Police, Ansars (Militia) and Army remained passive spectators while atrocities were being committed in most areas; the Police and the Ansars took active part in them in some areas.

(iii) The discrimination on social and economic boycott of non-Muslims in many areas made it impossible for them to live in Pakistan.

(iv) The total number of refugees who have arrived in 1964 in India is about 8,70,000 but of these 48,000 are Christians and 21,000 are Buddhists. This brings the number of refugees from the East Pakistan area to about 5½ million from 1946 to 1964 reducing the population of East Pakistan non-Muslims from 13 million to about 8½ million.

(v) Serious and systematic violations of 13 articles of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 have occurred.

(vi) The Crime of genocide as described in Article II of the Genocide Convention has certainly been established so far as Hindus are concerned.

(vii) The Communal incidents in West Bengal in January, 1964, was the result of the influx of the large number of people into West Bengal from East Pakistan and the harrowing tales which they narrated.

(viii) Prompt and drastic steps by the Government of West Bengal brought the situation under control within a matter of few days.

(ix) So far as events in India are concerned no violation of human rights has taken place and no question of Genocide arises.

Hindi Telegrams

2914. Shri Rananjai Singh: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the State-wise number of Telegraph Offices in India where arrangements have been made for accepting telegrams in Hindi;

(b) the number of Telegraph Offices where arrangements have been made for accepting telegrams in Hindi even during night;

(c) whether it is proposed to extend the facility of sending telegrams in Hindi in other Telegraph Offices during this year; and

(d) if so, the number of such Telegraph Offices?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati): (a) Statistics are available according to P & T Circles. Circle boundaries are more or less, co-terminus with major states. A statement showing Circle-wise number of Devnagari Telegraph Offices is laid on the table of the Lok Sabha. [*Placed in Library. See No. LT*-4328/65].

(b) Period of availability of Devnagari Service vary from office to office according to various factors such as load of traffic handled, general working hours of the office, late fee arrangements etc. In many cases the Devnagari Service without late fee is available upto 8 or 10 p.m. The service is available without late fee round the clock in 24 offices.

(c) Yes.

(d) The number is dependent on the availability of trained personnel. The average works out to be about 125 offices per year.

Backward Class Employees in A.I.R.

2915. Shri Veerappa: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of persons belonging to the Backward Classes who are employed in various categories in A.I.R.; and

(b) the number of persons belonging to the Backward Classes as are employed at various Stations in the Mysore State?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) The Government of India have not drawn up an all India list of backward classes other than those of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the purposes of recruitment to services and posts under them. No reservation is provided to other backward classes in services and posts under the Government of India. Accordingly, a statement showing the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes only who are employ- in various categories in A.I.R. as on 1st January, 1965, is enclosed.

(b) A statement showing the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes employed at various Stations of A.I.R. in Mysore State as on 1st January, 1965, is also laid on the Table. [*Placed in Library. See No. LT*-4329/65].

Unemployed Post-Graduates in Mysore

2916. **Shri Veerappa:** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) the number of Matriculates and Post-Graduates registered in Employment Exchanges in Mysore State as on 31st December, 1964; and

(b) the number of persons provided with jobs during 1964?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): (a) and (b).

Category of applicants.	Number on live register as on 31-12-1964	Number placed in employment during 1964
Matriculates and Higher Secondary passed (including Intermediates).	47,025	3,493
Graduates (including Post Graduates).	7,675	1,564

कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी

2917. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी पुनर्विचार समिति की सिफारिशों में भेदभाव समाप्त करने के बारे में कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कुलानाड क्षेत्र में भू-स्वामियों ने कृषि मजदूरों को जिस में भुगतान करना बंद कर दिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भेद भाव समाप्त करने तथा कृषि मजदूरों को जिस में भुगतान करना पुनः आरम्भ करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

मुख्य डाकघर बैल्लोर

2918. श्री धर्मलिंगम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में बेल्लोर के मुख्य डाकघर की नई इमारत बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) नई इमारत में मुख्य डाकघर कब तक काम करने लगेगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी हां ।

(ख) इमारत बनाने का काम, ज्योंही मंजूरी जारी करने, काम के नक्शे आदि तैयार होने जैसी विभिन्न औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, हाथ में ले लिया जाएगा ।

(ग) कोई विशेष अवधि बताना तो संभव नहीं है, किन्तु इमारत के बनने में 2–3 वर्ष का समय लग जाएगा ।

डाकघरों का स्तर ऊंचा करना

2919 श्री धर्मलिंगम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965–66 में मद्रास राज्य में कुछ उप डाकघरों को मुख्य डाकघर तथा शाखा डाकघरों को उप डाकघरों में बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण पत्र रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया। [देखिये संख्या एल. टी० 4330/65]**

टेलीफोन केन्द्र

2920. श्री धर्मलिंगम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1965 को मद्रास राज्य में कितने टेलीफोन केन्द्र थे ;

(ख) क्या 1965–66 में उनकी संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो वे कहां-कहां खोले जायेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 268.

(ख) जी हां ।

(ग) 1965-66 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर नये टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है :—

1. साथनकुलम
2. सुरनदाई
3. पन्नाईकाडू
4. कामुथी
5. कन्द्रामनिकम
6. कुलीपिराई
7. तिरुनेल्लीकवाल
8. वदासेरी
9. अनाईकरनचत्रम
10. तिरुवेरम्बूर
11. विक्रावंडी
12. पेराम्बलूर
13. गुम्मीडीपुंडी
14. थियागादुर्गम
15. न्यू होप
16. देवरशोला
17. एमेराल्ड
18. सैलास
19. किलकोटागिरी
20. पंडालूर
21. श्रीमुशनम
22. मंथीरीपलायम
23. थम्ममपट्टी
24. वनावासी
25. मोदाकुरीची

मद्रास में टेलीफोन

2921. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1965 को मद्रास राज्य के अनेक टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोनों के लिये कितने आवेदन पत्र अनिश्चित पड़े थे ; और

(ख) टेलीफोन शीघ्र देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) 27714.

(ख) प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने और नये केन्द्र खोलने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे कि उपलब्ध साधनों के अनुसार शेष भागों को यथासंभव अधिक से अधिक पूरा किया जा सके । कुछ प्रमुख स्थानों का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 4331/65**]**

सीमाओं पर तैनात सैनिक कर्मचारी के लिये आवास

2922. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाओं पर तैनात सैनिक कर्मचारियों के परिवारों के लिये आवास की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सीमाओं पर तैनात सैनिक कर्मचारियों के परिवारों के लिये स्थायी रिहायशी क्वार्टर बनाने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सीमान्त क्षेत्रों में सेवा में लगे हुए सैनिक कार्मिकों के अलग रहने वाले सभी परिवारों को आवास देना अभी तक संभव नहीं हो सका है । तदपि सैनिक कार्मिकों के अलग हुए कुछ परिवारों को आवास उपलब्ध किया गया है ।

(ख) सैनिक कार्मिकों के अलग हुए परिवारों को आवास बनाने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं मंजूर की हैं । कुछ अन्य योजनाएं इस समय विचाराधीन हैं ।

भूटान में भारतीय विशेषज्ञ दल

2923. **श्री राम हरख यादव** :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान में एक पन-बिजली परियोजना की व्यावहारिकता का अध्ययन करने के लिये छः भारतीय विशेषज्ञों का एक दल वहां गया था ;

(ख). यदि हां, तो दल की सफलताएं क्या हैं ; और

(ग) दल के सदस्य कौन कौन थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ग) भूटान में किसी पन-बिजली प्रायोजना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हाल में भारतीय विशषज्ञों का कोई दल वहां नहीं गया था । परन्तु, भूटान में बाढ़ नियंत्रण के तरीकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तुर्सा के जलग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) का सर्वेक्षण करने के लिए सात भारतीयों का एक दल इस समय वहां गया हुआ है ।

राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

2924. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 3–4 वर्षों से विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्ति राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग ले रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विशेष निमंत्रण किस आधार पर दिये जाते हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री सजीवैया): (क) और (ख) भारतीय श्रम सम्मेलन एक त्रिदलीय निकाय है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों एवं कामगरों और नियोजकों के इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (भारतीय शाखा) के निदेशक को आमंत्रित करने की प्रथा भी है। इसके अलावा जब इस सम्मेलन में प्रेक्षकों एवं दर्शकों के रूप में उपस्थित होने के लिए अनुमति हेतु विशिष्ट प्रार्थनाएं प्राप्त होती हैं तब उन प्रार्थनाओं पर औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है और जहां कहीं सम्भव हो वहां अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि स्थान तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों।

छंटाई तथा रंग-रोगन करने वाले मजदूर

2925. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बड़े बन्दरगाहों में काम करने वाले छंटाई तथा रंग-रोगन करने वाले मजदूरों के कार्यचालन की जांच करने के लिये नियुक्त एक सदस्यीय जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का है ; और

(ग) सिफारिशें क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख). यह विचाराधीन है।

(ग) सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.** 4332/65।] रिपोर्ट पर गोदी श्रम बोर्डों के अध्यक्षों की राय ले कर विचार किया जा रहा है।

Station Directors of A.I.R.

2926. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of persons out of those working as Station Directors and Assistant Station Directors in the All India Radio throughout India who have knowledge of local languages and also of those who have no knowledge of these languages;

(b) the names of those Stations where the Station Directors and Assistant Station Directors do not possess working knowledge of Hindi and local languages;

(c) whether such persons are able to supervise the programmes of the A.I.R. without having any working knowledge of local languages; and

(d) the number of persons out of those working as Programme Executives at different stations of A.I.R. who possess working knowledge of the local languages and the number of those who have no such knowledge?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) Thirty Station Directors and Assistant Station Directors working at various Stations of All India Radio have knowledge of local languages. Twenty eight in these categories do not possess knowledge of local languages.

(b) Bangalore, Calcutta, Calicut, Cuttack, Dharwar, Imphal, Jammu, Nagpur, Rajkot, Ranchi, Tiruchirapalli and Vijayawada.

(c) Yes, with the help of Programme Executives and members of the Programme Production Staff who have specialised knowledge of the language(s) of the region.

(d) Two hundred and three, and eighty two respectively.

Press Information Bureau

2927. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Yashpal Singh:
Shri R. S. Tiwary:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of officers and other staff working in the English and Hindi Departments respectively in the Press Information Bureau of the Government of India; and

(b) whether any scheme is under consideration for increasing the strength of Hindi and other language departments for carrying on full work load and if so, when it would be implemented?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): The number of officers and staff in the P.I.B. employed on English and general publicity, and exclusively on Hindi publicity is 93 and 29 respectively.

(b) Schemes are under consideration for strengthening the Indian Language Units by opening new offices of the Bureau in Kanpur, Allahabad, Vijayawada and Rajkot. There is also a proposal to include provision in the Fourth Five Year Plan for the opening of more offices of the Bureau in other towns.

Islands under British Control

2928. { **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether there are any such islands near Andaman, Nicobar and Maldive which are still under British control and which have still to be transferred to India; and

(b) if so, the number, area and the population thereof?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir.

There are no islands in the immediate vicinity of the Andaman and the Nicobar islands which are under the control of Britain.

The Maldive Islands is a state in treaty relations with Britain, within the terms of the 1960 Anglo-Maldives Agreement.

(b) Does not arise.

P. & T. Employees

2929. { **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether any cases of anti-national activity of the leftist pro-Chinese employees of Posts and Telegraphs Department have come to the notice of Government; and

(b) if so, the action taken against such employees?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati): (a) No.

(b) The question does not arise.

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी का प्रयोग

2930. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रार्थना की गई है कि हिन्दी को संघ की भाषाओं में सम्मिलित किया जाये ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की अधिकृत एवं कामकाज की भाषाओं की सूची में कोई भाषा प्रक्रिया नियमावलि में संशोधन करने के बाद ही जोड़ी जा सकती है; और जनरल ऐसेम्बली के प्रक्रिया नियमों में संशोधन करने के लिए यह जरूरी होता है कि एक समिति प्रस्तावित संशोधन पर पहले अपनी रिपोर्ट दे फिर उस पर मतदान हो और उस मतदान में उपस्थित सदस्य संशोधन पर अपना बहुमत व्यक्त करें । इसमें संदेह है कि अधिकांश सदस्य हिंदी को अधिकृत अथवा काम-काज की भाषा बनाने का पक्ष लेंगे या नहीं ; विशेषकर, इसलिए कि ऐसा होने से अन्य सदस्य भी अपनी-अपनी राष्ट्रीय भाषाओं को इसी तरह मान्यता दिलवाना चाहेंगे जिससे बहुत पेचीदगियां खड़ी हो जाएंगी क्योंकि तब सभी प्रलेखों को सभी भाषाओं में तैयार कराना होगा और हर भाषा को दूसरी सभी भाषाओं में अनुवाद करने वालों की और दुभाषियों की जरूरत होगी ।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने अपने यहां अधिकृत अथवा काम-काज की भाषा के रूप में कुछ ही भाषाओं को मान्यता दी है, फिर भी, अधिकृत अथवा काम-काज की भाषाओं से इतर किसी भाषा में बोलने पर प्रतिबन्ध नहीं है, बशर्ते कि संबद्ध सदस्य देश कामकाज की भाषाओं में से किसी एक भाषा में अनुवाद की व्यवस्था कर दें ।

प्रतिरक्षा पर व्यय

2931. **श्री बृजेश्वर प्रसाद :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964–65 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत प्रतिरक्षा पर व्यय किया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मंत्रि-मंडल सचिवालय के अन्तर्गत केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने, जो इस प्रकार का डेटा प्रकाशित करने की सरकारी संस्था है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन का हिसाब नहीं लगाया है । यह संस्था केवल राष्ट्रीय आय (शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन फैक्टर कास्ट पर) वर्तमान मूल्यों तथा 1948-49 के मूल्यों के आधार पर बतलाती है । केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा 1964–65 की राष्ट्रीय आय के सरकारी आंकड़े फरवरी/मार्च 1966 के पहले प्रकाशित होने की कोई सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती । राष्ट्रीय आय के जो नवीन आंकड़े उपलब्ध हैं वे 1963-64 के हैं जो कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा कुछ दिन पहले प्रकाशित किये गये थे । इन अनुमानों के आधार पर 1963–64 की शुद्ध आय अस्थायी तौर पर वर्तमान मूल्यों के आधार पर 17,200 करोड़ रुपये और 1948-49 के मूल्यों पर 13,910 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है ।

1964-65 के अन्तर्गत रक्षा के खर्च के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । इस समय 1963–64 की खर्च के वास्तविक आंकड़े प्राप्य हैं जो प्राय: 816 करोड़ रुपये है । 1964–65 के अन्तर्गत रक्षा का शुद्ध खर्च उसी वर्ष के संशोधित बजट आंकड़ों के अनुसार 834 करोड़ रुपये के लगभग होने की संभावना है । 1963–64 के वास्तविक खर्च और 1964–65 के अनुमानित खर्च को वर्तमान मूल्यों

अर्थात 1963–64 के आधार पर नवीनतम प्राप्य राष्ट्रीय आय का सैंकड़ा मान कर चलने पर व्यय का प्रतिशत 4.74 प्रतिशत तथा 4.85 प्रतिशत क्रमशः बैठता है ।

नेफा में वानस्पतिक उद्यान

2932. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेफा में एक वानस्पतिक उद्यान बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह उद्यान बनाने का क्या उद्देश्य है ;

(ग) क्या इस के लिये जमीन चुन ली गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी भूमि अर्जित की गई है और विकास कार्य कब आरम्भ होगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, फिलहाल नहीं ।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

मारीशस को भारतीय सहायता

2933. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारीशस के प्रधान मंत्री की मार्फत, जो हाल ही में नई दिल्ली आये थे, मारीशस को आर्थिक आयोजन के लिए सहायता और तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता प्रोग्राम का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जनवरी 1965 में मारीशस के प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और मारीशस के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विनिमय हुआ था और भारत ने अपनी यह इच्छा व्यक्त कर दी थी कि वह इस दिशा में मारीशस की यथा सम्भव सहायता करने के लिए तैयार है ।

(ख) ये प्रस्ताव नीचे लिखी बातों के विषय में हैं :

(1) भारत के विशेषज्ञों की सेवाएं, और

(2) मारीशस में उद्योग स्थापित करने में भारतीय उद्योगपतियों का सहयोग । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

डाकघरों द्वारा जीवन बीमा की किस्तें

2934. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **संचार** मंत्री 31 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 827 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों द्वारा जीवन बीमा की किस्तें वसूल करने की योजना अब देश भर में लागू हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) यह योजना केवल आंध्र, केरल, मद्रास, मैसूर तथा राजस्थान डाक परिमण्डलों में लागू है ।

(ख) जीवन बीमा निगम पालिसियों की पुनर्नवीकरण किस्तें शाखा डाकघरों और उन उप-डाकघरों में वसूल की जाती है जहां कोई बैंक नहीं हैं । डाकघर द्वारा एक कच्ची रसीद दे दी जाती है और बीमेदार को पक्की रसीद जीवन बीमा निगम द्वारा यथासमय भेज दी जाती है ।

प्रति लेन-देन पर डाक-तार विभाग को 50 पैसे कमीशन मिलता है । इस कार्य के लिए आवश्यक रसीदों-पुस्तकें, दैनिक खातों के फार्म आदि जीवन बीमा निगम द्वारा डाक-तार विभाग को मुफ्त दिये जाते हैं । इस पर डाक-तार विभाग ने कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया है ।

बेरोजगार स्नातक व्यक्ति

2935. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बेरोजगार स्नातकों की संख्या बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनको रोजगार हेतु उपयुक्त सहायाता प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की है और इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी रोजगार कार्यालयों की मदद से काम चाहने वाले स्नातकों (जिनमें नये स्नातक भी शामिल हैं) की संख्या दिसम्बर, 1961 से दिसम्बर, 1964 के बीच 55,786 से बढ़ कर 72,326 तक पहुंच गई ।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं की विभिन्न विकास योजनाओं द्वारा शिक्षित व्यक्तियों के लिए, जिनमें स्नातक भी शामिल हैं, रोजगार के काफी अवसर बढ़ेंगे।

आर्मी केडिट कालेज, पूना

2936. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक चुनाव बोर्ड ने सेना के जिन लगभग 50 उम्मीदवारों को आर्मी केडिट कालेज, पूना के लिए चुना था उन्हें जनवरी, 1965 से आरम्भ होने वाले पाठ्यक्रम में नहीं लिया गया ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पाठ्यक्रम में इन उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) चुनाव खाली जगहों की संख्या तथा उम्मीदवारों के योग्यताक्रम पर निर्भर करता है। 54 सेवाओं के उम्मीदवार जो सब प्रकार से योग्य पाये गये थे जनवरी, 1965 में आरम्भ होने वाले सेना कडेट कालेज के दसवें कोर्स से छोड़ दिये गये थे, क्योंकि अर्ह उम्मीदवारों की संख्या खाली स्थानों की अपेक्षा अधिक थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इजरायल जाने वाले यात्री

2937. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इजरायल की यात्रा करनै के इच्छुक व्यक्तियों के लिये विशेष रूप से कठिन प्रक्रिया तथा पृथक यात्रा पत्र प्राप्त करने का उपबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इजरायल जाने के लिये यात्रा पत्र के लिये दिये गये आवेदन-पत्र प्रायः अस्वीकार कर दिये जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इजराइल के लिए यात्रा संबंधी दस्तावेज़ लेने का तरीका वही है जो और सब देशों के लिए है।

(ख) इजरायल के लिए अलग पासपोर्ट लेने की जरूरत होती है क्योंकि अरब राज्य उन पासपोर्टों पर वीजा देने से इन्कार कर देते हैं जिन पर इजरायल के वीज़ा जारी हो चुके हों।

(ग) और (घ) प्रार्थना-पत्रों पर हमरी सामान्य नीति के अनुसार ही विचार किया जाता है।

पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा

2938. { श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना : }

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत आये ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने भारतीय पाकिस्तान गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अप्रैल 1964 से मार्च, 1965 तक कुल मिलाकर 3,68,509 पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत यात्रा के लिए आए ।

(ख) इसी अवधि में 1,96,467 भारतीय पाकिस्तान की यात्रा पर गए । इन आंकड़ों में (1) गुजरात राज्य के पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से संबद्ध से 15 जनवरी 1965 के बीच के रिटर्न और (2) असम तथा गुजरात राज्य और संघ प्रदेश त्रिपुरा के पाकिस्तानी राष्ट्रिक और भारतीय, दोनों ही से संबद्ध 16 से 31 मार्च, 1965 की बीच की अवधि के रिटर्न शामिल नहीं हैं । इन रिटर्नों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सुलभ हो जाने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Pak. Attack on Indian Security Forces

2939. Shri D. N. Tiwary: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pakistani soldiers attacked the U.N. Observers Team and Indian Security Forces near the Jammu cease-fire line with mortar bombs and machine guns during the last week of February, 1965;

(b) if so, the number of personnel of Indian Armed Forces injured and killed as a result thereof; and

(c) the action taken by the U.N. observers in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju): (a) On the 25th February, 1965, Pakistani troops fired with Light Machine Guns on our patrol which was escorting UN officers in area 5 miles West South-West of Rajauri near Jammu.

(b) None.

(c) A cease-fire violation complaint was lodged by our local Army formation with the UN Military Observers. The Chief Military Observer is presumed to have taken up the matter with Pakistan authorities.

कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन

2940. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन के श्रम मंत्रालय ने कुछ रसायनों के, जिनमें बीटा-नेपथाइलेमाइन भी सम्मिलित है और जिनके बारे

में यह मालूम है कि वे कैंसर उत्पन्न करते हैं ; निर्माण, आयात अथवा प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या सरकार ने रसायनिक पदार्थों का प्रयोग करने वाले प्रबन्धकों को सलाह दी है कि इन पदार्थों पर डाक्टरी निष्कर्षों की जानकारी रखें तथा ऐसे खतरों की रोकथाम के लिए समन्वित प्रयास करें ;

(ग) क्या यह सच है कि यह रोग खनिकों में सब से कम होता है, जिस पर कोयला धूलि का अत्यधिक प्रभाव होता है ; और

(घ) कोयला धूलि कहां तक फेफड़ों के कैंसर के उत्पन्न होने को रोकने में उपयोगी पाई गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) वीटानेपथाइलेमाइन के आयात पर दिसम्बर, 1961 में रोक लगाई गई । इन्डस्ट्रीज (डवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1951 के अन्तर्गत इसके निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती । डेवलपमेंट कौंसिल फार आर्गेनिक कैमिकल इण्डस्ट्रीज के डाइज पैनल में से विशेषज्ञों की समिति ने ब्रिटिश केमिकल इन्डस्ट्रीज द्वारा अपनाये गये कोड आफ प्रेक्टिस को भारत में उसी प्रकार के उद्योगों के द्वारा अपनाने की सिफारिश की है ।

(ग) और (घ) भारत में खनिकों में कैंसर के मामलों की जानकारी नहीं है । उपलब्ध सूचना से यह कहना कठिन है कि खनिकों में कैंसर का रोग सबसे कम है ।

Telephone Directory, Delhi

2941. { **Shri Yashpal Singh:**
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the telephone directory of Delhi is being published in English language alone;

(b) whether the same is proposed to be published in Hindi also; and

(c) when its Hindi Edition would be made available?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati): (a) Yes.

(b) and (c). It has been decided to publish some percentage of the Delhi Telephone Directory in Hindi. Efforts are being made to bring out the first Hindi Issue as early as possible.

भारत पर पाकिस्तान का आरोप

2942. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करांची के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में "गन्दे काम के लिये महिलाएं—भारत अपने जासूसी कार्यों में आकर्षण तथा रंगरूप का समावेश" करता है

शीर्षक के अन्तर्गत एक किस्सा छापा गया था और भारतीय उच्चायोग ने इस सम्बन्ध ने एक विरोध पत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के बारे में तथ्य क्या है और यदि पाकिस्तान से कोई उत्तर मिला है तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 20 मार्च, 1965 को, पाकिस्तानी प्रेस में इस शोर्षक के अंतर्गत एक खबर छपी थी--"कुकृत्य के लिए महिलाएं--भारत द्वारा जासूसी कार्रवाइयों में रूप और रंग का योग" । समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि अन्य बातों के साथ साथ भारत सरकार ने "कहा जाता है कि पाकिस्तान में अपने जासूसी दलों में बहुत सी सुन्दर और चतुर महिलायें बढ़ा कर उनका पुनर्गठन किया है जिससे कि गुप्तचरों (सीक्रट सर्विस एजट्स) को सहायता की जा सके ।

करांची-स्थित भारतीय हाई कमीशन ने 20 मार्च, 1965 के नोट में इस प्रकार के गैर-जिम्मेदार, शरारतपूर्ण और बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ कड़ा विरोध प्रकट किया है । पाकिस्तान से अभी हमारे नोट का जवाब नहीं आया है ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवायें

2943. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा सेवाओं में लिये जाने वाले नये व्यक्तियों को प्रतिरक्षा सेवाओं अथवा प्रतिरक्षा कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं में कुछ न्यूनतम अवधि तक सेवा करनी पड़ेगी ;

(ख) ऐसे स्नातकों की किन किन श्रेणियों पर यह खंड लागू होगा ; और

(ग) क्या यह आदेश डेन्टल सर्जनों, स्नातक नर्सों तथा भेषजविज्ञों पर भी लागू होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तथा मेडिकल ग्रेजुएट, जो कि केन्द्रीय सकार के पदों तथा सेवाओं, सरकारी अधिकरणों तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत संशोधित भरती नियमों के अन्तर्गत लिए जाते हैं, वे सभी इस दायित्व के अन्तर्गत आते हैं । पहले दस वर्ष की सेवावधि में उन्हें 4 वर्ष तक का रक्षा सेवाओं में नौकरी करने का दायित्व होगा और आमतौर पर 40 वर्ष के इंजीनियर ग्रेजुएटों तथा 45 वर्ष के मेडिकल ग्रेजुएटों पर लागू नहीं होगा :

(ग) जी नहीं ।

Construction of Tribhuvan Rajpath

2944. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Tribhuvan Rajpath in Nepal had been constructed mainly with the assistance from Government of India;

(b) if so, whether a board has been put up near Raxaul border indicating that the said Rajpath had been constructed by the U.S.A.;

(c) whether the contents of the said board give this impression that India has given no assistance for the highway; and

(d) whether Government propose to get India's name also added thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir; the Tribhuvan Rajpath connecting Kathmandu and Bhainse was constructed exclusively with the assistance of the Government of India.

(b) There is a board at Raxaul border indicating that the road connecting Raxaul and Bhainse was constructed by the U.S.A. This road is different from, though a continuation of, the Tribhuvan Rajpath.

(c) No, Sir. India's assistance for the construction of 72-mile long Tribhuvan Rajpath from Kathmandu to Bhainse is recognised and appreciated by all concerned.

(d) No, Sir.

राष्ट्र मण्डलीय सचिव

2945. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार राष्ट्रमण्डल सचिवालय के, जो इस समय बन रहा है, प्रथम महासचिव की नियुक्ति में सक्रिय रुचि ले रही है ;

(ख) क्या सरकार को इसके लिए कुछ नाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या भारत किसी उम्मीदवार का नाम प्रायोजित कर रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ग) भारत सरकार राष्ट्रमंडल सचिवालय के प्रथम महासचिव के पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति का नाम नहीं दे रही है । भारत सरकार को कुछ उम्मीदवारों के नामों का पता चला है जिनका प्रस्ताव राष्ट्रमंडल के कुछ देशों ने किया है लेकिन उनसे उक्त पद पर नियुक्त किए जाने के लिए किसी के नाम का समर्थन करने को नहीं कहा गया है ।

युद्ध में गैस का प्रयोग

2946. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अल्जीयर्स में होने वाले आगामी अफ्रीकी एशिया सम्मेलन में भारत यह

प्रस्ताव रखना चाहता है कि किसी देश को विश्व के किसी भाग पर विशैली गैस का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस सन्धि पर विभिन्न देशों के हस्ताक्षर करवायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 1925 के जेनेवा प्रोतोकोल के अनुसार जहरीली गैस और वैसी ही अन्य चीजों का इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता के विरुद्ध है । इसलिए इस सवाल पर किसी और संधि की जरूरत महसूस नहीं होती ।

United Nations Population Commission

2947. Shri Sidheshwar Prasad: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Census Commissioner of India recently went to New York to participate in the meeting of the United Nations Population Commission;

(b) if so, the views expressed by him in the said meeting; and

(c) whether he expressed those views in his personal capacity or as a spokesman of Government?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): (a) Yes, Sir.

(b) Relevant extracts from the 'Provisional Summary Record' of the various meetings of the 13th Session of the United Nations Population Commission are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT*-4333-65].

(c) The views expressed by him were in his capacity as the Population Commission are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT*-4333-65].

लौह अयस्क खान मजदूर कल्याण उपकर

2948. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में लौह अयस्क खान मजदूर कल्याण उपकर से अनुमानित कुल कितनी आय हुई;

(ख) अब तक कितनी राशि वसूल की गई है ;

(ग) यह राशि किन मदों पर व्यय की जाती है तथा अब तक कल्याण योजना पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 25,00,000 रुपये ।

(ख) 1-10-1963 से 31-3-1965 तक 48,74,010 रुपये वसूल हो चुके हैं ।

(ग)	1963–64	1964–65
	रु०	रु०
उपकर वसूल करने पर व्यय		1,75,500
कल्याण संगठन का प्रशासन व्यय		1,19,056
कल्याण योजनाओं पर व्यय .		1,17,944

(घ) अब तक लागू की गई कल्याण योजना का स्थूल ब्योरा इस प्रकार है :—

उड़ीसा

(1) अवकाश गृह . . .	6,454
(2) शिक्षा सुविधायें . .	1,674
(3) चिकित्सा सुविधायें . .	49,161
योग .	57,289

बिहार

(1) चिकित्सा सुविधायें . .	1,000
(2) कल्याण केन्द्र . .	16,108
योग .	17,108

मध्य प्रदेश सौर महाराष्ट्र

(1) चिकित्सा सुविधायें . .	5,000
(2) शिक्षा सुविधायें .	5,000
(3) श्रम कल्याण केन्द्र . .	30,000
योग .	40,000

आंध्र प्रदेश और मैसूर

(1) शिक्षा सुविधायें . .	2,300
(2) मनोरंजन सुविधायें . .	1,247
योग .	3,547
कुल योग	1,17,944

Prime Minister's Visit to Russia

2949. **Shri Yudhvir Singh:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Sarjoo Pandey:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister is going to the Soviet Union on a goodwill tour; and

(b) if so, the names of members of his party?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir. The Prime Minister will pay a good-will visit to the Soviet Union from 12th to 19th May, 1965 on an invitation of the Government of the U.S.S.R.

(b) The party accompanying the Prime Minister will consist of the following members:—

1. Shrimati Shastri.
2. Shri Swaran Singh, Minister of External Affairs.
3. Shri L. K. Jha, Secretary to the Prime Minister.
4. Shri C. S. Jha, Foreign Secretary.
5. Shri M. G. Kaul, Joint Secretary, Prime Minister's Secretariat.
6. Shri C. P. Srivastava, Joint Secretary, Prime Minister's Secretariat.
7. Shrimati S. Kochar, Deputy Secretary, Ministry of External Affairs.

And some members of the Personal staff.

सैनिक इंजीनियरी सेवा, अम्बाला छावनी

2950. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला छावनी में सैनिक इन्जीनियरी सेवा में तांबे के तारों के स्थान पर जस्तेदार लोहे के तारों को रखा गया है और यह मामला विशेष पुलिस संस्थान अम्बाला ने अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां तो यह कितनी राशि का मामला है; और

(ग) देश भर में इस प्रकार के मामलों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी हां । यह सब सच है कि अम्बाला छावनी में यूनिटों की लाइनों के कुछ भागों में सिर के ऊपर से जाने वाले बिजली के तारों में से तांबे के तार निकाल लिये गये हैं और कुछ भागों में उनके स्थान पर जस्तेदार लोहे के तार लगा दिये गये हैं । मामला विशेष पुलिस संस्थान अम्बाला के हाथ में है ।

(ख) तांबे के तारों की कुल हानि 10,700 रुपये के लगभग ग्रांकी जाती है।

(ग) देश के ग्रन्य स्टेशनों से जो सूचना प्राप्त की गई है उससे पता चलता है कि ग्रौर किसी स्थान पर इस प्रकार का मामला नहीं हुग्रा है, जहां सिर के ऊपर से जाने वाली लाइनों में से ताम्बा चुरा लिया गया हो ग्रौर उसके स्थान पर जस्तेदार लोहे के तार लगा दिये गये हों ?

कार्यक्रम ग्रधिकारी*

2951. श्री बाल्मीकी : क्या **सूचना ग्रौर प्रसारण** मंत्री 1 जून, 1964 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम ग्रधिकारी के पदों के लिए 5,000 प्रार्थी थे जिनमें से लिखित परीक्षा के ग्राधार पर छांटे गये 363 उम्मीदवारों के पश्चात् केवल 42 उम्मीदवारों को चुना गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन पदों के लिए चुनाव की एक मात्र कसौटी इन्टरव्यू में प्राप्त नम्बर थे तथा उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त नम्बरों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ;

(ग) यदि हां तो भारतीय प्रशासनिक सेवा ग्रादि जैसे विभिन्न ा ाों ें भ ा के मामले में ग्रपनाई जा रही सामान्य प्रथा को न ग्रपनाने के क्या कारण हैं; ग्रौर

(घ) क्या चुनाव बोर्ड द्वारा इन्टरव्यू किये गये शेष 321 उम्मीदवारों को इन पदों के लिए बिल्कुल ग्रयोग्य घोषित कर दिया गया है ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) संघ लोक सेवा ग्रायोग ने ग्राकाशवाणी में प्रोग्राम एक्सिक्यूटिव के पदों के लिए 3890 दरख्वास्तों पर विचार किया। इनमें से 3517 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने की ग्रनुमति दी गई। 363 उम्मीदवार इण्टरव्यू के लिए बुलाये गये। इण्टरव्यू के लिए ग्राए 348 उम्मीदवारों में से केवल 42 उम्मीदवारों को प्रोग्राम एक्सिक्यूटिव के पदों पर नियुक्ति के लिए ग्रायोग ने सिफ़ारिश की।

(ख) जी हां।

(ग) ग्राकाशवाणी में प्रोग्राम एक्सिक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा ग्रायोग द्वारा जो लिखित परीक्षा ली गई थी वह भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतियोगिता परीक्षा के ढंग की नहीं थी बल्कि वह इण्टरव्यू के लिए उम्मीदवारों को छांटने के लिए केवल छांट परीक्षा थी। इण्टरव्यू के लिए उम्मीदवारों को छांटने के लिए जो लिखित परीक्षाएं ली जाती हैं उनमें मिले ग्रंकों का ग्रन्तिम चयन करते समय विचार नहीं किया जाता।

(घ) जी हां।

*Programme Executives.

Educated Unemployed in Delhi

2952. **Shri Yudhvir Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Sarjoo Pandey:

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of educated unemployed in Delhi has increased this year as compared to the last year;

(b) if so, the extent thereof; and

(c) the measures being adopted in this connection?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): (a) and (b). 65,441 educated applicants (Matriculates and above) were on the live register of the employment exchanges in Delhi at the end of the year 1964 as against 43,521 at the end of the year 1963.

(c) The various development schemes in operation in Delhi under the Five Year Plans are designed to improve the employment position among the educated as well as other employment seekers.

Use of Hindi in Army Headquarters

2953. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri S. M. Banerjee:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Naval Prabhakar:
Shri S. N. Chaturvedi:
Shri Vishram Prasad:
Dr. Govind Das:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of the Ministry of Defence and Army Headquarters have been forbidden to do noting on files and correspondence work in Hindi;

(b) if so, the reasons for this bar when Hindi has been declared the official language for all purposes at the Centre; and

(c) whether orders are proposed to be issued to remove this bar, if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Use of Hindi in Ordnance Depots.

2954. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri S. M. Banerjee:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Naval Prabhakar:
Shri S. N. Chaturvedi:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government employees working in Ordnance Depots situated in U. P. Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar have been forbidden to do official work, to submit applications and to sign in Hindi;

(b) whether it has been done at the instance of Government or at the free will of the officers concerned; and

(c) whether some clear cut orders have been issued by the Ministry of Defence clarifying the policy of Government in this connection.

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) to (c). Instructions applicable to Defence establishments (including Ordnance Depots) provide for the use of Hindi in official work for some purposes, *e.g.* correspondence with States which have adopted Hindi the official language, replying to communications in Hindi, etc. Employees of such establishments are not forbidden to submit applications or to put signatures in Hindi. No case in which an employee of an Ordnance Depot has been forbidden to do so, has come to the notice of Government.

Immediate switch-over to the use of Hindi in all official work is not practicable. The policy of Government is to promote the use of Hindi progressively without dislocation of work.

Use of Hindi in Defence Establishments

2955. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Kishen Pattnayak:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Naval Prabhakar:
Shri S. N. Chaturvedi:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri P. L. Barupal:
Shri Utiya:
Shri Madhu Limaye:
Shri Vishram Prasad:
Dr. Govind Das:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government employees working in various Offices and Departments under his Ministry have been

forbidden to submit their applications or to put their signatures in Hindi; and

(b) the number of such incidents that have occurred so far in different offices and the action taken or proposed to be taken in regard thereto?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) No, Sir.

(b) No such case has been reported to Government.

कसौली में बंगलों का अधिग्रहण

2956. **श्री कपूर सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सुरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 29 के अन्तर्गत कसौली में अब तक सुरक्षा कार्यों के लिए कितने बंगलों का तथा किस किस तारीख को अधिग्रहण किया गया ;

(ख) उक्त अधिनियम, की धारा 30 के अन्तर्गत कितने मामलों में किराया प्रतिकर का निर्धारण किया गया है तथा अधिग्रहण के कितने समय बाद किया गया है ;

(ग) कितने मामलों में प्रतिकर का भुगतान किया गया है ; और

(घ) वह ब्याज कौन देगा जो भारत सुरक्षा नियम, 1962 के नियम, 114 के अन्तर्गत अधिग्रहीत सम्पत्ति के मालिक को प्रतिकर की राशि पर बकाया राशि के रूप में मिलना चाहिये।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) कसौली स्थित दो बंगलों को भारत रक्षा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिग्रहण करने के लिए आदेश जारी किये गये हैं केवल एक ही बंगले पर कब्ज़ा मिला है। यह 17 जून, 1963 को हुआ है।

(ख) कब्ज़ा देने के 11 महीने बाद अर्थात् 19 मई, 1964 को समर्थ प्राधिकारी ने हर्जाना निश्चित किया था।

(ग) अधिग्रहण की गई इमारत का किराया दिसम्बर, 1964 तक दिया जा चुका है। अगली तिमाही का किराया देने का काम हाथ में है।

(घ) ब्याज उसी हालत में देय है जब कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित समय के अन्तर्गत हर्जाना न दिया जाय। उस हालत में यह बोझ सरकक़ार पर होगा।

Transistors for Soldiers

2957. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to supply to our troops transistor sets which are now being manufactured in India; and

(b) if so, the number of such sets so far purchased?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). Yes, Sir. It was decided in March 1965 to purchase 350 transistor sets from the market for the collective use of the troops at high

altitudes and in isolated places where other amenities do not exist to supplement the transistors already received as gifts from various sources and distributed to them. The cost of this purchase is being met from the National Defence Fund and arrangements are under way to purchase these sets.

White Paper and Indo-Pak. Border

2959. **Shri Madhu Limaye:**
Shri Rameshwaranand:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to publish a White Paper in which detailed information on the existing situation in border areas from Kutch to Tripura adjoining other countries would be given; and

(b) if so, when the White Paper would be published?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) and (b). It is the intention of the Government to publish a brochure or a White Paper on the border situation in the Kutch shortly.

भारतीय वायु सेना के डकोटा विमान का नागालैंड में दुर्घटनाग्रस्त होना

2960. **श्री तुला राम :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री नागालैंड में भारतीय वायुसेना के डकोटा के गिरने के बारे में 14 अप्रैल, 1965 को लोक सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन परिस्थितियों में डकोटा गिरा क्या उसकी जांच अब पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच की इस समय क्या स्थिति है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कोर्ट आफ इन्क्वायरी द्वारा अब भी छान-बीन हो रही है ।

मास्को जाने वाला भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

2961. **श्री कोया :**
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री किंदर लाल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग परियोजनाओं के बारे में बातचीत करने के लिये भारतीय अधिकारियों का कोई प्रतिनिधिमंडल रूस भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारी दल ठीक-ठीक किन विषयों पर बातचीत करेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। डेलीगेशन 24 अप्रैल, 1965 को सोवियत संघ के लिए रवाना हुआ ।

(ख) यह डेलीगेशन ब्यौरे के मामलों को अन्तिमरूप देगा, और उन विषयों की अगली कार्यवाही पर बातचीत करेगा जिन पर रक्षा मंत्री के अगस्त-सितम्बर, 1964 के डेलीगेशन के साथ सोवियत संघ की सरकार से विचार विमर्श हुआ था । ये इस प्रकार के मामले हैं जैसे कि हल्के टैंकों की खरीद तथा उससे सम्बन्धित उपस्कर, मिग विमान का उत्पादन करने के लिए सुविधाओं का ब्यौरा, आदि ।

मद्रास में बेरोजगार व्यक्ति

2962. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को मद्रास राज्य में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में मैट्रिक, स्नातक (ग्रेजुएट) तथा स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) 1964 में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख).

उम्मीदवारों का वर्गीकरण	चालू रजिस्टरों के अनुसार संख्या जैसी 31-12-64 को थी	सन् 1964 में रोजगार पाने वालों की संख्या
मैट्रिक और हायर सेकण्डरी परीक्षा पास लोग (जिनमें इण्टरमीडिएट भी शामिल हैं)	45,370	18,574
ग्रेजुएट (जिनमें पोस्ट-ग्रेजुएट भी शामिल हैं)	1,920	3,201

चीन-पाक सीमा सन्धि के बारे में भारत का विरोधपत्र

2963. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मार्च, 1965 को रावलपिंडी में हुए तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा संलेख (प्रोटोकोल) के विरोध में चीनी दूतावास को दिये गये 7 अप्रैल, 1965 के भारतीय पत्र का कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-पाक सीमा विवाद

2964. { **श्री नारायण डांडेकर :**
श्री सोलंकी : }

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक सीमा विवाद (पूर्व और पश्चिम दोनों में) कितने और कहां-कहां थे जो 15 अप्रैल, 1962, 1963, 1964 और 1965 को अनिश्चित पड़े थे ; और

(ख) वे विवाद किस-किस तारीख को शुरू हुए जो 1964 और 1965 में (15 अप्रैल तक) पहली ही बार सामने आये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत-पाकिस्तान के बीच सीमा सम्बन्धी वर्तमान विवाद ये हैं :—

पथरिया के दक्षिण में पांच गांव और असम में उमापति गांव से संबद्ध विवाद ;

पश्चिम बंगाल के 24 परगना की सीमा से संबद्ध 1958 के भारत-पाकिस्तान करार की व्याख्या ;

फैनी नदी विवाद, भागलपुर रेलवे लाइन से संबद्ध 1958 का भारत-पाकिस्तान करार, मुहुरी नदी विवाद और सिवपुर-गौरांगवाला ग्राम विवाद, त्रिपुरा सीमा के बारे में ; और

कच्छ और सिन्ध के बीच भूमि पर सीमा अंकित करने के तरीकों का सवाल, जो नक्शों और प्रलेखों में सीमांकित किया जा चुका है ।

ये सभी विवाद 15 अप्रैल, 1962 से पहले से चले आ रहे हैं और इनका निबटारा नहीं हुआ है ।

भारतीय सीमा पर पाकिस्तानियों का गोली चलाना

2965. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जनवरी से अब तक कूच-बिहार, कच्छ-सिंध, लाटीटीला-दूमावाड़ी, करीमगंज और जम्मू तथा काश्मीर युद्धविराम रेखा क्षेत्र में से प्रत्येक क्षेत्र में हाल की पाकिस्तानी गोला-बारी तथा अतिक्रमण के कारण कितने व्यक्ति विस्थापित हो गये हैं ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में इसके कारण कितने गांव पूर्णरूप से अथवा आंशिकरूप : खाली कराये गये हैं ; और

(ग) उन्हें पुनः बसाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). संबद्ध राज्य सरकारों से यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और आते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

कलकत्ता-आसनसोल ट्रंक केबल लिंक

2966. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री किंदर लाल :
श्री ब्रजवासी लाल :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-आसनसोल ट्रंक केबल लिंक को दोहरा करने की योजना पर कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ; और

(ख) योजना की लागत क्या होगी तथा उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) इस काम के मई, 1965 के अन्त तक पूरा होने की आशा है ।

(ग) इसकी लागत लगभग 14 लाख रुपये है। इस काम के अन्तर्गत छः नये रिपीटर केन्द्रों में विद्युद्णु उपस्कर लगाने और विभिन्न केन्द्रों के उपस्करों में वृद्धि करने का काम शामिल है ।

संगोवाली गांव पर पाकिस्तान द्वारा छापा

श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
2968. **श्री विश्राम प्रसाद :**

733 (Ai) LS—7.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अप्रैल, 1965 को उस समय एक सिविलियन मारा गया तथा कुछ अन्य घायल हुए जब कुछ सशस्त्र पाकिस्तानियों ने छम्ब क्षेत्र में जम्मू (काश्मीर) से लगभग 55 मील दूर संगोवाली गांव पर छापा मारा ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख). 13 अप्रैल, 1965 की रात को 10 हथियार-बन्द पाकिस्तानी सिविलियनों ने पाकिस्तानी सैनिकों की सक्रिय सहायता से छम्ब क्षेत्र के संगोवाल गांव पर छापा मारा। इसके परिणामस्वरूप हमारी ओर का एक सिविलियन मारा गया तथा एक को चोट आई।

(ग) मरे हुए सिविलियन की लाश, दो जीवित राउण्ड तथा चार खाली केश पाकिस्तानी निशान के साथ प्राप्त किये गये थे ; संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों को दिखलाये गये थे। एक युद्ध-विराम उल्लंघन सम्बन्धी शिकायत प्रेक्षकों से कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, हमारी ओर से एहतियाती कदम उठाये गये हैं।

Manufacture of Light Tanks

2970. { **Shri Brij Basi Lal:**
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a British firm Messrs. Vickers have accepted the proposal to collaborate with India in the manufacture of light tanks capable of being transported by air; and

(b) if so, the main conditions of the Collaboration?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) An offer to collaborate with the Government of India for the design and manufacture of an air-portable light tank to suit our requirements, has been received from Messrs. Vickers-Armstrong of U.K.

(b) The offer is still under examination.

डाक और तार सर्किल, बम्बई

2971. **श्री काजरोलकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार सर्किल कार्यालय को बम्बई से नागपुर ले

जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसे प्रस्ताव से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(घ) क्या वाणिज्य मण्डल तथा संबंधित उद्योगपतियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं। इस समय इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र संस्था सम्मेलन

2972. **श्री द्वारका दास मंत्री** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत जनवरी में भारत में संयुक्त राष्ट्र संस्था के सम्मेलन के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई ; और

(ग) उक्त सम्मेलन में कितने देशों ने अपने प्रतिनिधिमण्डल भेजे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 80,000 रुपये।

(ग) बाहर के 37 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सम्मेलन में भाग लिया।

पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव

2974. **श्री विश्वनाथ पांडेय** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूची राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान ने भारी संख्या में अपनी सेनाओं का जमाव कर रखा है तथा अपनी सैनिक गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ा दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) पाकिस्तान ने सेमी-मिलिटरी रेंजर्स की संख्या बढ़ा दी है, जो सीमा की चौकियों की देख-भाल कर रहे हैं । सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में भी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। तथा-कथित मुजाहिदों को गहरा सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और भरती में तेज़ी कर दी गई है ।

(ख) समय-समय पर जिन सावधानी बरतने सम्बन्धी कदमों की आवश्यकता पड़ती है, लिए जाते हैं ।

दक्षिण वियतनाम के लिये डाक्टरी दल

2975. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दक्षिण वियतनाम में खून चढ़ाने का एक केन्द्र स्थापित करने के लिए वहां एक डाक्टरी दल भेजने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जी नहीं। अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :—

> "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा हाल ही में किया गया आन्दोलन ।"

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : 25 अप्रैल, 1965 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैम्पस में फसाद हुए जिनमें उप-कुलपति सहित बहुत से व्यक्तियों को चोटें आई । यह फसाद, विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों के उस आन्दोलन के फलस्वरूप थे जो 12 अप्रैल, 1965 को हुई अपनी बैठक में विद्या परिषद् द्वारा किये गये इस फैसले के विरुद्ध किया गया था कि इंजीनियरी और टेक्नौलाजी संकायों में दाखिले के लिए आन्तरिक तथा बाहरी विद्यार्थियों का अनुपात आमतौर पर 50 : 50 होना चाहिये । 1963 से पहले, सकांय के 50 प्रतिशत स्थान आन्तरिक विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रहते थे । किन्तु 1963 में विश्वविद्यालय ने यह प्रतिशतता 50 से बढ़ा कर 75 कर दी और 1963 तथा 1964 के दौरान इसी आधार पर दाखिले किये गये ।

विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त जांच समिति ने दिसम्बर, 1960 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में व्यावसायिक कालेजों में दाखिले के प्रश्न पर इस प्रकार विवेचन किया था :

> "एक इंजीनियरी कालेज की स्थापना राज्य की ओर से बहुत बड़े अनुदान मिलने के कारण सम्भव हो सकी है। राष्ट्र उन विद्यार्थियों से जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहते हैं, यह आशा करता है कि वे उच्च स्तर के साबित हों। विश्वविद्यालय के अपने दाखिले की नीति को नियमित करने का अधिकार हमेशा विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में देश की उच्च स्तर के विशेषज्ञों की मांग के आधार पर संतुलित किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति इस प्रकार की जा सकती है कि विश्वविद्यालय को किसी भी वर्ष अपने प्रथम और उच्च द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सीटों को 50 प्रतिशत सुरक्षित रखने का अधिकार जारी रहने दिया जाए। निस्संदेह, इन नीति का अनुसरण करने में विवश्वविद्यालय मुस्लिम और गैर-मुस्लिम विद्यार्थियों के बीच भेद भाव नहीं कर सकता और न ही उसे ऐसा करना चाहिये। किन्तु यह मान लेना उचित होगा कि अलीगढ़ के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों में से काफी संख्या मुस्लिम विद्यार्थियों की होगी ...."

विश्वविद्यालय द्वारा 1963 में 75 प्रतिशत आरक्षण की ऊंची सुरक्षात्मक दीवार खड़ी करना शैक्षिक संस्था के रूप में एक विश्वविद्यालय की बुनियादी विशेषताओं के विरुद्ध है और विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्तर के भी विरुद्ध है। दो साल तक इस नियम का का पालन करने से, विश्वविद्यालय बिल्कुल क्षेत्रीय और अन्तरज बनता जा रहा था। विश्वविद्यालय में आम राय यह थी कि विश्वविद्यालय का स्तर गिरता जा रहा है। इसलिये दाखिला समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् ने 12 अप्रैल, 1965 को यह निर्णय किया कि इंजीनियरी और टेक्नोलाजी संकायों में दाखिले के लिए आन्तरिक तथा बाहरी विद्यार्थियों का अनुपात आमतौर पर 50:50 का अनुपात रखा जाए।

विद्या परिषद् के इस फैसले का कुछ विद्यार्थियों ने कड़ा विरोध किया। यूनियन की कार्यकारी समिति की सलाह के विरुद्ध, 300 या 400 विद्यार्थियों ने अपने आपको एक जनरल बाडी (सामान्य निकाय) की बैठक में बदल लिया और विद्या परिषद् के फैसले के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए एक ऐक्शन कमिटी नियुक्त की। इन विद्यार्थियों ने जलूस निकाले और प्रदर्शन किये जो 19 अप्रैल, 1965 को आरंभ हुए।

जब आन्दोलन शुरू हुआ तब उप-कुलपति अलीगढ़ में नहीं थे। 21 अप्रैल, को अलीगढ़ लौटने पर उन्होंने अपने साथियों की सलाह से, विद्यार्थियों को यह बताने के लिए कि विद्या परिषद् द्वारा पारित संकल्प में "आम तौर पर" शब्द का व्यवहार में किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, यूनियन की कार्यकारी समिति से मिलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का यह डर निराधार है कि इस शब्द का अर्थ परिवर्तन लाने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। विद्या परिषद् के फैसले के अनुसार विश्वविद्यालय, प्रत्येक वर्ष दाखिलों को नियंत्रित करने में अपनी मर्जी से कार्य करेगा और परिषद् के निर्णय में इसकी व्यवस्था भी है। इस निर्णय के अनुसार विद्या परिषद् केवल उस वायदे को निभा रही है जो विश्वविद्यालय ने जांच समिति की संगत सिफारिश को स्वीकार करते समय किया था और जो विश्वविद्यालय की पुरानी पद्धति के अनरूप था। उप-कुलपति ने विद्यार्थियों को उनके आन्दोलनात्मक रुख के लिए

[श्री मु०क० चागला]

अपनी असहमति बता दी थी और उन्हें सलाह दी थी कि वे किसी प्रकार के प्रदर्शन न करें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि नियमों में परिवर्तन के विरुद्ध विद्यार्थियों द्वारा पारि प्रस्ताव को वह कार्यकारी परिषद् के सामने पेश करेंगे।

विश्वविद्यालय के उप-कुलपति तथा अन्य अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण किये जा के बावजूद कुछ विद्यार्थियों ने जलूस निकालना जारी रखा और प्रदर्शन किये। 25 अप्रैल, 1965 को विश्वविद्यालय के पदाधिकारी चुनने के लिए विश्वविद्यालय कोर्ट की एक बैठक हुई। जिस भवन में कोर्ट की बैठक हो रही थी उसके बाहर लगभग 1500 विद्यार्थियों की एक भीड़ जमा हो गई और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। विद्यार्थी ईंट-पत्थरों लाठियों और खाली बोतलों से लैस थे और उन्होंने यह मांग की कि विद्या परिषद के फैसले को विश्वविद्यालय कोर्ट फौरन रद्द कर दे। बैठक में भाग लेने वाले कुछ अधिकारियों और अध्यापकों ने बैठक से बाहर आकर विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की कि वे वहां से हट जाएं। पहले तो विद्यार्थी वहां से चले गये किन्तु जल्दी ही वापिस आ गए और जिस भवन में बैठक हो रही थी, उसकी खिड़कियों और दरवाजों में से उन्होंने पत्थर तथा बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों के हिंसात्मक बर्ताव के जारी रहने पर और हालत के बिगड़ने के आसार नज़र आने पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया।

भीड़ ने अपना हिंसात्मक बर्ताव जारी रखा और पुलिस पर भी ईंटें पत्थर फेंकने शुरू कर दिये जिसके कारण पुलिस के कुछ आदमियों को चोटें आईं। क्योंकि पुलिस दल पर भीड़ द्वारा काबू पा जाने का जबरदस्त खतरा था, इसलिये पुलिस ने आत्म रक्षा के लिए तीन राउंड चलाए, जिसके फलस्वरूप दो विद्यार्थियों को चोटें आईं। इसके बाद विद्यार्थी कुछ देर के लिए तितर बितर हो गये, किन्तु वे फिर इकट्ठे हो गये और उन्होंने पुलिस की मौजूदगी पर एतराज किया और पूछा कि पुलिस किस अधिकार से विश्वविद्यालय में दाखिल हुई है। साथ ही साथ उन्होंने फिर से ईंट पत्थर फेंकना भी शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ विद्यार्थी जबरदस्ती उस हाल में घुस गए, जहां पर कोर्ट की बैठक हो रही थी और वहां पर मौजूद विश्वविद्यालय कोर्ट और स्टाफ के सदस्यों को पीटना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों ने उप-कुलपति पर जबरदस्त हमला किया जिससे उन्हें काफी चोटें लगीं। यहां यह कहना उचित होगा कि दो विद्यार्थियों ने खुद बहुत बड़ा खतरा उठा कर उप-कुलपति की और ज्यादा चोटें आने से बचाने की कोशिश की।

उप-कुलपति को एक नर्सिंग होम में इलाज के लिए 26 अप्रैल, 1965 को दिल्ली लाया गया, जहां पर उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जहां तक उप-कुलपति के तथाकथित इस्तीफे का सवाल है, राष्ट्रपति को, विश्वविद्यालय के विजीटर की हैसियत से, इस्तीफे का कोई पत्र नहीं मिला है।

और आगे कानून और व्यवस्था को भंग होने से बचाने के लिए, जरूरी एहतियाती कदम उठाये गये हैं। पुलिस ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गश्त की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। और स्थिति काबू में है। सामान्य स्थिति हाने तक विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है।

उपकुलपति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यद्यपि बाहर से तो आन्दोलन दाखिले के नियमों में प्रस्तावित परिवर्तन के विरुद्ध दिखाई देता था किन्तु वास्तव में वह आन्दोलन विश्वविद्यालय की समस्याओं के प्रति उपकुलपति के व्यापक और राष्ट्रीय रुख के कारण व्यक्तिगत रूप से उनके विरुद्ध था। इससे वह भी पता चलेगा कि फसाद केवल यदा-कदा होने वाली घटना मात्र नहीं था; इसके लिए यह पूरी तरह से सुसंगठित था। फसाद के मूल कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मामले की पूरी जांच कर रही है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी कि विश्वविद्यालय अपने संगठन तथा कार्यकलापों में, उच्च शिक्षा की एक राष्ट्रीय संस्था से आशा किये जाने वाले उच्च स्तर के अनुरूप हो।

Shri Rameshwar Tantia (Sikar): May I know whether it is a fact that there is a communal section in the University known as Jamaite-Islami which is responsible for the disturbances which take place every now and then? Is it also a fact that this section has the support of the pro-Vice-Chancellor?

Mr. Speaker: I would request the hon. Members to confine only to one question each.

Shri Rameshwar Tantia: All that I want to know is whether this section has the support of the pro-Vice-Chancellor and, if so, whether Government have instituted an enquiry in this connection and, if not, do Government contemplate to do the same?

श्री मु० क० चागला : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्टॉफ के कुछ लोग प्रतिक्रियावादी संकुचित तथा सांप्रदायिक विचारों के हैं। और वे उपद्रवी लोगों के साथ मिले हुए हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं पूरा यत्न करूंगा कि ऐसे दलों को वहां से निकाल दिया जाये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : तो फिर उन को निकाल दीजिये।

श्री मु० क० चागला : यह एकदलवादी देश नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह प्रश्न तो विशेषतः प्रोवाइस-चांसलर की कार्यवाही से सम्बन्ध रखता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास प्रत्येक कर्मचारी की कार्यवाही अथवा गतिविधियों का ब्यौरा नहीं है। इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार जांच कर रही है। यदि वह जांच सन्तोषजनक न हुई तो मैं माननीय मित्र, गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा यह जांच करवायें।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Mr. Speaker, Sir, a similar thing had happened in the Aligarh Muslim University during the pre-independence days when the students had assaulted Maulana Azad. This thing had happened when the country was not free. But now when the country has become free and this University is getting crores of rupees from the Government this thing has hap-

[Shri Prakash Vir Shastri.]

pened and perhaps the hon. Minister has forgotten to tell that the Vice-Chancellor was so merciless beaten that there were as many as thirty-two stitches in his body. There was, I think, a plan to beat him to death. As the hon. Minister has also admitted, some professors and big officers of the Aligarh University were a party to this incident when the Vice-Chancellor was attacked. They had also asked the police why they had reached there without their permission. At the time of attack they had also shouted "Oh, Cock of Hyderabad, it were you who had helped integration of Hyderabad with India and now you have come here to ruin the Muslim University. May I, therefore, know after this terrible happening, why, instead of being complacent with the prosecution of a few students, the culprit officers have not been prosecuted and why some administration has not been appointed for the University.

श्री मु० क० चागला : अलीगढ़ में जिस प्रकार से मेरे माननीय मित्र का अपमान हुआ मुझे उससे बहुत दुख हुआ। जिस प्रकार से उप-कुलपति जी का अपमान हुआ उस के लिये मुझे और सारी सभा को उनके प्रति सहानुभूति है। मैं अपने मित्र तथा सारी सभा को एक बार फिर आश्वासन दिलाता हूं कि न केवल विद्यार्थियों को ही दण्ड दिया जायेगा किन्तु स्टॉफ के जिस व्यक्ति का भी इस में हाथ हो उस को भी दण्ड दिया जायेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

Shri Prakash Vir Shastri: The last part of my question was what are the objections of the Government to appoint an administrator in the University in these critical moments.

श्री मु० क० चागला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुलिस का सवाल है और जहां तक मेरी जानकारी ह—उसके अनुसार—पुलिस बाहर खड़ी रही, वह भीतर नहीं गई, और स्टाक के किसी व्यक्ति के कहने पर बिना उप-कुलपति की अनुमति के पुलिस को वापस भेज दिया गया और जप-कुलपति पर प्रहार किया गया।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : प्रहार किस ने किया ?

श्री मु० क० चागला : इस के लिए जांच की जा रही है। यह एक गम्भीर विषय है और हम इसका पता लगा रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : यह एक साजिस थी। इसलिए उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिये।

Shri Yudhvir Singh (Mohindergarh): In the weeklies of Aligarh and in some newspapers of Uttar Pradesh it has been published that a meeting was held in the Muslim hostel under the auspices of the University a few days before this thing had taken place. Some professors had also taken part in that meeting. Only Muslim students were present there. They discussed there that in case of restriction of admission to internal candidates India will not suffer as much as Pakistan because the students have been going to Pakis-

tan after completing their engineering and technological studies. Therefore to safeguard the interest of Pakistan it is essential to take such a step. I would like to know whether the hon. Minister is aware of these things?

श्री मौर्य (अलीगढ़) : जो तीन विद्यार्थी पाकिस्तान गये, कृपया उन के नाम बतलाइये ।

श्री मु० क० चागला : इस की मेरे पास जानकारी नहीं है, परन्तु मुझे पता है . . .

Shri Maurya: Can the hon. Member name even three students who have gone to Pakistan after completing engineering and technological studies? It is all irrelevant.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Is the hon. Member entitled to say that it is an irrelevant question?

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Maurya: Who are you to interfere?

(*Interruptions*)

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Maurya: I want him to name three such students who have gone to Pakistan after doing engineering and completing technological studies. He speaks lie. (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे कह सकते हैं ।

शान्ति, शान्ति । यदि श्री मौर्य का नाम हो तो उन की अपनी बारी आ जायेगी । परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है । उन्हें इस प्रकार बाधा नहीं डालनी चाहिये ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : (मन्दसौर) : उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहियें । वे निरर्थक, बिल्कुल निरर्थक बात कर रहे हैं (**अन्तर्बाधायें**)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: They are showing goondaism in the hon. House itself.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मुझे बहुत खेद है । मैं बोल रहा हूं इसलिये सब सदस्यों को बैठ जाना चाहिये ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : उन्हें अपने शब्द वापस लेने के लिये कहा जाये ।

श्री मौर्य : जन संघ के नेता ने मुझे बेवकूफ कहा ।

अध्यक्ष महोदय : जिस प्रकार श्री मौर्य वर्ताव कर रहे हैं यह बहुत आपत्तिजनक है ।

श्री मौर्य : जनसंघ के नेता ने मुझे बेवकूफ कहा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: You please keep quiet.

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय भी उचित बर्ताव नहीं कर रहे हैं । इसलिये मैं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उन पर भी लागू होते हैं ।

श्री मौर्य : जनसंघ के नेता ने मुझे बेवकूफ कहा ।

Mr. Speaker: You should take back the words which you have spoken while standing.

Shri Maurya: I want him to tell the names of three students who have gone to Pakistan after completing engineering and technology.

Mr. Speaker: Who are you to say so. You take back your words that he is telling a lie.

श्री मौर्य : मैं अपने शब्द वापस लेता हूं । परन्तु जन संघ के नेता ने मुझे बुवकूफ कहा है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: It has been rightly said.

श्री मौर्य : मुझे इस पर आपत्ति है । उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय का अपना व्यवहार भी आपत्तिजनक था । उन्हें भी इस पर खेद व्यक्त करना चाहिये । जब कोई इस प्रकार व्यवहार करता है तो उस को ठीक करना मेरा काम है न कि किसी अन्य माननीय सदस्य का । जिस प्रकार उन्होंने व्यवहार किया वह आपत्तिजनक तथा गलत था ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: It has been rightly said.

Mr. Speaker: The knowledge is not confined to you, others also have it. The hon. Minister will give reply. You answer only when your turn comes.

श्री मु० क० चागला : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान के सम्बन्ध में अलीगढ़ में कोई बैठक हुई थी, परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मेरे पास जो भी जानकारी है वह मैं सभा को अवश्य बताऊंगा । उप-कुलपति के विरुद्ध अक्तूबर से प्रचार किया जा रहा था परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि न ही उत्तर प्रदेश सरकार के गुप्तचर विभाग को और न ही हमारे गुप्तचर विभाग को इस बात का पता लगा ।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म की बात है ।

श्री मु० क० चागला : उप-कुलपति का राष्ट्रीय तथा उदार दृष्टिकोण है, इसलिये अक्तूबर से उर्दू के दो समाचार पत्र उन के खिलाफ लिखते रहे हैं परन्तु उन को इस बात का पता नहीं लगा, यहां पर दिल्ली में हमारा ध्यान भी इस ओर नहीं दिलाया गया । उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस का पता नहीं लगा । हम इस बारे में जांच कर रहे हैं । और इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि इस बारे में सारे मामले का किसी को क्यों पता नहीं लगा ।

Shri Bagri (Hissar): In the Banaras Hindu University no non-Hindu Vice-Chancellor and in the Aligarh University no non-Muslim Vice-Chancellor has been appointed so far. It is so by convention. Are Government contemplating to change this system.

श्री मु० क० चागला : यदि मैं कुछ अधिक देर शिक्षा मंत्री रहा तो मैं प्रयत्न करूंगा कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का उप-कुलपति गैर-मुस्लिम और बनारस विश्वविद्यालय का उप-कुलपति गैर-हिन्दू हो ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): In the Enquiry Committee Report it has been mentioned that somewhat closely related persons in large numbers in the University are harmful from the administration point of view. The Minister has been informed that three closely-related persons of present Registrar of the University are working there. When the present Vice-Chancellor was beaten, these persons were enjoying there. So the present Registrar is a bureaucrat like the ex-Vice-Chancellor. May I know what action Government is going to take against these two persons?

श्री मु० क० चागला : जैसा मैं सभा को पहले बता चुका हूं, मैं फिर नहीं दुहराता हूं कि स्टाफ के जिस किसी व्यक्ति का उप-कुलपति पर प्रहार करने में हाथ रहा होगा उस पर कार्रवाई की जायेगी । मैं अस्पताल से अभी वापस आया हूं । उप-कुलपति अब भी अस्पताल में ही हैं । मुझे यह सब जानकारी अस्पताल में ही मिली । मुझे इस पर बहुत चिन्ता हुई । परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि ऐसे साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादी तत्वों को अलीगढ़ विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाये ।

Dr. Ram Manohar Lohia: My question is concerned with the Registrar and the ex-Vice-Chancellor. I wanted to know why immediate action is not taken against these two persons. Why are they not being prosecuted . . .

श्री मु० क० चागला : मुझे रजिस्ट्रार से या पहले के उप-कुलपति के साथ कोई सहानुभूति नहीं है । यदि मझे यह पता लग गया कि उन में से किसी का भी इस में हाथ था तो मैं फिर माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि उस को निकाल दिया जायेगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia: There are thirty relatives. I think, you also know it.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): Is it a fact that the Registrar's appointment is contemporareous with the appointment of the Vice-Chancellor. But this thing did not apply in this case. Apart from it, the Registrar has in a press note declared the statement of Vice-Chancellor as totally false. May I know whether the attention of the Government has been drawn to this fact. If so, why the action has not been taken so far?

श्री मु० क० चागला : मैं उप-कुलपति से पत्र व्यवहार कर रहा हूं । मुझे उन का कल भी पत्र मिला था । मैं ने अलीगढ़ से आये हुए उन लोगों से भी बातचीत की है जो वहां उपस्थित थे । इन सब बातों के लिये समय लगता है । परन्तु जैसे मैं पहले

[श्री मु०क० चागला]

कह चुका हूं कि मैं किसी व्यक्ति को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक उस के लिये मेरे पास कोई आधार मौजूद न हों। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रार और उप-कुलपति की नौकरी समकालीन नहीं होती है केवल प्रत्युपकुलपति की नौकरी समकालीन होती है। मैं देखूंगा कि उस की सेवावधि का कितना समय बाकी है और यदि उस पर कोई आरोप हुआ तो मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि उस पर कार्रवाई अवश्य की जायेगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : उप-कुलपति पर इस प्रकार के अनुचित और घातक प्रहार को देखते हुए--जो कि भारत शिक्षा के इतिहास में एक निराली बात है--क्या मैं जान सकता हूं कि अलीगढ़ की चाहरदिवारी में जो अघटित घटनायें घट रही हैं, क्या सरकार ने उन के बारे में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय को इस विकार से बचाने के लिये विश्वविद्यालय को बन्द कर के अथवा इस को पूरी तरह से बदल कर क्या ठोस कार्यवाही करने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में अलीगढ़ विश्वविद्यालय को भारत के संमिश्र संस्कृति के विकास में योगदान देना है परन्तु मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि संघटित समाज में कुछ बाधा है, और मैं उस बाधा को दूर करना चाहता हूं और मैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय से इस साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी तत्वों को निकालने के लिये कड़ी कार्रवाई करूंगा।

Shri Siddheshwar Prasad (Nalanda): It has been quite evident from the long statement given by the hon. Education Minister that Government's policy has not been clear for Aligarh Muslim University. When it was declared every now and then that admission in every University will be on the basis of merit the decision was taken in Aligarh Muslim University against this declaration. May I know, therefore, why this decision was not implemented in Aligarh University? I think this University should not be allowed to work till that decision is accepted by them. May I know what are the views of the hon. Education Minister in this matter?

Mr. Speaker: The hon. Member is not asking any explanation or elucidation in his question. He is saying much more. There can be only one answer to this all. The hon. Minister will say that action will be taken against all those who are found guilty after the enquiry is made. He cannot say more than that.

Shri Siddheshwar Prasad: May I know whether the admissions in that University will in future be on the basis of merit? Could the hon. Education Minister give an assurance to the House?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार से मेरे दोनों माननीय मित्रों को गलत सूचना मिली है। जहां तक स्टाफ को रखने का सवाल है नियुक्तियां अन्य विश्वविद्यालयों की तरह चुनाव समितियों द्वारा ही की जाती हैं। जहां तक विद्यार्थियों को दाखिल करने का प्रश्न है उन्हें अखिल भारतीय आधार पर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त प्रतिशतता के अंकों के हिसाब से किया जाता है। सभी नियुक्तियां चुनाव समितियों द्वारा की जाती हैं।

Shri Siddheshwar Prasad: The answer that you have read is just the opposite.

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सभा को पक्का आश्वासन दिया है जो सन्तोषजनक है । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इस के मूल कारणों का पता लगाने के लिये और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इस प्रकार विद्यमान प्रवृत्ति को दूर करने के लिये दीर्घकालीन उपाय सुझाने वाली एक समिति गठित करने के लिये कोई विशेष उपाय करेंगे ?

श्री मु० क० चागला : मैंने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है परन्तु यदि आवश्यकता हुई तो जैसे हमने बनारस विश्वविद्यालय में किया था वैसे ही यहां भी एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इस के गठन को समाप्त कर सकते हैं । मैं ऐसा भी करने के लिये तैयार हूं । जहां तक दीर्घकालीन योजनाओं का सम्बन्ध है उस के लिये मैं उपकुलपति से बातचीत करूंगा । और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को एक आधुनिक उदार और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में उनको हर सम्भव सहायता दूंगा ।

Shri Maurya (Bareilly): The percentage of admission before Shri Tayabji became the Vice-Chancellor, was fifty per cent for internal students which was raised to seventy-five per cent by him. There was a student of M.A. named Mr. Bashir during his time. He was sent to Europe three to four times. He was the leader in this demonstration also. Though he got plucked so many times yet he was sent to Europe. The present Registrar is a Government servant. Shri Tayabji also was a Government servant. All this happened due to the mistake of these two persons. May I know, therefore, whether Government will take such a decision that Government servants will not be allowed to become Registrars and Vice-Chancellors.

श्री मु० क० चागला : जहां तक वर्तमान उप-कुलपति का सम्बन्ध है मैं ठीक ठीक कहता हूं कि मैंने इस पद पर आने के लिये उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया । मैंने उन को बता दिया था कि यह पद चुनौती का पद है । वह एक ऊंचे राजनयिक पद पर थे और वह राजनयिक लाइन में रह सकते थे परन्तु उन्हों ने इस चुनौती का सामना करने के लिये अलीगढ़ में यह पद ग्रहण करने के लिये राजनयिक पद का त्याग किया । यह दुःख की बात है कि उनकी यहां यह दशा हुई ।

जहां तक उन के पूर्वाधिकारी का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि उन्होंने कार्यकारी परिषद् की अनुमति के बिना ही प्रतिशतता को 50 से 25 कर दिया । परन्तु वर्तमान उपकुलपति अपने पूर्वाधिकारी की इस कार्यवाही के पहले जो स्थिति थी उसको ही रखना चाहते थे ।

श्री मौर्य : मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा था परन्तु उस का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री दी० चं० शर्मा : एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

Mr. Speaker: He does not agree to the point that no Government servant should be sent there.

श्री पें० वेंकट्टा सुब्बैया (अडोनी) : माननीय मंत्री ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य दिया है । क्या मैं जान सकता हूं कि उस संस्था में वर्तमान घटना को ध्यान में

[श्री पें० वेंकट्टा सुब्बैया]

रखते हुए वे एक ऐसा विधेयक लायेंगे जिस से मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा हिन्दू विश्वविद्यालय आदि जो साम्प्रदायिक नामावलि है उस को समाप्त किया जा सके ताकि हम देश में वास्तविक धर्मनिरपेक्षता स्थापित कर सकें ?

श्री मु० क० चागला : मैंने पहले ही यह कहा है। यदि यह सभा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का नाम बदलती है--जिस के बारे में विधयेक सभा में लाया गया है--और विश्वविद्यालय से पहले हिन्दू शब्द को निकाल दिया जाता है तो मैं भी जल्दी ही एक विधेयक लाऊंगा जिस से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मुस्लिम शब्द निकाल दिया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): It has not been made clear to me by the statement of the hon. Education Minister as to why the communal problem arose at all. Previously the percentage for admission for internal candidates was 75 per cent which was later reduced to 50 per cent. Only those students who thought that their future will be in dark, had demonstrated. So, how the communal problem arose at all which is being repeated here now and then. Moreover the Vice-Chancellor was a Mohammedan and the students were also Mohammedans.

श्री मु० क० चागला : साम्प्रदायिकता इस प्रकार आ जाती है। वर्तमान उपकुलपति अपने उदार राष्ट्रीय तथा आधुनिक दृष्टिकोण के लिये विख्यात हैं। इसलिये अलीगढ़ के साम्प्रदायिक लोग उनकी नियुक्ति से प्रसन्न नहीं थे। अत: अक्तूबर से उन के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा था। उन पर कई प्रकार के आक्षेप लगाये गये और उनके विरुद्ध निन्दात्मक वक्तव्य दिये गये। प्रतिशतता को 50 से बढ़ा कर 75 तक करना तो कोई विशेष बात न थी क्योंकि केवल प्रतिशतता में परिवर्तन करने से कोई उपकुलपति पर इस प्रकार से घातक प्रहार नहीं करता ।

श्री दी० चं० शर्मा : यह एक साम्प्रदायिक प्रश्न नहीं हैं। चीन समर्थक तथा पाकिस्तान समर्थक तत्व न केवल प्राध्यापकों में ही परन्तु विद्यार्थियों में भी हैं। इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि उस विश्वविद्यालय के चीन समर्थक तथा पाकिस्तान समर्थक तत्वों के बारे में जांच करने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही करेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तो इस बारे में बिल्कुल असफल रही है ।

एक माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री मु० क० चागला : कानून और व्यवस्था के मामले में कार्रवाई करना तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम है--वह अब जांच कर रही है--यदि हमें उस से सन्तोष न हुआ तो जैसे मैं पहले सभा को आश्वासन दे चुका हूं मैं अपने माननीय मित्र गृह कार्य मंत्री को कहूंगा कि वे केन्द्र से जांच करायें और यदि वे आवश्यक समझें तो केन्द्रीय जांच विभाग को यह मामला सौंप दें ।

श्री दाजी (इन्दौर) : मैं माननीय मंत्री के वक्तव्य का स्वागत करता और मैं इस मामले की और पैरवी नहीं करूंगा। परन्तु मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यह बात अब कहने से क्या लाभ है कि पिछले अक्तूबर से ऐसा हो रहा था ? न तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को और न ही केन्द्रीय जांच विभाग को इस बात का पता लगा। हमारे गुप्तचर हमारे इधर उधर जाने पर हमारा पीछा करने में हमेशा लगे रहते हैं। चाहे हम होटल में क्यों न जायें परन्तु जब ऐसी बड़ी घटनायें होती हैं तो वे

उसका पता लगाने में असफल रहते हैं । क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि प्रत्युपकुलपति की साम्प्रदायिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में इसी सदन में कई बार चेतावनी दी गई थी और इसके बावजूद भी वह अपने पद पर काम करते रहे। दूसरे अब भी जब कि जांच पूरी नहीं हुई है रजिस्ट्रार और कुछ अन्य अधिकारी अब भी अपनी नीति बरत रहे हैं और यहां तक कि उनके वक्तव्य समाचारपत्रों में आ रहे हैं जहां उपकुलपति के वक्तव्य को भी चेतावनी दी होती है । तो क्या हमें इस से यह जान लेना चाहिये कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ये सब तत्व विश्वविद्यालय में ऐसे ही रहेंगे ।

श्री मु० क० चागला : नहीं श्रीमान । मैं इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा हूं कि ऐसे तत्वों को निकालने के लिये शीघ्र कार्रवाई की जाये . . .

श्री नाथ पाई : या उनको मुअत्तिल कर दिया जाये ।

श्री मु० क० चागला : . . . या कुछ अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया जाये ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : यदि आपने महिला सदस्या का नाम लेना चाहते हो तो मैं बैठ जाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप को पूर्ववर्तिता दी है ।

श्री हेम बरुआ : शिक्षा मंत्री ने जो दृढ़ और तुरन्त कार्रवाई की है हमें उनसे ऐसी ही आशा थी और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह बहुत ही प्रेरणादायक है । परन्तु चूंकि यह अघटित घटना हुई हैं इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि विश्वविद्यालय से इस साम्प्रदायिकता के विष को निकालने के लिये जिस के कारण इस का सारा वातावरण दूषित हो गया है वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ;

श्री मु० क० चागला: जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि हो सकता है कि सारे गठन को ही समाप्त करना पड़े, अध्यादेश जारी करना पड़े या अधिनियम में संशोधन करना पड़े और फिर यह देखा जाये कि चुनाव में नौकरशाही, संरक्षण तथा साम्प्रदायिकता न आने पाये ।

Shri Madhu Limaye: Sir, My name is there in the list.

Mr. Speaker: Your name is there but I cannot call all the Members.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the number of students of the Engineering College who have graduated from this University, how many of them are in India and how many of them have gone abroad? Does the hon. Minister also know that the Vice-Chancellor of that University is a Rajākar of Hyderabad?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास उस की जानकारी नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: How many Ministers have gone abroad?

Mr. Speaker: He does not know.

श्रीमती मैमूना सुल्तान : माननीय मंत्री ने जैसी स्थिति बताई है उस को ध्यान में रखते हुए क्या वे न्यायिक जांच कराने के बारे में विचार कर रहे हैं ताकि जो तथ्य सभा में पेश किये जायें वे निष्पक्ष, शुद्ध तथा बिना किसी दबाव के पेश किये जायें ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश ने दंडाधिकारी द्वारा जांच कराई है। मैं उस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहा हूं और देखना चाहता हूं कि उस में क्या लिखा है ?

अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने तेरहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये:—

(1) डा० सारादीश राय	17 अप्रैल से 11 मई, 1965 (ग्यारहवां अधिवेशन)
(2) श्री उमानाथ	. 17 अप्रैल से 11 मई, 1965 (ग्यारहवां अधिवेशन)
(3) श्री लक्ष्मी दास	17 अप्रैल से 11 मई, 1965 (ग्यारहवां अधिवेशन)
(4) श्री परेश नाथ कायल	18 अप्रैल से 11 मई, 1965 (ग्यारहवां अधिवेशन)
(5) श्री अ० क० गोपालन	17 अप्रैल से 11 मई, 1965 (ग्यारहवां अधिवेशन)
(6) श्री माडला नारायण स्वामी	17 अप्रैल से 11 मई, 1965 (ग्यारहवां अधिवेशन)
(7) श्री मुहम्मद कोया	17 फरवरी से 6 अप्रैल, 1965 (ग्यारहवां) अधिवेशन)
(8) श्री कोल्ला वैंकैया	17 फरवरी से 16 अप्रैल, 1965 (ग्यारहवां अधिवेशन)
(9) श्री दशरथ देव	27 मार्च से 11 मई, 1965 (ग्यारहवां अधिवेशन)
(10) श्री काशी राम गुप्त	16 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1965 (ग्यारहवां अधिवेशन)
(11) श्री नं० रं० घोष	22 फरवरी से 9 अप्रैल, 1965 (ग्यारहवां अधिवेशन)
(12) श्रीमती सावित्री निगम	19 अप्रैल से 7 मई, 1965 (ग्यारहवां अधिवेशन)
(13) श्री बीरेन दत्त	4 से 31 मार्च, 1965 (ग्यारहवा अधिवेशन)

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने पिछली बार भी यही मामला उठाया था। जब लम्बी या गम्भीर बीमारी के कारण छुट्टी की मांग की जाती है, तो सभा को इस से चिन्ता हो जाती है। इस सूची में भी पुराने ही सदस्यों के नाम हैं जैसे श्री परेश नाथ कयाल, श्री काशीराम गुप्त तथा श्री नं० रं० घोष। मेरे विचार से उनको पहले भी बीमारी के कारण 59 दिनों की छुट्टी दी गई थी। अब भी उन्होंने बीमारी के लिए ही छुट्टी मांगी है।

इसलिये निश्चय ही हमें अपने मित्रों के स्वास्थ्य के लिए चिन्ता हो जाती है। इसलिये सभा को यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उनका ठीक प्रकार से उपचार हो रहा है। क्या माननीय सभापति हमें इस के लिए आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री खाडिलकर (खेड़) : पिछली बार जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था तो मैंने उन को आश्वासन दिया था कि समिति इस बात का ध्यान रखेगी कि यदि लम्बी बीमारी होगी तो . . .

श्री हरि विष्णु: यह दूसरी बार है।

श्री खाडिलकर ..... यह प्रतिवेदन में बताया जा सकता है।

जहां तक श्री कयाल का सम्बन्ध है, हमें उन से पत्र प्राप्त हुआ है। उन के पेट में फोड़ा है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि इस में कोई गम्भीर बात नहीं है। श्री काशी राम गुप्त की हड्डी टूट गई थी इसलिये वह प्लास्टर करवा रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह गम्भीर चीज है ?

श्री खडिलकर : नहीं, श्रीमन्। आपको इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री नं० रं० घोष को क्या हुआ है ?

श्री जोकीम आल्वा : कुछ सदस्य जेल में हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको वेतन दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलग प्रश्न है। मैं इस का इस प्रकार निर्णय नहीं कर सकता हूं।

मेरे विचार से सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री हरि विष्णु कामत : सभापति द्वारा आश्वासन दिये जाने के पश्चात्।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों की जैसी भी स्थिति होगी सूचित किया जायेगा।

खनिकों को जूते दिये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: SUPPLY OF FOOTWEAR TO MINERS

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : 19 अप्रैल को . . .

733 (Ai)—LS8.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से विवरण खनिकों के लिए जूते खरीदने के बारे में है। इस विवरण के छः अथवा सात पृष्ठ हैं।

श्री संजीवय्या : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : किसी दिन के लिए आधे घण्टे की चर्चा पहले ही निर्धारित की गई है।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : 7 तारीख के लिए।

श्री हरि विष्णु कामत : विषय क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : खनिकों को जूते देने के बारे में। यदि इस विवरण को अब पढ़ दिया जाये और उस पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये तो फिर और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम उस चर्चा के लिए आधे घण्टे से अधिक समय दे सकते हैं। उस स्थिति में विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ताकि माननीय सदस्य उस का अध्ययन कर सकें।

Shri Kishen Pattnayak: I would like to submit that in case the statement containing the agreement made with, Ruby Industries is not enclosed with the statement of Shri Nanda, its copy should also be laid on the Table of the House along with the statement of the Minister.

Mr. Speaker: You have said, so he will look into it. If possible, he will lay it on the Table.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : जहां तक आधे घण्टे की चर्चा 7 तारीख को करने का सम्बन्ध है, मेरे विचार से यदि यह शुक्रवार की बजाय सोमवार को हो जाये तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : तब कोई और कार्य हो सकता है।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

खनिकों को जूते दिये जाने के बारे में वक्तव्य

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : : मैं खनिकों को जूते दिये जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4323/65**]

माना शिविर में हुई घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: INCIDENT IN MANA CAMP

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : मुझे सभा को यह बताते हुए खेद है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के आवाजाही शिविर, माना में 1 मई, 1965 को एक ऐसी दुर्घटना

हुई जिसमें दो विस्थापितों की मृत्यु हो गई और बहुत से व्यक्ति जिसमें विस्थापित, कैम्प के कर्मचारी तथा पुलिस कर्मचारी भी सम्मिलित थे, घायल हुए। राज्य सरकार तथा शिविर के अधिकारियों द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनके अनुसार मामले के तथ्य निम्न हैं:—

आवाजाही केन्द्र माना समूह, पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये विस्थापित जो पश्चिम बंगाल में दाखिल होते हैं और जिन्हें सहायता के लिए स्वीकृत किया जाता है, उनके लिए वितरण केन्द्र का कार्य करता है। आवाजाही केन्द्रों में विस्थापितों को नकद सहायता दी जाती है। भारत सरकार ने अक्तूबर, 1964 में यह आदेश जारी किये कि नकद सहायता प्रति मास तीन किश्तों में 10 दिन के इटरवल में दी जाये। यह प्रणाली इस उद्देश्य को समक्ष रखते हुए लागू की गई थी कि समय समय पर मास के अन्तर्गत विस्थापितों को कुछ पैसे प्राप्त होते रहें और सारे महीने की नकद सहायता आरंभ में ही समाप्त न हो जाये। यह व्यवस्था आवाजाही केन्द्र माना समूह में इस कारण लागू नहीं की गई कि वहां के कर्मचारी विस्थापितों के स्वागत, विसर्जन तथा स्क्रीनिंग आदि के अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्यों में व्यवस्त थे। इस आवाजाही केन्द्र समूह में नकद सहायता महीने में तीन बार देने की बजाय दो बार दी जाती थी। इस बारे में प्राक्कलन समिति ने अपने इकहतरवें (71) प्रतिवेदन में टिप्पणी की थी और सिफारिश की है, विस्थापितों को नकद सहायता किश्तों में नियमित रूप से दी जाये और किश्तों में समय पर नकद सहायता देने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा नहीं होनी चाहिये।

1 मई, 1965 को माना शिविर में नई व्यवस्था के अनुसार नकद सहायता का वितरण होना था। इस नई प्रणाली के लागू करने के बारे में कुछ विस्थापितों ने आपत्ति उठायी तथा अन्य को यह कहा कि वे इस आधार पर नकद सहायता स्वीकार न करें। कुछ विस्थापितों ने नकद सहायता स्वीकार कर ली थी उन पर अन्य विस्थापितों द्वारा हमला किया गया। लगभग 2,000 प्रबल विस्थापितों की भीड़ माना के मुख्य कमांडेंट करनल श्री एस० पी० नन्दी से मिलने गई और उन्हें बाध्य किया कि पुरानी प्रणाली ही फिर से लागू की जाये। उन्होंने विस्थापितों को समझाया कि नई प्रणाली भारत सरकार के आदेशों के अनुसार लागू की गई है और विस्थापितों के लिये लाभदायक होगी। प्रतिमास दी जाने वाली नकद सहायता में कोई कटौती नहीं होगी और उन्होंने विस्थापितों को समझाने का प्रयत्न किया कि वे नई प्रणाली को स्वीकार कर लें। भीड़ उनके सुझाव को सुनने के लिये तैयार न थी। कुछ समय उपरांत भीड़ कैम्प कार्यालय संख्या—1 के पास एकत्रित हो गई जहां कि नकद सहायता का वितरण होना था। इस शिविर की नकदी की तिजौरी में 1 लाख से अधिक रुपये की धनराशि थी। भीड़ बहुत आवेश में आकर हिंसक वृत्तियों पर तुल गई और शिविर कार्यालय में दाखिल होने का प्रयत्न किया। मुख्य कमांडेंट करनल नन्दी ने अपर जिला मैजिस्ट्रेट को स्थिति के बारे में सूचित किया। अपर जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक तुरन्त शिविर के लिए रवाना हो गये।

शिविर में जो पुलिस तैनात की गई है वे भी शिविर कार्यालय पर पहुंच गई, अव्यवस्था तथा हिंसा को रोकने के लिये भीड़ को समझाने का प्रत्येक प्रयत्न किया गया। अभाग्यवश ये प्रयत्न असफल रहे। बड़ा पथराव हुआ। भीड़ ने आगे बढ़ कर शिविर कार्यालय को घेर लिया और दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की, शिविर के कमांडेंट,

[श्री हाथी]

मेजर ए० सी० चक्रवर्ती, पुलिस अधीक्षक श्री विर्मानी, नगर पुलिस अधीक्षक, रायपुर, श्री अग्निहोत्री तथा शिविर के कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी जो स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे उनको भी चोटें आयीं। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर होने के आदेश दिये किन्तु कोई लाभ न हुआ। पुलिस को हल्की लाठी चलानी पड़ी और अश्रु गैस का प्रयोग भी करना पड़ा। ये उपाय भीड़ को पीछे हटाने में असफल रहे क्योंकि भीड़ प्रचण्ड थी और हिंसक भाव में थी। भीड़ ने तितर बितर होने की बजाये पुनः समूह में एकत्रित हो गई और हर ओर से शिविर अधिकारियों तथा पुलिस कर्मचारियों पर लाठियों और पत्थरों से हमला आरम्भ कर दिया। स्थानीय पुलिस द्वारा उचित चेतावनी भी दी गई कि यदि भीड़ तितर बितर न होगी तो गोली चलानी पड़ेगी। चेतावनी पर कोई ध्यान न दिया गया। इसके उपरांत गोली चलाने का आदेश देना पड़ा।

यह एक बड़े दुःख का विषय है कि गोली चलाने के फलस्वरूप दो विस्थापितों की मृत्यु हो गई और 18 विस्थापितों को चोटें आयीं। ज्यूं ही भीड़ तितर-बितर होने लगी, गोली चलाना बन्द कर दिया गया।

विस्थापितों की भीड़ की हिंसात्मक वृत्तियों के कारण शिविर कमांडेंट तथा लगभग 19 शिविर कर्मचारियों को चोटें आई पुलिस में, पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक और लगभग 10 सिपाही जखमी हुए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत शिविर क्षेत्र में 1 मई, 1965 से आदेश जारी किया गया जिसके अनुसार हथियार ले कर चलना तथा 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना निषेध करार दिया गया। अब स्थिति सामान्य तथा शान्त बताई जाती है। अब इसके बाद कल वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई और सूचना मिली है कि विस्थापित संशोधित पैटर्न के अधीन नकद सहायता प्राप्त करने के लिये आ रहे हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने इस दुर्घटना के बारे में अपर जिला मैजिस्ट्रेट, (अदालती) रायपुर द्वारा पूर्ण दंडदायक सम्बन्धी छान-बीन करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में हमने ध्यान दिलाने की सूचनायें दी थीं और इससे पहले मंत्री जी का वक्तव्य आ गया है जैसा कि कभी-कभी होता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कल सूचना दी थी कि वे कल वक्तव्य देंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : यह रविवार था, हमें पता नहीं लग सकता था। मैं तो केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं।

क्या यह सच नहीं है कि पिछले वर्ष माना शिविर में रहने की दशा, विशेष रूप से जल-संभरण या जीवित रहने के लिए अन्य मूल सुविधायें, बहुत खराब थीं तथा मंत्री महोदय स्वयं शिविर देखने गये थे और उन्होंने इस सम्बन्ध में हिदायतें व निदेश दिये थे लेकिन इन बातों के सम्बन्ध में आज भी कोई सुधार दिखाई नहीं देता है?

श्री त्यागी : नहीं, श्रीमान् । अनेक नये नलकूप लगाये गये हैं और वहां पानी की कोई कमी नहीं है तथा शिविर में स्थिति बहुत अच्छी है जैसा कि अनेक दर्शकों ने, बाहर वालों ने भी, जो वहां गये हैं, बताया है । यह वहां की दशाओं के कारण नहीं था ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह सहायक कारण था ।

श्री त्यागी : ऐसा नकद सहायाता के वितरण के कारण था ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether it is a fact that the officer who gave orders for firing was so much physically unfit that just on hearing a few slogans he became nervous and ordered firing? Had he tried he could pacify these uprooted persons. I want to know how government propose to deal with such officers?

Shri Tyagi: Hon. Member might be knowing about it but I have no knowledge.

Mr. Speaker: When an enquiry is to be held, it could not be propore on the part of the hon. Member to make such statements.

श्री दाजी : क्या शिविर के सदस्यों की अपनी कोई सलाहकार अथवा परामर्शदात्री संस्था की कोई प्रणाली अथवा व्यवस्था है ताकि पुरानी प्रक्रिया में इस प्रकार के परिवर्तन करने से पहले उनसे परामर्श किया जा सके अथवा प्राधिकारियों को वहां रहने वालों की राय से अवगत किया जा सके ताकि ऐसी घटनायें न हों ?

श्री त्यागी : इस मामले में परामर्श करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सारे भारत में, सभी राज्यों में इसी प्रकार किया जा रहा था ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : ऐसा मालूम देता है कि यह पहला अवसर नहीं है, इससे पहले भी माना शिविर में इस प्रकार गोली चलाई गई है । हर प्रकार अनुशासन लाकर तथा शरणार्थियों को अपनी शिकायतें रखने के लिये शिविर में अथवा शिविर के पास ही कोई सभा करने की अनुमति न दे कर माना शिविर को नजरबन्दी शि[illegible] बना दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 15 दिन का इकट्ठी नकद सहायता देने के बजाय एक समय में 10 दिन की नकद सहायता दी जा रही थी और वे पुरानी प्रणाली पुनः चालू कराना चाहते थे ? अधिकारियों को इस पर क्या विशेष आपत्ति थी ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या नये निर्णय को कार्यान्वित करने से पहले पर्याप्त चेतावनी दी गई थी तथा क्या आसपास की शरणार्थी संस्थाओं से परामर्श किया गया था व उनके नेताओं को बातचीत करने दी गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : बाद के भाग का उत्तर वे दे चुके हैं ।

श्री त्यागी : जैसा मैं कह चुका हूं यह निर्णय नया नहीं है बल्कि यह निर्णय तो पिछले वर्ष किया गया था । माना शिविर में इसे लागू नहीं किया जा सकता था क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में अधिकारी नहीं थे और उनके पास बहुत काम था । तथापि उन्होंने पहले ही इसकी सूचना दे दी थी ।

श्री सा० मो० बनर्जी : हर बार केवल किसी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये गोली बारी की जाती है । क्या सरकार के लिये यह शर्म की बात नहीं है कि इन शरणार्थियों पर पाकिस्तान में और यहां भी गोली चलाई गई है ?

श्री त्यागी : मैं गोली चलाये जाने से प्रसन्न नहीं हू।

श्री स० मो० बनर्जी : सभा को इसके लिये काम रोकना चाहिये। वे हर दफा गोली चला देते हैं। यह तीसरा अवसर है।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): There have been trouble in the Mana Camp on three occasions. On the first occasion there were arrests on account of a theft case, second time communal disturbances were created and the third time only the other day this incident took place. The camp is full of communal elements who had been jailed twice or thrice. I want to know what is the government's objection to removing them from the camp or to keeping a strict watch on them?

Shri Tyagi: There is no doubt that such persons have managed to get into the camp, who create trouble and commit crimes etc. We take due care but as most of these families have come there after a lot of sufferings, we cannot be harsh to them. But the hon. Member is right in saying that some outsiders indulge in agitations there.

श्री विद्या चरण शुक्ल (महासमंद): क्या यह सच है कि इस शिविर में पिछले कई महीनों से भारी असन्तोष फैला हुआ है तथा यह झगड़ा मुख्य रूप से इन सब कारणों के इकट्ठा हो जाने के कारण हुआ है ? इन सब झगड़ों का पूर्वानुमान कर लेने के लिये प्राधिकारियों की कोई अपनी आसूचना व्यवस्था अथवा पुलिस नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रख कर सरकार का विचार ऐसी बातों का पहले ही पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ताकि शिविर में इस प्रकार की हिंसात्मक दंगे न हों ?

श्री त्यागी : जी हां, श्रीमान। अदालती जांच पूरी हो जाने के बाद ही मैं स्थिति पर टिप्पणी कर सकता हूं। मैं जांच पर प्रभाव नहीं डालना चाहता।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : उनका विचार इन शरणार्थियों को आवाजाही केन्द्रों में कितने समय तक नकद सहायता देकर रखने का है जिसके कारण वे लोग अनुशासनहीन हो जाते हैं।

श्री त्यागी : यह सब उनको स्थायी पुनर्वास के स्थानों में भेजने व उनको खेती तथा उद्योगों में रोज़गार दिलाने पर निर्भर करता है। इसलिये यह सब उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करता है।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेट) : वे कौन सी मुख्य बातें हैं जिनकी वजह से सरकार को 15 दिन में एक बार नकद सहायता देने की प्रक्रिया को बदलकर 10 दिन में एक बार सहायता देने की प्रक्रिया अपनानी पड़ी ?

श्री त्यागी : यह स्पष्ट किया जा चुका है।

Shri R. S. Pandey (Guna): Apart from the reasons for the trouble stated by the hon. Minister, one of the reasons was accumulation of money.

Shri Tyagi: This was not the reason.

Shri R. S. Pandey: This was one of the reasons.

Shri Tyagi: I have already stated that earlier the doles were being distributed twice in a month. When it was decided to distribute the doles for thrice in a month—after interval of ten days—they objected to it.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि इस मौसम में माना जलवायु की उग्रता के कारण शरणार्थियों के लिये भयानक स्थान बन जाता है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शरणार्थियों को अन्य मार्गस्थ शिविरों में भेजने तथा इस ओर ध्यान देने का है कि जहां तक माना शिविर का सम्बन्ध है, वहां उन की संख्या बहुत अधिक न हो ?

श्री त्यागी : यह कठिन होगा क्योंकि अधिकांश अन्य शिविर मार्गस्थ शिविर नहीं हैं। केवल माना समूह ही मार्गस्थ शिविर हैं। अन्य शिविर पुनर्वास शिविर हैं और वे अन्य राज्यों को जाते हैं जहां शिविरों के आसपास सीधे पुनर्वास की संभावनायें हों।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): May I know whether the hon. Minister has given any instructions to government officers to take severe action with a view to preventing entry of displaced persons and if so, whether the same would be withdrawn? Will he also issue instructions to accord uniform treatment to all the displaced persons?

Shri Tyagi: There is no question of taking severe action. Instead, in view of the sufferings of the families government and the officers are prepared to condone some of their excesses. There is no restriction on the entry of bonafide refugees.

श्री नाथ पाई (राजापुर): यह चकमा देने वाली बात है कि जब सरकार प्रतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों और हमलावरों के विरुद्ध हथियारों का प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं तो फिर शरणार्थियों पर गोली चलाने के लिए यह अजीब उत्साह क्यों है ? क्या मंत्री महोदय ने इसकी जांच की है ?

श्री त्यागी : इसकी बात की जांच न्यायाधिकारी करेंगे। इस लिए मैं इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं अपने माननीय मित्र को विश्वास दिला दूं कि अधिकारियों ने हंसी-दिल्लगी के लिये गोली नहीं चलाई गयी। हिंसात्मक कार्यवाही के कारण ही ऐसा किया गया। उनको आवश्यक सूचना दी गई। प्राप्त समाचारों के अनुसार इस समय यही विवरण है। . . . **(अन्तर्बाधा)**

श्री दाजी : क्या कोई पुलिस अधिकारी मारा गया था ?

अध्यक्ष महोदय : वे कह चुके हैं कि कुछ को चोटें आई हैं।

श्री दाजी : क्या चोटें गम्भीर थीं ? एक को भी गम्भीर चोट नहीं आई। कानूनी भाषा में एक खरोंच भी चोट गिनी जाती है। किसी भी पुलिस अधिकारी को एक भी भारी चोट नहीं आई लेकिन गोली चलाने का आदेश दिया गया . . . **(अन्तर्बाधा)**

Shri Prakash Vir Shastri: In all cases of firing on crowds, as a rule random firing is done only when the crowd becomes unruly even after first firing in the air and then firing below the knee. I want to know whether such a situation has arisen that the crowd could not be controlled without resorting to firing.

Mr. Speaker: All this would be revealed in the course of the enquiry.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether the necessity of firing was fully considered before giving orders to that effect? How many rounds were fired and whether some persons fired deliberately? How many people have been arrested, who had instigated the trouble?

Shri Tyagi: I have already given details about the firing. When stones were thrown, officers and policemen were injuried, an attempt was made to break open the room where cash was lying and the teargas and lathi-charge proved ineffective and when the mob become violent, it became necessary to fire. I want to submit before the house that unless the enquiry into these aspects is completed I cannot say whether it was proper to open fire or not.

(अन्तर्बाधा)

श्री स० मो० बनर्जी : जांच करने के लिये उन्होंने एक अस्थायी मेजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। वे यह जांच कैसे कर सकते हैं ?

श्री त्यागी : वे प्रशासनिक मेजिस्ट्रेट नहीं हैं। वे उच्च न्यायालय के अधीन एक न्यायाधिकारी हैं तथा कार्यपालिका के अधीन नहीं हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : यह पहला अवसर नहीं है जब कि माना मार्गस्थ शिविर में पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है। साथ ही उस शिविर में विद्यमान दशा निन्दनीय है तथा मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है। इस प्रसंग में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार वहां पर हुई घटनाओं, गोलीकाण्ड तथा साथ ही उस शिविर में रहने की निन्दनीय दशाओं की पूरी तौर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से निष्पक्ष तथा खुली जांच क्यों नहीं कराती ?

अध्यक्ष महोदय : दशा का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। झगड़ा किसी बिल्कुल भिन्न बात से उत्पन्न हुआ कि नकद सहायता दस दिन अथवा 15 दिन बाद बांटी जा रही थी।

श्री हेम बरुआ : मैं दशा की की बात छोड़ देता हूं। क्या वे एक खुली, निष्पक्ष अदालती जांच करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वे हमें बता चुके हैं कि किस प्रकार की जांच की जाने वाली है।

श्री त्यागी : यह अदालती जांच है।

Shri Bagri: Mr. Speaker, Sir, my name was also there?

Mr. Speaker: I was not calling from the list. I might not have noticed him standing. Moreover, I cannot call everybody.

केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक
KERALA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): श्रीमान्, मैं श्री गुलजारी लाल नन्दा

की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य के विधान-मंडल की कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य के विधान-मंडल की कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री ल० ना० मिश्र : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

वित्त विधेयक, 1965

FINANCE BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"वित्तीय वर्ष 1965-66 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्विति करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक में प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में कर प्रणाली को सरल बनाने और सुव्यवस्थित करने, व्यक्तिगत बचतों और विनियोजन को बढ़ावा देने और करोपवंचन को कम करने का उपबन्ध किया गया है । इन प्रस्तावों के अन्य उद्देश्य उत्पादकता और निर्यात को बढ़ाना, उद्योग के विस्तार के लिये संसाधनों का उपबन्ध करना, अधिक उत्पादन वाले उद्योगों में विनियोजन करना है । कुछ दिशाओं में कुछ राहतें भी दी गई हैं ।

इस समय छोटी आय के सम्बन्ध में आय कर से विमुक्ति दी गई है, अर्थात्, अविभक्त हिन्दू परिवारों के मामले में 6,000 रु० से अधिक कुल आय पर और व्यक्तियों और अपंजीबद्ध सार्थों आदि के मामले में 3,000 रु० पर । रिहायशी कर दाताओं के मामले यह तरीका चालू रहेगा । सहकारी समिति के मामले में, जिनके लिये विधेयक में आय कर की पृथक दर अनुसूची है, इस विमुक्ति के लिये उपबन्ध करना भूल से रह गया था । यह बताने के लिये मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का आभारी हूं । एक सरकारी संशोधन में इसको शामिल कर लिया गया है ।

जहां तक सरकारी प्रतिभूतियों से व्यक्तियों तथा अविभक्त हिन्दू परिवारों द्वारा प्राप्त की गई व्याज की अदायगी के सम्बन्ध में आयकर पर अधिभार का संबंध है, इस विधेयक में ऐसी आय पर वही रियायत दी गई है जो अर्जित आय पर लागू होती है । एकक प्रन्यास से प्राप्त लाभांशों को भी यह रियायत देने के लिये संशोधन लाया जा रहा है ।

व्यक्तिगत आय पर कर की दरों में परिवर्तन किये गये हैं इस से व्यक्तिगत आय के सभी स्तरों पर कर में कमी होगी ।

इन प्रस्तावों के अन्तर्गत व्यक्तिगत कर में दी जाने वाली राहत की कुछ व्यक्तियों ने आलोचना की है, यद्यपि सामान्य रूप से राहत का स्वागत किया गया है । कुछ लोगों का कहना है कि ऊंची आय वाले लोगों को बहुत लाभ होगा । अन्य लोगों का कहना है कि कर में कमी पर्याप्त नहीं है

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

अथवा समान नहीं है । थोड़ी बहुत असमानता तो रहेगी ही और उसे अपरिहार्य कारणों की वजह से दूर नहीं किया जा सकता ।

कर पद्धति को सरल बनाने के लिये इस विधेयक में अतिकर को आय कर में मिलाने का उपबन्ध किया गया है ।

विशेषक राशि के प्रथम 5,000 रु० के सम्बन्ध में नये उपबन्ध के अन्तगत अब कटौती को राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत करने का विचार है । विशेष राशि की शेष राशि के सम्बन्ध में कटौती 50 प्रतिशत ही रहेगी । ऐसा होने से अब काफी मामलों में कर छूट की पद्धति के अन्तर्गत बचतों पर कर राहत की राशि और कुल आय की गणना में सीधे रूप से कटौती की नई पद्धति में अन्तर नहीं रहेगा और अन्य सभी मामलों में अन्तर कम हो जायेगा । प्रस्थापित परिवर्तन से लगभग 2.25 करोड़ रु० की हानि सरकार को होगी ।

जो व्यक्ति अंगहीन आश्रितों की देखभाल करते हैं और जब कि आश्रित अस्पताल में दाखिल है उनकी कुल आय की गणना में 2400 रु० की कटौती करने का उपबन्ध है । वर्तमान उपबन्ध के अन्तर्गत यह राहत केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जायेगी जिनकी कुल आय 20,000 रु० से अधिक नहीं है । इस उपबन्ध को और उदार बनाने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । एक संशोधन द्वारा इस कटौती की राशि को बढ़ा कर 2400 रु० करने का विचार है । फिर, नये उपबन्ध के अन्तर्गत करदाता की आय के सम्बन्ध में कोई शर्त नहीं होगी ।

विधेयक के एक उपबन्ध के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को नौकरी से बरखास्ती अथवा त्याग-पत्र देने पर उन के 1 अप्रैल, 1962 से पहले किये गये अशंदानों की राशियां वापस मिलती हैं, उन राशियों पर कर से विमुक्ति दी जायेगी । विधेयक में दिये गये उपबन्ध के अनुसार यह उपबन्ध केवल 1965–66 से ही लागू होगा । अब इसको 1 अप्रैल, 1962 से भूतलक्षी प्रभाव देने का विचार है ताकि जो विमुक्ति 1962–63 से पूर्व थी वह 1962–63 के बाद भी उपलब्ध हो सके ।

इस विधेयक में व्यक्तियों तथा अविभक्त हिन्दू परिवारों द्वारा भारत में नई औद्योगिक कम्पनियों के सामान्य (इक्विटी) शयरों में विनियोजन को प्रोत्साहन देने का भी उपबन्ध किया गया है ।

निगम आय के कर के क्षेत्र में, मूल बातों में परिवर्तन नहीं किया गया है, परन्तु प्राथमिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने, उत्पादन बढ़ाने और नियमित क्षत्र की कुछ कठिनाइयों को दूर करने सम्बन्धी वर्तमान उपबन्धों के क्षेत्र का विस्तार करने के लिये कुछ उपायों का उपबन्ध किया गया है ।

जो कम्पनियां वित्त अधिनियम 1964 की प्रथम अनुसूची के भाग चार और और अधिकर कम्पनियां (लाभ) अधिनियम, 1914 की तीसरी अनुसूची में दी गई वस्तुओं के उत्पादन अथवा निर्माण से लाभ प्राप्त करती हैं उनको इन लाभों पर छूट का अधिकार है । अब इन सूचियों में कुछ और वस्तुएं भी शामिल करने का विचार है जिनके लिये हमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों में परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिये जो खर्च किया जायेगा उसकी कटौती का भी इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है ।

चाय उद्योग को, नये क्षेत्र में चाय उगाने के खर्च के 40 प्रतिशत और पुराने क्षेत्र में चाय की नई झाड़ियां लगाने के खर्च के 20 प्रतिशत को कटौती का अधिकार दिये जाने का भी इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है ।

नये उपबन्ध के अन्तर्गत जहाजों के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत की विकास छूट की दर और 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि में लगाई गई कोयला खान की नई मशीनों के सम्बन्ध में 35 प्रतिशत की दर को जारी रखा जा रहा है। परन्तु 31 मार्च, 1965 के पश्चात् लगाई गई मशीनों के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की विकास छूट दी जायेगी। 25 प्रतिशत की छूट उन मशीनों के सम्बन्ध में दी जायेगी जो इस प्रयोजन के लिये आयकर अधिनियम में लाये जाने वाली नई पांचवीं अनुसूची में दी गई वस्तुओं के निर्माण के लिये प्रयोग में लाई जायेंगी, और 15 प्रतिशत की छूट अन्य मशीनों और संयंत्रों के सम्बन्ध में दी जायेगी ।

निर्माताओं द्वारा कुछ वस्तुओं के बढ़े हुए उत्पादन के सम्बन्ध में दिये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के लिये कर में छूट के लिये प्रमाणपत्रों के लिये जाने की विधेयक में वर्तमान व्यवस्था में संशोधन करने का भी विचार है। यह सुनिश्चित करने के लिये कर में छूट के प्रमाण-पत्रों की राशि की गणना मूल वर्ष के दौरान लग चुके कर से अधिक संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के प्रयोजन के लिये निर्माता द्वारा कर चुकाये जा चुके माल पर दिये जाने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के आधार पर किया जायेगा। उत्पादन शुल्क के दायित्व सम्बन्धी कर में छूट के प्रमाण-पत्र उन प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिये दिये जायेंगे जिनकी क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की संभावना है और जो कच्चे माल और पुर्जों के आयात पर अधिक निर्भर नहीं करते। उन वस्तुओं तथा दरों के सम्बन्ध में, जिन के लिये प्रमाण-पत्र दिये जाने चाहियें, सरकार को सलाह देने के लिये निर्यात के लिये करों में छूट सम्बन्धी मंत्रणा समिति स्थापित करने का विचार है। जब भी आवश्यक होगा बोर्ड व्यापारियों को अपने विचार रखने के लिये कहेगा। केवल ऐसे ही बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर सरकार के लिये उन प्रमाण-पत्रों सम्बन्धी निर्णय लेना संभव होगा ।

ऐसा हो सकता है कि विधेयक में स्वेच्छापूर्वक जानकारी देने की योजना सम्बन्धी व्यवस्थाओं के अधीन कुछ लोग बैंक गारन्टी या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में प्रतिभूति देने की स्थिति में न हों। इसलिये सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधन करने का विचार है ताकि अन्य किसी रूप में प्रतिभूति दी जा सके जैसे संयुक्त स्कन्ध समवाय के अंश या ऋणपत्र या अचल सम्पत्ति के बन्ध-पत्र परन्तु शर्त यह होगी कि बिना लेख जोखे की आय प्रकट करने वाले व्यक्ति द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत कर का भुगतान किया जाये या बैंक प्रतिभूति अथवा सरकारी प्रतिभूति के रूप में 31 मई, 1965 तक दिया जाये जोकि इस योजना के अधीन ऐसे धन को प्रकट करने की अन्तिम तारीख है ।

अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में मैं स्वयं विधेयक में कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहता। परन्तु उत्पादन शुल्कों के कुछ प्रस्तावों के बारे में आयव्ययक में कुछ फेर-बदल करने पड़े हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि छोटे हथकरघा एककों को, जो कि अब तक भूरे रंग के कपड़ों पर कर से मुक्त रहे हैं, 25 रुपये प्रति करघा प्रति वर्ष की दर से शुल्क देना होगा। इसी प्रकार के फेर बदल लोहा तथा इस्पात से बनी वस्तुओं, तांबे तथा तांबा अयस्क पर लागू प्रशुल्क के सम्बन्ध में भी किये गये हैं जो उस उद्योग में काम करने वाले उद्योगपतियों तथा निर्माताओं के अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप किया गया है ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

लोगों में कुछ गलतफहमी है कि हमने मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है। हमने ऐसा नहीं किया है। अब मैं इस सारी स्थिति को स्पष्ट करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4320/65]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस विधेयक की सभी अवस्थाओं के लिये 15 घंटे रखे गये हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : हमने यह प्रार्थना की थी कि इसके लिये 17 अथवा 18 घंटे रखे जायें।

अध्यक्ष महोदय : यह तभी सम्भव हो सकता है यदि हम प्रतिदिन देर तक बैठें। हमने 6 बजे तक बैठने का पहले ही कार्यक्रम बनाया है। यदि सभा देर तक बैठना चाहती है तो इसके लिये समय बढ़ाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : 6 तारीख को भी इस पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर भी विचार किया गया है, परन्तु सरकार कहती है कि यह सम्भव नहीं होगा। अतः इन तीन दिनों अर्थात् 3, 4 और 5 तारीख को सभा यदि देर तक बैठना चाहे तो समय बढ़ाने में मुझ कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मी० रु० मासानी : राज्य सभा 14 तारीख तक बैठेगी अतः विधेयक को आगामी सप्ताह में लौटाने के लिये उनके पास पर्याप्त समय है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आप से इस मामले पर पुनः विस्तारपूर्वक विचार करने के लिये अनुरोध करता हूं। मेरे विचार में यदि हम इस विधेयक को राज्य सभा को 6 तारीख को भी भेज देंगे तब भी वह इस पर भली प्रकार चर्चा कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन से अधिक समय तो हमारे कार्यालय में लगेगा, वे कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा विधेयक है और यदि कोई गलती हो जायेगी तो वे इसको पुनः लौटा देंगे और इससे कठिनाइयां उत्पन्न होंगी क्योंकि उस समय हमारी बैठकें नहीं हो रही होंगी।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मेरी कठिनाई यह है कि 11 तारीख अन्तिम दिन है और चूंकि 12 तारीख को छुट्टी है, मुझे 11 तारीख से पहले इस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी है। विधेयक जब लौट कर आयेगा तो मुझे सभा की भी आज्ञा लेनी पड़ेगी इससे पहले कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाये। अतः मैं अध्यक्ष पीठ के इस सुझाव से सहमत हूं कि यदि सभा देर तक बैठे . . . .

अध्यक्ष महोदय : हम 7 बजे तक बैठ सकते हैं।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : 5 तारीख को हमें देर तक बैठना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री जी ने कहा है कि 7 तारीख को ठीक रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री प्रभातकर (हुगली) : पहले पठन के लिये कितना समय रखा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य तीसरे पठन पर भी चर्चा करना चाहते हैं, तो हम उसके लिये भी एक घंटा रख सकते हैं, इस हालत में हमें देर तक बैठना पड़ेगा ।

श्री मी० रु० मसानी : खण्ड-वार चर्चा के लिये कम से कम 5 घंटे होने चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि हम देर तक बैठने का निर्णय करें तो इसके लिये भी 5 घंटे मिल जायेंगे । श्री मसानी ।

श्री मी० रु० मसानी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, वित्त मंत्री ने अपने विधेयक में 87 संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिनमें से 70 एसे संशोधन हैं जिनका सम्बन्ध पाठ का पुनः मसौदा बनाने से है । स्पष्ट है कि विधेयक का मसौदा बहुत त्रुटिपूर्ण तथा अविवेकपूर्ण ढंग से बनाया गया है कि इसको ठीक रूप देने के लिये सरकार को 70 संशोधन प्रस्तुत करने पड़े हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इन संशोधनों में 40 से भी अधिक तो ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध केवल पुनः नम्बर लगाने से है, क्योंकि कुछ संशोधनों के कारण क्रम संख्या में हेर-फेर करना पड़ रहा है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER, *in the Chair*]

श्री मी० रु० मसानी : यही तो मैं भी कह रहा हूं कि विधेयक का मसौदा अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप सरकार को इतने सारे संशोधन प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं । 7 सप्ताहों के श्रम के पश्चात् यह 87 छोट-छोटे अनावश्यक संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, परन्तु जो आयव्ययक में परिवर्तन करने के लिये संशोधन प्रस्तुत करने चाहियें थे वह नहीं किये गये । जनता, प्रेस, औद्योगिक तथा व्यापारिक संघों द्वारा चालू वर्ष के आय-व्ययक के बारे में जो इतनी आलोचना की गई है उसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । जनता की आवाज़ को ठुकरा दिया है । लोग करों के भार को सहन करने में कब तक जोश दिखाते रहेंगे । यदि उनकी भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो एक न एक दिन यह जोश ठण्डा पड़ जायेगा । चूंकि सत्तारूढ़ दल की बहुसंख्या है, इसलिये सरकार जो कुछ भी करना चाहे कर सकती है चाहे कितना अनचित विधान क्यों न हो यहां सब पारित हो जाता है । संसद् को तो केवल एक रबड़ की मुहर की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है । यदि संशोधन न भी प्रस्तुत किये जाते तब भी यह विधेयक पारित कर दिया जाता ।

कर-समंजन योजनाओं (टैक्स क्रेडिट स्कीम्ज़) को इस विधेयक का अंग बनाया जाना चाहिये । कर सम्बन्धी विधान को प्रशासनिक ढंग से बनाने के कार्य को सरकार के स्वविवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये, क्योंकि यह बिना प्रतिनिधान के कर नहीं के सिद्धान्त से मेल नहीं खाता । यह इस सिद्धान्त के भी प्रतिकूल है कि संविधान के अन्तर्गत केवल लोक-सभा को ही कर सम्बन्धी विधान बनाने का अधिकार है । सरकार द्वारा इन शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है । पिछले वर्ष मंत्री महोदय को धारा 37 के अन्तर्गत निगमित विज्ञापनों, यात्राओं तथा निगमित उपक्रमों के लिये निवासस्थानों पर खर्च को सीमित करने का अधिकार दिया गया । हम जानते हैं कि उन्होंने इसका किस प्रकार दुरुपयोग किया है । यह राजपत्र में प्रकाशित आय कर (तृतीय संशोधन) नियमों से स्पष्ट है । किस प्रकार वित्त मंत्रालय ने निगमित उपक्रमों पर अतिरिक्त कर लगाने की उन नियमों में घोषणा की है । इन नियमों के विरुद्ध जनता द्वारा इतनी कड़ी आलोचना के फलस्वरूप वित्त मंत्री को यह नियम वापिस लेने पड़े और उन पर पुनः विचार

[श्री मी० रु० मसानी]

करने पर उन्हें सहमत होना पड़ा। यह एक अच्छी बात है परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसे नियमों को बनाते समय इन पर उचित रूप से विचार क्यों नहीं किया जाता। यदि उक्त नियम लागू कर दिये जाते तो इससे उत्पादन तथा निर्यात व्यापार पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता। यदि इन नियमों को परिवर्तित रूप में भी पुनः प्रस्तुत किया गया तो इन से हमारे देश में आने वाली विदेशी पूंजी और विद्यमान सहकारिता समझौतों अथवा भविष्य में किये जाने वाले ऐसे समझौतों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि साम्यवादी संसार को छोड़कर और कहीं भी लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि सरकारी अधिकारी विज्ञापन देने आदि के मामलों में अपना फैसला दें। यदि हम विज्ञापन देने आदि के मामलों पर ऐसा नियंत्रण रखने का प्रयत्न करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी हमारे देश में, जिसमें अपने पैसों से विज्ञापन देने का भी अधिकार नहीं होगा, पूंजी नहीं लगाना चाहेगा। विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने से इस कार्य में लगे प्रवीण लोगों को बेरोज़गारी का शिकार बनना पड़ता जोकि पहले इस देश में बहुत अधिक है। इन नियमों को बनाते समय वित्त मंत्रालय ने सावधानी से कार्य नहीं किया और ऐसा ही कर-समंजन योजनाओं के बारे में हो सकता है। सरकार ने इस बारे में नियम बनाने के लिये गुंजाइश रख ली है ताकि वह अपनी मनमानी कर सके। इससे संसद् की सम्पूर्ण प्रभुता खत्म हो जाती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने जहां तक कर-समंजन योजनाओं का सम्बन्ध है, यह विधेयक एक ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि वह बाद में प्रत्यायोजित विधान के अन्तर्गत नियम, विनियम आदि बना कर लागू कर सके और इस प्रकार संसद् के नियंत्रण से बच सके।

यदि आयव्ययक में आमूल परिवर्तन न किये गये तो पूंजी बाज़ार अस्तव्यस्त हो जायेगा और विदेशी सहायता आनी बन्द हो जायेगी और पिछले दो तीन महीनों में, जब से आयव्ययक प्रस्तुत किया गया है, पूंजी बाज़ार को जो इस आयव्ययक से धक्का पहुंचा है उसमें अभी कोई सुधार नहीं हुआ। हम जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट कारपोरेशन द्वारा इकट्ठे किये गये धन से पूंजी बाज़ार को कब तक चला सकेंगे। क्या हम ऐसा करके उन प्रीमियम देने वालों के धन को पानी की तरह नहीं बहा रहे हैं जो अपने बीमा-पत्र पर अधिकतम बोनस पाने की आशा रखते हैं। ये राशियां जीवन बीमा निगम को नहीं दी जातीं ताकि सरकार स्टाक एक्सचेंज में ठगी मचा सके। इससे बीमा-पत्रधारियों की निधि का सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

'यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया' द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 1963–64 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर की तुलना में 1964–65 में उत्पादन वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत के लगभग होने का अनुमान है। दूसरे शब्दों में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर पहले से 1/3 रह जायेगी और मुझे पूर्ण आशा है कि इस विधेयक के इसी रूप में पारित हो जाने से औद्योगिक उत्पादन के रास्ते में और अधिक बाधा आयेगी।

विदेशी मुद्रा के बारे में स्थिति यह है कि पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने अपनी सहायता में 10 प्रतिशत कमी कर दी है। वहां के 'इकोनोमिक कोऑपरेशन' मंत्री ने अपनी नीति की घोषणा की है। उनकी राय है कि विकासशील देशों में सरकारी प्रयास केवल सड़कों, पुलों, बांधों तथा बिजलीघरों के निर्माण तक सीमित रहना चाहिये, परन्तु हम उनके इस सही सिद्धान्त की अवहेलना कर रहे हैं। इसी कारण से भारत सहायता कनसार्टियम ने हमारे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें हमने उन्हें 110 करोड़ रुपये अधिक देने के लिये कहा था। अब स्थिति यह है कि अब हमारे पास सामान्य आयातों के भुगतान के लिये 6 सप्ताह से अधिक के लिये

विदेशी मुद्रा नहीं है परन्तु सरकार फिर भी अपनी नीति को नहीं बदलना चाहती जिसके कारण हमें विदेशी मुद्रा सम्बन्धी संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि यदि और कोई सहायता नहीं देता तो हम रूस से सहायता देने की मांग करेंगे। इस संदर्भ में योजना आयोग के उप-सभापति श्री अशोक मेहता ने 22 मार्च को बताया था कि हमारे तथा रूस के आयोजन में समन्वय होना चाहिये। भला ऐसा देश जिसने पिछले कुछ ही महीनों में ब्रिटेन, जापान, इटली, बलजियम और फ्रांस से 1,800 लाख डालर दीर्घकालीन ऋण के रूप में लिये हैं, हमारी क्या सहायता कर सकेगा। यदि कुछ सहायता दे भी सकेगा तो वह उस राशि में से ही देगा जो उसने पश्चिमी देशों से ली है। मुझे पूर्ण आशा है कि अशोक मेहता की रूस यात्रा का उद्देश्य सफल नहीं हो सकेगा। अतः सरकार को उन देशों से सहायता लेनी चाहिये जो बहुत उन्नत तथा समृद्ध हैं।

मनोरंजक बात तो यह है कि श्री कोसीजिन ने मोटर-कार के उत्पादन को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। परन्तु हम इनका उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहते और इस प्रकार हम निर्माताओं को दण्ड दे रहे हैं और उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं। रूस में इस समय पूंजीवादी समाजवाद है और मुझे आशा है कि श्री मेहता रूस के नये पूंजीवादियों से कुछ सीख कर आयेंगे।

वित्त विधेयक में मूल बुराई सरकारी व्यय का अधिक होना है। 1964-65 में केन्द्रीय सरकार का कुल 3,423 करोड़ रुपये का खर्च होगा। यह खर्च 1964-65 के पुनरीक्षित आंकड़ों से 222 करोड़ रुपये तथा 1963-64 के वास्तविक खर्च से 246 करोड़ रुपये अधिक है। तो इस प्रकार सरकारी व्यय में बृद्धि होती जा रही है और यह व्यय अनुपयोगी योजनाओं पर किया जा रहा है। अन्य देश जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि वह इस दिशा में क्या कर रहे हैं। ब्रेटन में श्री विल्सन की सरकार ने जो आयव्ययक प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने लोक व्यय में 2500 लाख पौंड की कमी की है। वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष वचन दिया था कि इसमें 70 प्रतिशत कमी कर दी जायेगी, परन्तु उन्होंने इस वचन को पूरा नहीं किया। इतना होते हुए भी ब्रिटेन में कहा जाता है कि वहां पर कर बहुत अधिक हैं अतः उन्हें कम किया जाना चाहिये। ब्रिटेन में एक संयुक्त स्कंध समवाय का अधिकतम कर उत्तरदायित्व 40 प्रतिशत है परन्तु यहां भारत में यह 70 प्रतिशत है। यह 70 प्रतिशत की सीमा भी सभी समवायों पर लागू नहीं होती है। लंका की वर्तमान सरकार भी गैर-सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये उचित वातावरण बना रही है।

इस प्रकार के राज्य पूंजीवाद में गरीबों को ही अधिक कुचला जा रहा है। मिट्टी के तेल पर जो 45 प्रतिशत उत्पादन-शुल्क लगता है वह गरीब किसानों को ही देना पड़ता है। इसी प्रकार चीनी पर 50 प्रतिशत और दियासलाई पर 62 प्रतिशत उत्पादन-शुल्क गरीब लोगों को ही देना पड़ता है। पेट्रोल के प्रत्येक गैलन पर तेल समवाय को केवल एक रुपया मिलता है और शेष सरकार के पास जाता है। वार्षिकी जमा योजना का सारा बोझ मध्यम श्रेणी के उन लोगों पर पड़ता है जो अपनी अत्यावश्यक दैनिक वस्तुओं के लिये पैसा नहीं जुटा पाते। ऐसे आयव्ययक से मुद्रास्फीती बनी रहती है। मैं महसूस करता हूं कि इस देश के आम लोग अब ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैं जिसमें वे इस बोझ को सहन नहीं कर सकते। दोनों राज्य वाद तथा राज्य पूंजीवाद सामाजिक न्याय के शत्रु बन गये हैं। आवश्यकता आज इस बातकी है कि सरकारी व्यय पर 'रायल कमीशन' की नियुक्ति की जानी चाहिये। यदि हम लोक व्यय में 30 प्रतिशत भी कमी कर दें तो हम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करें में 50 प्रतिशत कमी कर सकेंगे।

[श्री मो० रु० मसानी]

हम बात तो समाजवाद की करते हैं, परन्तु वास्तव में जो कुछ हम कर रहे हैं वह समाजवाद के बिल्कुल विरुद्ध है । समृद्ध अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक न्याय की बजाय यहां पर मुद्रास्फीती, बढ़ते हुए मूल्य और आपदा का बोलबाला है और हम अब इस अवस्था में पहुंच चुके हैं जिसमें जनता अब और अधिक आपदा को सहन नहीं कर सकती है और वह विद्रोह करने पर उतारू हो रही है ।

Shri Chandriki (Raichur): In my opinion the principle of democratic Socialism to which our Government is wedded is the best for our country.

When the Budget proposals were introduced the country was not facing the danger it is facing today and I am sure if that were the case the hon. Finance Minister would certainly have made increased provision for defence. It is wrong to assume that reduction in taxation will bring down prices and industries will progress even Shri Masani admits it.

It is distressing to note the deplorable state of our intelligence—particularly when we are face to face with double danger posed by Pakistan and China. Trouble had been brewing in Aligarh University since October last but both the Central and State Governments remained indifferent to these happenings. I, therefore, warn the Government to exercise fullest vigilance inside the country as well as on its borders. I am sure that in the contest of present dangers, the House will fully support the additional demands to meet the requirements of defence if brought before the House.

Soft paddling to unearth unaccounted money will break no ground. We shall have to become ruthless and very strict in the matter. The hon. Home Minister has proposed to set up a Commission to eradicate corruption at the official level. I would suggest that a similar commission should be set up to eradicate corruption among politicians, ministers etc. also. Hoarding is a very dangerous tendency, particularly when the country is passing through emergency. Drastic steps are needed to root it out.

The Selection of a site for the fifth Steel Plant should be done with a view to removing regional imbalances and dispensation of justice.

The hon. Finance Minister informed us that four districts of U.P. will be taken over by the centre for their economic development. In this connection, I may request that many other districts and regions, which have been completely neglected so far, are in need of central assistance for their development and fulfillment of elementary needs.

The centre should help those states who are under heavy burden of Central loans and are unable to repay them and are resorting to deficit financing.

It is good that the Centre wants to take over the Rajasthan Canal Project but alongwith this the centre should take over other major projects also which are not making much headway under the States' control.

In many States there are dissentions in the ruling party itself because one section feels that much progress is not being made in their region by the Government and that their region is being neglected at the cost of certain other regions. The dissentions in Mysore State are a case in point.

I would therefore request the hon. Finance Minister to come to the rescue of those States after considering all these points.

श्री मणियंगाडन (कोट्टायम) : वित्त मंत्री को जहां मैं कई नई परियोजनायें लागू करने के लिये बधाई देता हूं वहां मुझे यह भी बताना है कि सरकार मूल्य वृद्धि रोकने में असफल रही है । इसका एक मुख्य कारण छिपा धन है और सरकार द्वारा की गई कार्यावाही असंतोषजनक सिद्ध हुई है । वेतन तथा भत्ते बढ़ाने से यह समस्या हल नहीं होगी । हमें तो यह देखना है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में अत्याधिक वृद्धि न हों ।

यद्यपि पिछली तीन योजनाओं में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है परन्तु जन साधारण पर इनका कोई प्रभाव नही पड़ा है । ग्रामीण लोगों की दशा बाराबर दयनीय बनी हुई है । यह बात ध्यान देने योग्य है । क्योंकि पहली योजना में किसी कार्य पर व्यय अब तीसरी योजना में बढ़ कर तीन गुना हो गया है जबकि अब कार्य भी वही है और उसका लाभ भी उतना ही है इसलिये यह कहना कि तीसरी अथवा चौथी योजना में हमने व्यय होने वाले धन में वृद्धि कर दी है अर्थहीन है । इस बात पर हमें गंभीरता से विचार करना है ।

केरल में कर की प्रति व्यक्ति मात्रा देश भर में सबसे अधिक है । और कई अन्य राज्यों में और अधिक कर लगाने की कोई गुंजाईश नहीं है, परन्तु वित्त आयोग से ऐसे राज्यों की सहायता करने को कहा गया है जो नये कर लगाना चाहते हैं । यह उचित नहीं है । ऐसे राज्यों में जहां कर बहुत अधिक मात्रा में लागाए गये हैं परन्तु जहां विकास की अभी और आवश्यकता है, उनकी सहायता केन्द्र को करनी चाहिए ।

केरल राज्य की देखभाल क्योंकि अब केन्द्र के अधीन है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी उपेक्षा समाप्त होनी चाहिये और विकास कार्यों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये वहां बेरोजगारी बहुत है । वहां के लोग निर्धन हैं । उद्योग स्थापित करके इस समस्या को हल किया जा सकता है । जहां केरल में साक्षरता सबसे अधिक है वहां अध्यापकों को सबसे कम वेतन मिलता है । माननीय वित्त मंत्री को, जो केरल पर बनी उप समिति के सदस्य हैं, इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिये । राज्य में रेलवे व्यवस्था के बारे में मेरा निवेदन है कि त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन के बीच बड़ी रेलवे लाईन बनायी जानी चाहिये । उद्योग तथा संचार साधनों का निकट संबंध है इसलिये यदि राज्य में उद्योग स्थापित करने हैं तो संचार साधनों को विकसित करना होगा । केरल में विद्युत् सारे देश में सबसे सस्ती है ।

'इडिक्की' परियोजना पिछली योजना से रुकी पड़ी है यद्यपि केनेडा सरकार आवश्यक विदेशी मुद्रा आदि देने को तैयार है । इसे शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिये ताकि उद्योगों के लिये विद्युत् उपलब्ध हो सके ।

श्री प्रभात कार (हुगली) : वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किये गये मूल्यों के उतार चढ़ाव तथा उपभोक्ता मूल्य देशनांक संबंधी बुलेटिनों में कोई अन्तर नहीं दिखाया गया जबकि मूल्य निरन्तर बढ़ रहेहैं । महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें बताया जाए कि मूल्य बृद्धि रोकने के लिये सरकार क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है । बैंक-दर में बृद्धि से मुद्रास्फीती बढ़ेगी ।

[श्री प्रभात कार]

इसलिये यह उपभोक्ताओं के पास वापस चला जायेगा और मूल्य बढ़ेंगे । रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न ऋण नियन्त्रण संबंधी उपाय किये गये हैं परन्तु उनमें सफलता नहीं मिली है । बहुत चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है और यदि इस बारे में कुछ उपाय नहीं किये गये तो कोई योजना सफल नहीं होगी। वित्त विधेयक में मूल्य कम करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।

मैं यह भी कहूंगा कि "स्टाक एक्सचेज" से भी मुद्रास्फीती बढ़ रही है। हमें जीवन बीमा समवाय तथा यूनिट ट्रस्ट का धन इसमें नहीं डालना चाहिये । इससे तो यह अच्छा है कि इन धन से मकान बनाये जायें ताकि जनसाधारण को राहत मिले । निगम क्षेत्र में भी यह धन नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि पिछले वर्ष उसके कारण मूल्य बढ़े हैं । इस क्षेत्र को सरकार की ओर से कोई विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहियें। यह क्षेत्र सत्तारूढ़ दल को अर्थदान दे कर अधिकाधिक रियायतें चाहता है। 30 लाख रुपये दान के रूप में दिये गये हालांकि अन्तर्नियम के अन्तर्गत इसके लिये कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हमारी स्थिति संदिग्ध हो जाती है क्योंकि ऋण देने वाले देश ऋण की शर्तों में ढील दे देते हैं। व्याज के दर तथा वापसी की अवधि की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । हम ऋण का उपयोग ठीक प्रकार नहीं करते और जब वापस करने का समय आता है हमें संकट का सामना करना पड़ता है । यह हमारे देश के लिये कोई हर्ष का विषय नहीं है । हमें इस स्थिति पर भी विचार करना है कि हमारे जवानों को उस देश की बनी हुई गोलियों का सामना करना पड़ रहा है, जो हमें अन्न, अनुदान तथा ऋण देता है ।

मैं यहां यह कह देना चाहता हूं कि 1962 में चीनी आक्रमणकारियों ने जब हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया था उस समय आक्रमणकारियों को यहां से खदेड़ने के लिये लोग एक हो गये थे और इसके परिणामस्वरूप जो वातावरण पैदा हुआ था उसमें और आजके वातावरण में बड़ा अन्तर है। हालांकि हमारे प्रधान मंत्री ने हाल के आक्रमण को बर्बरतापूर्ण आक्रमण बताया है । आज इस बारे में अधिक उत्साह नहीं दिखाई देता है कि उचित दृष्टिकोण अपनाया जाय ।

पी० एल०--480 के अन्तर्गत हमें जो बड़ी बड़ी राशियां मिल रही हैं, उनसे किसी सीमा तक देश में मुद्रास्फीती बढ़ रही है और हमारे देश की सीमाओं को आक्रमण मुक्त करने में ये राशियां हमारे रास्ते में बाधा डाल रही हैं । विदेशों से मिलने वाली सहायता पर हमें इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये ।

श्री मसानी ने कहा है कि विदेशी भारत में धन नहीं लगायेंगे क्योंकि उन्हें अपेक्षित रियायतें नहीं दी जा रही हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशी निवेश को काफी प्रोत्साहन दिया जाता है और उनका यहां धन लगाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा । वे लाभ की राशि को बाहर भजते ही हैं परन्तु इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यालय सम्बन्धी व्यय भी बाहर भेजते हैं जो लाभ की राशि जितना ही होता है ।

इस में कोई सन्देह नहीं कि प्रशासन पर होने वाले व्यय को कम किया जाना चाहिये परन्तु इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिये । मूल्यों में निरन्तर बृद्धि हो रही है । कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 5 रुपये की वद्धि की सराहना नहीं की जा सकती।

हमें इस बात पर फिर विचार करना होगा कि जिस राशि पर कर लगता है, उसे 3,000 से बढ़ा कर अधिक कर दिया जाये क्योंकि आज जनसाधारण अपने जीवन के सामान्य साधन भी नहीं जुटा सकता । ऊंची आय वाले वर्ग को आय-कर में अधिक रियायतें दी गई हैं । यह रियायतें उच्च स्तर की अपेक्षा निम्न स्तर को अधिक मिलनी चाहिये ।

श्री ज० ब० सिंह बिष्ट (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह उचित ही है कि इस समय राष्ट्र का ध्यान पाकिस्तान सीमा, मुख्यतः कच्छ सीमा, पर हुई घटनाओं पर केन्द्रित है । इसके साथ ही मैं समझता हूं कि उत्तरी सीमाओं के बारे में किसी प्रकार आत्मतुष्टि का दृष्टिकोण अपनाना अथवा प्रयासों को दूसरी ओर लगाना भी घातक सिद्ध होगा ।

चीन ने उत्तरी सीमाओं पर बहुत अधिक सैनिक तैयारी कर ली है । चीन केवल नेफा के पूर्वी क्षेत्र में अथवा लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र में ही नहीं अपितु मध्य क्षेत्र में भी अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है । मुझे समाचार मिला है कि लिपू लेख दर्रा तथा बाड़ाहोती में, जहां पहले ही बड़ी संख्या में चीनी सैनिक जमा हैं, और अधिक सेना लाकर सैनिक शक्ति बढ़ाई जा रही है ।

सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए कार्यवाही की है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में 1962 में हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी । तथापि, मैं प्रतिरक्षा व्यय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यद्यपि प्रतिरक्षा व्यय में 32 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, किन्तु इस राशि का अधिकांश भाग वायु-सेना के लिए आवंटित किया गया है । देश की सुरक्षा के लिए उत्तरी सीमाओं के दुर्गम ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए सुसज्जित वायु सेना का होना अत्यन्त आवश्यक है किन्तु इसके साथ साथ आधुनिक हथियारों से सुसज्जित गतिशील सेना (मोबाइल इनफैन्ट्री) का होना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है ।

जहां तक सैनिक पहलू का सम्बन्ध है सरकार उचित नीति का अनुसरण कर रही है किन्तु राजनीतिक तथा विकास के क्षेत्र में सरकार की नीति में बहुत सुधार करने की गुंजाइश है । जब तक इन क्षेत्रों की आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं को हल नहीं किया जाता, तब तक प्रतिरक्षा की तैयारी करने मात्र से कोई लाभ नहीं । इस कार्य के लिए इन क्षेत्रों के प्रशासन को पुनर्गठित करना आवश्यक है । इस समय इन क्षेत्रों का प्रशासन उन अधिकारियों के हाथ में है, जो वहां से दूर रहते हैं । इस प्रकार वे वहां के प्रशासन पर उचित नियंत्रण नहीं रख पाते । इन क्षेत्रों के लोगों का प्रशासन में बहुत कम हाथ रहता है । वे इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि उनके विकास-कार्य पर किस प्रकार धन व्यय किया जाता है ।

सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को स्वशासन का अवसर देने का एक तरीका यह है कि इन क्षेत्रों में उस ढंग की प्रशासनिक व्यवस्था की जाये जो आसाम के पहाड़ी जिलों के लिए सरकार के विचाराधीन है और जिसे बोल चाल की भाषा में स्काटिश ढंग का प्रशासन कहते हैं । अब समय आ गया है कि सरकार को पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के तिब्बत की सीमा से लगे हुए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था कायम करने के लिए विचार करना चाहिए ।

चूंकि हिमाचल प्रदेश को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है, अतः अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ असंतोष होना स्वाभाविक है । यद्यपि मैं कोई निश्चित हल का सुझाव नहीं दे सकता किन्तु वर्तमान राज्यों के अन्तर्गत ही इन पहाड़ी क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रधान मंत्री को एक कार्यकारी दल नियुक्त करना चाहिए ।

विकास के क्षेत्र में भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । अधिकांश राज्य अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र पर निर्भर रहते हैं । राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए बहुत कम धन की व्यवस्था होती है । कुछ अन्य राज्य बराबर के आधार पर धन की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर होने वाला

[श्री ज० ब० सिंह बिष्ट]

सारा व्यय केन्द्र सरकार को करना चाहिये । केन्द्र को न केवल धन की व्यवस्था करनी चाहिए अपितु परियोजनाओं को कार्य रूप देने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटित धन को किसी दूसरे कार्यों में न लगाया जाये ।

मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास के कार्यों में अधिक गति लाने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं । इनमें से कुछ क्षेत्रों को विशेष सीमावर्ती जिलों की श्रेणी में रखा गया है जो केन्द्र से विशेष सहायता पाने के हकदार हैं । मैं समझता हूं कि उत्तर के सभी पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र समझा जाये । कुछ वर्ष पहले इन क्षेत्रों के कल्याण के लिए केन्द्र में एक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव था । यह भी एक प्रस्ताव था कि इन क्षेत्रों का मिला जुला विकास करने के लिए केन्द्र में केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित सरकारों के प्रतिनिधियों तथा उन क्षेत्रों के संसद् सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाई जाये ।

खाद्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त तथाकथित पहाड़ी क्षेत्र समिति का कार्य सर्वथा असंतोषजनक है । यदि इसे उचित ढंग से चलाना है तो यह प्रधान मंत्री के अधीन होनी चाहिए ।

यद्यपि कुछ निहित हितों के कारण पहाड़ी क्षेत्रों के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन करने के प्रश्न पर कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है किन्तु मैं समझता हूं कि इन क्षेत्रों का तेजी से आर्थिक विकास करने की आवश्यकता पर दो मत नहीं हो सकते ।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के संबंध में प्रारूप तैयार करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की है । उप-समिति में प्राथमिकताओं के प्रश्न पर अब तक हुई चर्चाओं से यह बात सामने आई है कि इन क्षेत्रों की समस्याओं को काफी महत्व दिया गया है किन्तु इनके विकास के लिए अपेक्षित संसाधनों के प्रश्न पर उचित ढंग से विचार नहीं किया गया है ।

सड़क निर्माण कार्यक्रम तथा बागबानी के विस्तार को सब से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए । किन्तु प्राथमिकतायें निर्धारित करने से पहले उपलब्ध संसाधनों के बारे में विचार कर लेना चाहिए ।

मुझे पता लगा है कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि चौथी योजना की परियोजनाओं का परिव्यय तीसरी योजना के व्यय का दुगना होना चाहिये । यह सिद्धान्त मूलतः गलत है क्योंकि किसी विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक व्यय होता है । यदि वर्तमान अधिकतम सीमा जारी रही तो लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा । अथवा दूसरे क्षेत्रों की तुलना में आरम्भ से ही कम निर्धारित करना पड़ेगा ।

इन क्षेत्रों की समस्याओं की गम्भीरता समझते हुए--उनका आम पिछड़ापन तथा विषम जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां--वित्त मंत्री महोदय को इन क्षेत्रों के संसाधनों की समस्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार इस बात पर विचार करे कि विकास परियोजनाओं को एकीकृत रूप में कहां तक क्रियान्वित किया जा सकता है ताकि समान प्रगति हो । सड़क विद्युत् और परिवहन परियोजनाओं तथा बागबानी सम्बन्धी योजनाओं के लिए एकीकृत विकास का होना

आवश्यक है। परिवहन का उल्लेख करते हुए मुझे ख्याल आता है कि मैंने पहले रामपुर और काठगोदाम को मिलाने का अनुरोध किया था। अर्थात्, रेल रोड जो पहाड़ी क्षेत्रों को मिलायेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में रेलों की व्यवस्था नहीं है। इस समय हमारी सीमाओं पर गड़बड़ है, अतः यह आवश्यक है कि हमारी सेनाएं पाहाड़ी क्षेत्रों में सुविधापूर्वक अविलम्ब समय पर वहां पहुंच सकें। आजकल युद्धाभ्यास के लिए जाने वाली सेनाओं को रेल से बरेली उतरना पड़ता है। फिर, वे छोटी लाइन से काठगोदाम तक जाती हैं जहां उन्हें कुछ दिन ठहरना पड़ता है। यह व्यवस्था न केवल उनकी प्रगति में ही बाधक है अपितु आपातकाल में अत्यन्त खतरनाक है। मुझे याद है कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव था और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक प्रस्ताव भेजा था कि रामपुर से, रुद्रपुर होती हुई जहां कृषि कालेज है, हल्द्वानी और काठगोदाम तक एक बड़ी रेलवे लाइन बनाई जाये। मैं समझता हूं कि धन की कमी के कारण प्रस्ताव को कार्यरूप नहीं दिया गया है। वर्तमान रेलवे मंत्री महोदय ने भी राज्य सभा में इस का उल्लेख किया था और ऐसा लगता है कि वे इस लाइन को बनाने के पक्ष में हैं। अतः वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि यदि इस लाइन के निर्माण में कोई वित्तीय कठिनाई हो तो वह धन की व्यवस्था कर दें क्योंकि इस समय जबकि सैनिक युद्धाभ्यास अत्यन्त आवश्यक है सेना को सब प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिएं। ताकि वे अपना कर्तव्य उचित ढंग से निभा सकें।

श्री लीला धर कटकी (नवगांव) : श्रीमान् मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने अतिरिक्त करारोपण किये बिना केन्द्रीय सरकार की राजस्व-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया है। वह विशेषतः कम आय वाले वर्ग को राहत देने में सफल हुए है। मुझे आशा है कि प्रशुल्क नीति को अधिकाधिक समाजवादी बनाने का हमारा यह प्रयास जारी रहेगा ताकि हम वास्तव में ही समाजवाद स्थापित करने का अपना लक्ष्य पूरा कर सकें।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान असम राज्य की शोचनीय अर्थव्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। सभा को यह ज्ञात ही है कि पूर्वी पाकिस्तान की स्थापना के बाद असम राज्य की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। असम में रेल लाइन बनाने में तीन वर्ष लग गये और आज भी वहां परिवहन संबंधी बाधायें हैं। वहां सदैव बाढ़ें आती रहती हैं तथा भूमि का कटाव होता रहता है जिससे इस राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस का पता इस बात से लगता है कि पिछली एक दशाब्दी में वहां फसलों, पशुओं तथा सम्पत्ति की 7.7 करोड़ प्रतिवर्ष हानि हुई जबकि वार्षिक आय में केवल 4 करोड़ की वृद्धि हुई। असम में प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है। इसलिए यह आवश्यक है कि चौथी योजना लागू करने से पूर्व अर्थ-व्यवस्था में सुधार के लिए उस राज्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। अन्यथा कम से कम जहां तक उस राज्य का सम्बन्ध है, प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने तथा समाजवाद स्थापित करने की नीति असफल रहेगी।

चौथा वित्त आयोग शीघ्र ही अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे देगा। मुझे आशा है कि यह आयोग असम राज्य से न्याय करेगा। यदि ऐसा न हुआ तो मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस राज्य को विशेष सहायतानुदान दें ताकि हम चौथी योजना के दौरान अपनी कमी को पूरा कर सकें।

चौथी योजना के लिये असम राज्य सरकार ने लगभग 375 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय के समय वह योजना

[श्री लीलाधर कटकी]

आयोग पर अपना प्रभाव डालें कि जहां तक इन प्रस्तावों का सम्बन्ध है, इन में अखिल-भारतीय मापदण्ड के अनुसार कोई कटौती न की जाये। यदि इन प्रस्तावों में कटौती की गई, तो हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था सुधारने में काफी समय लगेगा।

इस राज्य का सामरिक महत्व है। उत्तरी क्षेत्र को हमने अभी चीनी आक्रमण से मुक्त नहीं किया है और पश्चिमी ओर से पूर्वी पाकिस्तान अतिक्रमण द्वारा तथा अवैध रूप से घुस कर हमें धमकी दे रहा है। इसलिये हमें इस राज्य को आक्रमण का सामना करने के लिए सुदृढ़ बनाना होगा। जहां तक सुरक्षा के लिये तैयारी, सम्भरण तथा अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, मेरे विचार में भारत सरकार को इस ओर ध्यान दे कर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। यदि हम "नेफा", नगालैण्ड, मनीपुर, त्रिपुरा तथा असम की जनता को हमारी सुरक्षा करने के योग्य बनाना चाहते हैं, तो हमें निश्चय ही उन की अर्थ-व्यवस्था में सुधार करना होगा।

असम में पहाड़ी तथा मैदानी, दोनों ही क्षेत्रों के लोग रहते हैं। विभाजन के पश्चात् गारो तथा खासी पहाड़ियों की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई और अभी तक ठीक नहीं हुई है। परिवहन आदि के बारे में अभी तक इन क्षेत्रों में बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसलिये आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम चौथी योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये। इन क्षेत्रों के लोगों में यह असंतोष है कि तीन योजनाओं के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिये चौथी पंचवर्षीय योजना में इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्रीमान् मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव वित्त मंत्री के विचारार्थ रखना चाहता हूं। हमारे यहां भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं परन्तु उनका उपयोग करने के लिये पूंजी नहीं है। इसलिये भारत सरकार को इस राज्य में कई केन्द्रीय परियोजनायें आरम्भ करनी चाहियें तथा असम राज्य तथा बाहर के उद्योगपतियों में विश्वास उत्पन्न करना चाहिये ताकि वे वहां धन लगायें। लकड़ी के गूदे से कागज़ बनाने का एक बड़ा कारखाना शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिये क्योंकि असम राज्य में काफी वन हैं। दूसरे हमारे यहां बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस है और उसे व्यर्थ नहीं जाने देने तथा उसके उचित प्रयोग के लिये एक पैट्रो रासायनिक कारखाना स्थापित करने की योजना केन्द्रीय सरकार को बनानी चाहिये।

ब्रह्मपुत्र में बाढ़ तथा भूमि के कटाव की समस्या इतनी बड़ी है कि यह राज्य सरकार द्वारा हल नहीं हो सकती। केन्द्रीय सरकार को यह कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिये तथा उस राज्य की अर्थ-व्यवस्था को आये दिन के विनाश से बचाया जाना चाहिये।

उस क्षेत्र में सीमान्त सुरक्षा का कार्य भी केन्द्रीय सरकार को संभालना चाहिये। राज्य सरकार ऐसा करने में, संसाधनों की कमी के कारण, असमर्थ है। यह सरकार अवैध रूप से यहां आने वाले व्यक्तियों को रोक नहीं सकती। वह उन अतिक्रमणों को कैसे रोक सकते हैं जो आक्रमणों का रूप धारण कर रहे हैं। उस क्षेत्र में गुप्तचर भी बहुत हैं। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इन मामलों की ओर ध्यान दे ताकि इस राज्य का आर्थिक विकास हो सके।

जब माननीय मंत्री ने 1963 में इस राज्य का दौरा किया था, तब उन्हें इन सभी समस्याओं से परिचित कराया गया था और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान भी दिया। परन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है और मुझे आशा है कि वह हमारी आशाओं को पूरा करेंगे।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): It is unfortunate that we have not been able to discuss the demands of the Ministry of Finance. Very little time has been given for Provisional Collection of Taxes Bill. A matter, which has been considered by the Minister with the help of a number of Secretaries and under-Secretaries and which was studied for a long time, is expected to be dealt with by Members in 15 or 20 minutes. I think, it is something impossible.

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair.*]

Ministry of Finance is the biggest Ministry. It is not proper to give so many responsibilities to the Minister of Finance. Department of Direct Taxation, Company Law Administration, Economic structure and development, Life Insurance Corporation etc. are all under him. It is not in the interest of the efficient working of various departments under his charge. The decentralisation of power is very necessary.

We have shortage of so many big enterprises. There is great need for setting up big factories for the production of fertilizers, cement, newsprint, cheap small cars and such other things.

The Government have obtained vast powers in the matter of Company Law. The whole structure of Company Law has changed. Executive has been given vast powers instead of giving those powers to District Judges. The Judge, the complainant and the person imposing the penality are the same.

You have vast powers of patronage. I am not accusing you but an atmosphere like that has been created. This is not in the interest of the country. There is too much of centralisation of powers. Everybody looks towards you. Everybody wants to go to the Minister to get his work done. There should be decentralisation of power. There is a possibility of misuse of power. We should look to the interests of the country and not of an individual.

We produced five lakh tons of sugar this year. Whenever there is increased production of commodities like sugar, the farmer experiences lot of difficulty in the matter of storage etc. due to lack of funds. Co-ordination among various agencies is of utmost importance to provide financial help to the farmers.

A licence was given for setting up of a cement factory in our area, but, later on, the licence was cancelled. That is the State of affairs at a time when we are in great need of cement.

There is no machinery to look into the complaints against Government employees. There is no independent tribunal to give decision regarding those complaints. This machinery can be set up only under the Finance Department.

There is an opium factory at Neemuch in our area. In spite of 10 to 15 years of service the labourers in that factory are still in the category of casual labourers. It is not known how long such things will continue. When in other departments after three or six months of service temporary servants are given the same benefits as are given to permanent employees, why such benefits are not given to people working in the opium factory?

[Shri U. M. Trivedi.]

It is regrettable that certain employees in the Central Excise Department suffered in the matters of promotions etc. because they know Hindi and not English.

Poor farmers are victimised at the hands of the staff of the Central Excise Department. Tobacco growers are particularly harassed. It is better that licensing system should be done away with.

Your recruitment policy is very defective. Those who are recruited are not acquainted with the language and circumstances of the place where they are posted. Defects in recruitment policy should be removed so that persons with sympathetic attitude towards the public are selected.

If we look at the Finance Bill, we find that a number of old definitions have been changed. The Government should not change the definitions too often and should try to stick to old definitions.

The provision in regard to rebate on machinery is not clear. When no reason is assigned by the Government, definition becomes difficult. The law should not be ambiguous. It should be clear and straightforward. The Income-Tax Officers do not inform the public about liability of taxes. They only know how to impose penality. The provisions of the Income-Tax Act relating to penality in connection with the payment of Income-tax should be amended.

Why the rebate of 25 per cent under tax credit certificate is not given on additional production? The rebate should have no connection with additional duty. It should be connected with production. Incentive should be given an additional production.

The time given for the discussion of this bill is much less. More time should be provided in future for the discussion of this bill. At least ten days should be allotted for its discussion. If it is not possible a standing committee should be formed to dicuss the bill before it is discussed here.

It is not possible for everybody to read the Finance Bill. Inspite of being a lawyer, I could not follow the whole of the bill. You have introduced 87 amendments. If the Government would be perplexed like that, how can we arrive at proper conclusions.

Shri B. N. Kureel (Rae Bareili): There is no doubt that the Ministry of Finance have provided for the expenses of alround development and security of the country. For this, the Minister deserves our thanks.

Our food problem is much complicated. The Food Ministers have announced a number of times that the country will become self-sufficient in the matter of food, but it could not be achieved so far.

A lot of land is lying waste in the country. If that land is made available to the land less labourers, that will not only provide employment to those persons but will also enable us to increase our production. An officer should be appointed in each district to survey such land in that area and distribute it among the landless persons.

These farmers are asked to increase the production but they are not given proper facilities. Water supplied for irrigation purposes is very costly. Seeds are very costly. Facilities regarding interest given to industrialists should also be given to agriculturists. Electricity and other facilities should also be given to them.

The standard of education in the country is very low. Proper attention must be paid to this matter. Pay scales of Primary school teachers should be improved. The number of teachers in the schools is very inadequate as compared to the number of students. It may be a State subject but the centre must also pay attention to it.

No importance is attached to the schemes which directly concern the welfare of the poor. The Centre should see why the amounts sanctioned for those schemes, which are directly connected with the welfare of the poor, are not being spent.

The condition of Rae Bareili district is very distressing. There is not even a small factory in that district. Some factory in public sector should be started in that district. A bridge should be constructed on the Ganges connecting Fatehpur and Rae Bareili districts. This will improve the economic condition of that district.

The country is facing a state of emergency. The Prime Minister has declared that if Pakistan does not stop aggression, our armies will be given the power to decide war strategy. This has given a sense of satisfaction to the House and the country. The country wants that we should face the enemy boldly.

There is a confusion about the policy regarding prohibition. That causes dissatisfaction among the people, and they think that the scheme costing lakhs of rupees has been scrapped and wine shops have been opened.

Shri D. J. Naik (Panchmahala): I support the Finance Bill and thank the Minister for simplifying the tax structure and giving Income-tax relief.

Something should be done to improve the lot of poor farmers and landless labourers. Democratic Socialism rings hollow without the improvement in their lot. Even basic amenities like taccavi loans and wells etc. do not exist for them. Land Mortgage Banks and other Government agencies should be asked to provide loans to them.

The production of foodgrains has not registered any increase during the last Five Years. Concrete steps are required to be taken in order to arrest the drain of foreign exchange to import foodgrains and this should instead be utilised to increase production at home.

Regarding zonal restrictions, the system has the most adversely affected the people of Gujerat and Maharashtra in terms of excessive rates of foodgrains. The wide disparity of these rates in different State gives a job to national integration also. This system should be done away with immediately after the creation of the Buffer stock. The distribution system is also faulty and needs improvement. People should not be made to wait for long hours to get their quota of foodgrains.

[Shri D. J. Naik.]

Narmada Project is the life line of Gujerat, M.P. and to some extent Maharashtra. Its control should be taken over by the centre and given first priority during the 4th Plan.

Corruption is rampant in the Income-tax Department and that is why there is so much of unaccounted money in the country. This money causes price-rise also. Every effort should be made to unearth it and for this Income-Tax and Customs Departments would have to be made efficient.

The situation at our borders is delicate. Our prestige within and outside the country has considerably gone down, for which our administration is largely responsible. It should be made more efficient and it should have a constructive approach.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): Despite the assurance of the Finance Minister price rise has not been arrested. Bumper Rabi Crop has also failed to make any impact on foodgrains prices. We are facing a double danger from China and Pakistan collectively. But unfortunately the Government have shown entirely inadequate amount of alertness needed to face such a situation.

The concessions given by the Finance Minister to unearth unaccounted money and methods adopted to root out boarding, profiteering etc. have proved a failure and the Government have not taken any effective steps to eradicate these evils. There are different standards of behaviour with different state of persons. Here and there raids have been conducted but no concrete and well-thought out plan has been prepared to eradicate this evil.

The biggest hurdle in the way of bringing socialistic economy in the country is the contradictory forces in the Cabinet where Ministers indulge in leg-pulling.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Since a tussle between capitalism and socialism is going on in the country and we do not want to reject any of the two systems, our annual Budget fails to make any impact on 75 per cent of our population consisting on farmers, labour etc. and hence our economy remains tardy and stagnant. Our economy has become entirely dependent on foreign loans and where on the one hand loans given are proving big drais of our national wealth, on the other these have left our economy completely paralysed. We have not reached such an alarming state of affairs where, according to the Finance Minister himself, we are not able to pay even the interest to these loans and now we are asking for more loans to repay this interest. I fail to understand how we are going to achieve socialistic economy and how are going to emerge out of this morasses.

It is wrong to spend the L.I.C. and unit trust funds, which have been subscribed by poor villagers etc., for industrialisation. These funds should, instead, be utilised for house-building and other allied purposes to be of use to these very people.

The Government should adopt a firm policy to oust the aggressor at all costs, even if we have to resort to violence. All efforts should be made to get the aggression vacated from our soil. The nation is prepared to allow any amount of money to be utilised by the Government on defence. We cannot depend on U.K. for economic and defence assistance because she is an ally of Pakistan. We should learn from our past experience regarding their policy of divide and rule.

The Central Government employees do not get dearness allowance in proportion to the rise in prices. This is one of the causes of corruption and dissatisfaction among them.

The Education Minister has admitted that school teacher in U.P. get the lowest salaries throughout India. Yet, neither the State Government nor the Centre has done anything to ameliorate their conditions. I would request the Finance Minister to do something for them.

By including food, cooperation, Agriculture, labour and community Development in the State list we have allowed national disintegration to grow. There is no coordination for such works between the Centre and the State Different points of views exist at Panchayat, Block, Zila and State levels.

Socialistic pattern of Society cannot be achieved by mere slogans and paper programmes, some concrete steps should be taken instead.

श्री अरुणाचलम (रामनाथपुरम्) : वित्त मंत्री इस बजट के लिये बधाई के पात्र हैं। उन्होंने करों में कमी कर दी है और फिर भी मुनाफ़े वाला बजट बनाया है। यह कई वर्षों में पहली बार किया गया है। हम अच्छे परिणामों की आशा करते हैं। मैं रामनाथपुरम निर्वाच क्षेत्र से आया हूं। वहां पर रामेश्वरम और धनुश्कोड़ी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। पिछले दिसम्बर में वहां भीषण तूफ़ान के कारण बहुत क्षति हुई थी। रेलवे मंत्रालय ने पमबन पुल बहुत जल्दी तैयार करवाया है। इस के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। रामनाथपुरम बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां के लोग आजीविका उपार्जन के लिये बर्मा, लंका, मलाया और सायगान आदि गये थे। अब उन्हें वापिस भेजा जा रहा है। उन की दुर्दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन की सहायता करे ताकि वे अभागे लोग अपना जीवन निर्वाह ठीक प्रकार से कर सकें।

रामेश्वरम में हाल ही समुद्र तूफान से बहुत हानि हुई है। बहुत अधिक संख्या में व्यक्ति मारे गये हैं। इस बात में सन्देह नहीं कि सरकार ने बहुत उदारता से सहायता की है परन्तु इस से उन लोगों की दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ है। वहां पर बहुत अधिक तबाही हुई है। रामेश्वरम क्षेत्र में ऋतु विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये। इस से वहां के मछली पालने वालों को ऋतु के बारे में पूर्व सूचना मिलती रहेगी। आकाशवाणी को इस बारे में सूचनायें प्रसारित करते रहना चाहिये। मेरे क्षेत्र में खेती के लिये सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार को और अधिक नलकूप खुदवाने चाहियें। वहां पर जो तालाब हैं उन की दशा में भी सुधार की आवश्यकता है। सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहियें। इस क्षेत्र में उद्योगों के चालू करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिये। इस से विदेशों से आये निवासियों के पुनर्वास में भी सहायता मिलेगी और उद्योग भी स्थापित हो जायेंगे।

[श्री अरुणाचलम]

सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास कार्य के लिये बड़ी उदारता से सहायता की है। मेरा क्षेत्र भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सरकार को इस के लिये भी सहायता देनी चाहिये।

मुझे पता चला है कि सरकार धनुषकोडी में जहां तूफान आया था टूटे फूटे भवनों को गिराने के बारे में सोच रही है। यह एक पवित्र स्थान है और असंख्य यात्री देश के सभी भागों से वहां आते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम दो भवनों की देखरेख होनी चाहिये। इस से यात्रियों को सुविधा होगी। रामेश्वरम को धनुषकोडी से मिलने वाली जीप चल सकने योग्य सड़क बनाई जानी चाहिये।

भाषा के बारे में हमें व्यावहारिक होना चाहिये। भाषा के प्रश्न पर देश की एकता को खतरा हो गया है। यदि हिन्दी से एकता आती है तो ठीक है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। अहिन्दी भाषी राज्यों में तब तक हिन्दी नहीं लानी चाहिये जब तक उन राज्यों में ऐसा करने का विश्वास न हो जाये। यदि स्वर्गीय प्रधान मंत्री के आश्वासनों को कानूनी रूप दे दिया जाये तो किसी को योग्य न होने का भय नहीं रहेगा।

Shri Sumat Prasad (Muzaffarnagar): The opposition parties have crtiticised this Bill without any basis. They do not appreciate the critical situation we are passing through. The incidents on Kutch border should not be taken as minor incidents. Pakistan and China have joined against India. They want to do harm to India. The defence of country; territorial integrity is our first and foremost duty. We should gladly sanction amount for defence purposes. Alongwith defence preparation we have to develop our industries also. We cannot neglect it. Our country has made good progress during the last 17 years, but this has not been balanced one. There has been a tendency of concentration of wealth in the hands of about 20 per cent people. Government should take some action in this matter. The poor masses of our country should be provided with all facilities. The standard of living should be improved. Some very good measures have been taken by Government in this direction. Some concessions have been given to new industries and relief has been given in export duty. This will encourage exports and new industrial units will be set up. The Finance Minister has taken action to unearth unaccounted money. I welcome this. I feel that stern action may be taken against those who indulge in black market.

There has been rioting in Aligarh University. I feel that some elements in the University are anti-national. Government should take necessary action to curb the activities of these elements. I congratulate the hon. Education Minister for his statesmanlike attitude. We cannot afford to have communal elements here. We should admit students to engineering and medical classes on the basis of merit and not on communal or local basis. with regard to teaching staff. I want to say that they should also be loyal to the country they live in.

श्री हेमराज (कांगड़ा) : जिन स्थानों पर बड़ी बड़ी परियोजनायें चालू की जाती वहां से विस्थापित किये जाने वाले लोगों के पुनर्वास की ओर उचित ध्यान नहीं दिया

जाता । मैं इस बारे में पांग बांध का उल्लेख करना चाहता हूं । इस बांध से राजस्थान की हजारों एकड़ भूमि की सिचाई होगी परन्तु इस बांध के समीप के गांवों के बहुत से लोगों को अपने स्थान छोड़ने पड़ेंगे । उन की संख्या लगभग 80,000 है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसी परियोजना को अन्तिम रूप देते समय ऐसे लोगों के पुनर्वास को प्राथमिकता दे । पांग बांध के लिये एक पुनर्वास समिति नियुक्त हुई थी। उस का अध्यक्ष राजस्थान सरकार का एक अधिकारी था परन्तु उस समिति की आज तक बैठक नहीं हुई । केन्द्रीय सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

पाकिस्तान और चीन के शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का महत्व बहुत बढ़ गया है सरकार को एक एकीकृत योजना बना कर इन क्षेत्रों का विकास करना चाहिये । इस से देश की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी । सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये कुछ समितियां गठित की थी परन्तु उन के कार्य में क्या प्रगति हुई हमें मालूम नहीं है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

पहाड़ी क्षेत्रों के सीमांकन के समय पंजाब सरकार ने मैदानी क्षेत्रों को भी पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मिला दिया है । जिसके फलस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिये प्रयोग की जानी वाली धनराशि मैदानी क्षेत्रों पर व्यय की जा रही है । हिमाचल प्रदेश में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक धन व्यय हो रहा है । ये दोनों निकटवर्ती क्षेत्र है । इस में इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये । पंजाब सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के साथ भेदभाव का व्यवहार कर रही है । उन्हें प्रशासनिक सेवाओं तथा मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा । केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार को उचित कार्यवाही करने के लिये कहना चाहिये । भारी उद्योगों में पंजाब का भाग केवल 1.4 है । वहां केवल दो बड़े कारखाने हैं । सरकार को चौथी योजना में पंजाब में और अधिक कारखाने चालू करने चाहियें । कांगड़ा ज़िले में अखबारी कागज़ और सीमेंट के कारखाने लगाने का प्रस्ताव था । उस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये ।

Shri J. B. Singh (Ghorsi): Despite assurances to the contrary, the prices of foodgrains have been rising consistently. If the price of any foodstuff in 1949 was Rs. 100, now its price is Rs. 140. If the prices went on rising like this then our plans cannot be successful.

In 1948-49 in direct and central taxes amounted to Rs. 239 crores and in 1962, 1963 and 1964 these taxes came to 490 crores. In the same way the indirect taxes in 1964 were Rs. 1340 crores as compared to Rs. 362 crores in 1949. The hon. minister said that some relief has been given in super tax and income tax. But if the indirect taxes went on rising like this then our plans cannot be successful. prices.

The Government had appointed Patel Commission to go into the backwardness of Eastern U.P., but nothing had been done about the recommendations made by it. Just as, because of the economic policies of the Government the rich are becoming richer and the poor are becoming poorer, in the same way development work is

[Shri J. B. Singh]

being carried out in the developed areas only. The Government is laying great emphasis on small irrigation projects. The farmers are being given loans for this purpose. But when they start digging wells, they do not get cement and iron. These wells are now creempling down during the rainy season. This is the true picture of the development being carried out in Eastern U.P. The reason that is being advanced for not industrialising the area is that there is no broad gauge railway line and proper roads in Eastern U.P. Another reason that is advanced is that because of the shortage of raw material there, heavy industries cannot be started there. This excuse is being advanced for any backward, may be Assam, Orissa or U.P.

Shri Masani has offered a very strange plea that because Russia is taking loan from Belgium, therefore it is not in a position to help us. But it is a wrong plea. They can openly come out and say that we should accept assistance from America, Britain and France. I don't say that we should only accept assistance from Russia and not from other countries. But what I want to say is how things are misrepresented.

When China attacked and I was speaking there was great hooting. But when Pakistan attacked India with American weapons, not a word of protest has been raised. The reason is that you have a soft corner for them. As far as we are concerned, anybody who attacks our country is our enemy; and also anybody who assists our enemy is also our enemy. They say Pakistan and China are our enemies, but why don't they say that America is also our enemy whose weapons being used by Pakistan to kill our soldiers.

The Government admits that the whole economy of our country depends on agriculture. It is also claimed that the agricultural production is increasing. But where is all this foodgrain going? It is neither in the villages nor in the market. Secondly I want to know that whether this increase in agricultural production is due to increase in production per acre or because more land has been brought under the plough? I concede that there has been increase in production per acre in commercial crops. But increase in production of foodgrains has been due to the fact that were barren land has been made cultivable.

The scheme for intensive cultivation cannot succeed unless the farmer is provided with manure, seeds and irrigation facilities. These loans should be long term so that they may be repaid in easy instalments. This is the only way for increasing the production.

About this Aligarh University affair I want to say that you have done well by punishing the students who were involved in the beating. But the persons who instigated them are as much guitly as the boys. The Registrar and the previous vice Chancellor instigated the students. They should also be punished. It is the policy of the Government to punish the small people but do not touch the influential people. No bridge has been constructed on the highway connecting U.P. and Nepal. The proposal for constructing a bridge in Dohrighat is pending for the last four years. In this way it will not be possible to proceed with the development of highways.

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : वित्त विधेयक में मध्यम तथा निचले स्तर के लोगों को कर में कुछ रियायत दी गई है । अप्रत्यक्ष कर में भी उन्होंने कुछ कमी कर दी है और कुछ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं को भी कर से मुक्त कर दिया है । अपंग बालकों को आय-कर में रियायत दे कर माननीय मंत्री ने बहुत अच्छा मानवता का कार्य किया है । निर्यात में वृद्धि करने के लिये भी करों में रियायत दी गई है ।

निगमित क्षेत्र को जो रियायत दी गई है उससे निश्चय ही औद्योगिक और-- वाणिज्यिक विकास होगा । इस बजट में जो सबसे उत्तम बात की गई है वह यह कि जो लोग अपने उद्योगों को शहरी क्षेत्रों से बाहर ले जायेंगे उनको करों में छूट दी जायेगी।

यह समाजवादी स्वरूप का बजट है । सम्पत्ति कर, उपहार कर, शहरी सम्पत्ति पर नया कर और बहुत ऊंची आय पर ऊंची आय-कर की दरें कर देने से धन कुछ हाथों में इकट्ठा नहीं होगा । हमारे देश में सम्पदा शुल्क संसार में सबसे अधिक है जो अधिकतम 85 प्रतिशत है ।

छिपे हुये धन को निकालने के लिये जो उपाय किये गये हैं उनकी मैं सराहना करता हूं । यह धन हमारी आर्थिक व्यवस्था को बहुत हानि पहुंचा रहा है । यह धन कुछ लोगों के पास है और वे इससे अनाज खरीद कर जमाखोरी करते हैं जिससे इनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है । सरकार ने छिपे हुये धन को स्वेच्छा से प्रकट करने के लिये 31 मई, 1965 आखिरी तिथि निश्चित की है । परन्तु अभी तक कुछ हीं लोगों ने छिपा हुआ धन प्रकट किया है । प्रतिवेदन के अनसार भारत में 3,000 करोड़ रुपया छिपे हुए धन के रूप में है । सरकार को इन धन को निकालने के लिये दृढ़ नीति अपनानी चाहिये । लोगों को भी देश के हित में छिपा हुआ धन प्रकट कर देना चाहिये ।

1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सरकारी क्षेत्र में मूल और भारी उद्योग और सभी आवश्यक सेवायें रहेंगी । क्योंकि हमारी मिली जुली आर्थिक व्यवस्था है इसलिये गैर-सरकारी क्षेत्र का भी हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ।

हमारी सरकार की वित्तीय नीति के यह उद्देश्य हैं : (1) कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना और राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, (2) मूल्यों की वृद्धि को रोकना और मुद्रा स्फीति को कम करना, (3) सरकारी और गैर-सरकारी व्यय में मितव्ययता बरतना, (4) बचत और विनियोजन में वृद्धि करना, (5) कुछ हाथों में धन इकट्ठा होने से रोकना, (6) अधिकतम और निम्नतम आय के अन्तर को कम कपना और (7) लोकतन्त्रात्मक समाजवाद स्थापित करना ।

वर्ष 1964-65 में कृषि उत्पादन 790 लाख टन से बढ़ कर 870 लाख टन हो गया था । परन्तु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमारी जनसंख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है। चौथी योजना में 50 करोड़ व्यक्तियों को 12 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। हमें कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सभी सम्भव उपाय अपनाने चाहियें क्योंकि विदेशों से अनाज आयात करने से बहुत सी विदेशी मुद्रा बरबाद हो जाती है ।

[श्री मुथिया]

गांवों में ऋण देने की व्यवस्था अभी पुराने ढंग से चल रही है ; सरकार को प्रत्येक खण्ड में ऋण देने के लिये विशेष बैंक स्थापित करने चाहियें।

औद्योगिक उत्पादन में केवल 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । लोहा और सीमेंट की कमी को पूरा करने के लिये सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में अधिक संयंत्र स्थापित किये जाने चाहिये । सरकार को तिरुनेलवेली में एक या दो सीमेंट के संयंत्र स्थापित करने चाहियें, क्योंकि चूने का पत्थर यहां काफी मात्रा में उपलब्ध है । ग्रामीण क्षेत्रों में दरिद्रता तथा बेरोज़गारी दूर करने के लिये लघु तथा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये । पांचवां प्लान्ट सैलम, हौस्पट अथवा विशाखापटनम में स्थापित किया जाना चाहिये । मेसर्ज़ दस्तूर एण्ड क० ने अपनी परियोजना रिपोर्ट में कहा है कि सैलम प्लांट स्थापित किया जा सकता है और आर्थिक दृष्टि से यह सम्भव भी है । मद्रास सरकार ने इस सम्बन्ध में सभी प्रारम्भिक कार्यवाही पूर्ण कर ली है जैसे भूमि प्राप्त करना और सर्वेक्षण करना, जल और विद्युत् का प्रबन्ध करना । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि चौथी योजना के आरम्भ में सैलम प्लांट की स्थापना हो जानी चाहिये ।

मंगलौर और ट्यूटीकोरीन पत्तनों का विकास यथा-सम्भव शीघ्र होना चाहिये । धन की कमी के कारण ट्यूटीकोरीन पत्तन के विकास में विलम्ब हो रहा है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस पत्तन के लिये वर्ष 1965–66 में 4 करोड़ रुपया दिया जाय ।

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): More relief has been given to the rich than to the poor in this Bill. We should create an atmoshpere so that more and more money should be invested in constructive activities. More relief should be provided to the poor people.

Mr. Speaker: The hon. member can continue his speech tomorrow.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 4 मई, 1965/बैशाख 14, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 4th May, 1965/Vaisakha 14, 1887 (Saka).

GIPND—LS III—733 (Ai) LS—30-7-65—600.